पंचदश माला, खंड 3, अंक 11

गुरुवार, 16 जुलाई, 2009
25 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध हे। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/3/11/2009 (एन०)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 11, गुरुवार, 16 जुलाई, 2009/25 आषाढ़, 1931 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	181 से 200	2-36
अतारांकित प्रश्न संख्या	1634 से 1800	37-306
सभा पटल पर रखे गए पत्र		306-317
राज्य सभा से संदेश		317
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एस.वी. चित्तन	318
(दो)	देश में पैदा किए जा रहे आनुवांशिक रूप से परिवर्धित खाद्यान्नों और सब्जियों के दुष्प्रभावों पर नियंत्रण लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री निनोंग ईरींग	319
(तीन)	केरल राज्य से बाहर विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे छात्रों को आसान ब्याज दरों पर शैक्षणिक ऋण दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.सी. वेणुगोपाल	320
(चार)	केरल में इदुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाईपासों का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.सी. थॉमस	321
(पांच)	किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राकेश सिंह	321
(छह)	झारखंड के बोकारो में कोणार बांध पर एक जलविद्युत परियोजना स्थापित किए किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय	322

विषय		कॉलम
(सात)	बिहार के नवादा जिले में सूखे की स्थिति डॉ. भोला सिंह	322
(आठ)	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज को 'एम्स' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता योगी आदित्यनाथ	323
(नौ)	बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	323
(दस)	तमिलनाडु में 'फाइनेंशियल सर्विसेज कलस्टर' की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री ए.के.एस. विजयन	324
(ग्यारह)	केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों के कोटे को बढ़ाये जाने की आवश्यकता श्री गजानन ध. बाबर	325
कार्य मंत्रणा समिति		
	तीसरा प्रतिवेदन	326
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	327-328
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	327-338
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	339-340
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	339-342

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 16 जुलाई, 2009/25 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : क्वैश्चन 181, श्री हरिश्चंद्र चव्हाण।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत गंभीर है। कोई भी व्यक्ति वहां...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल के बाद इस पर चर्चा कर लेंगे। प्रश्न काल चलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जरा बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जरा बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब हम प्रश्न-काल शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाएं

*181. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर विमान यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं का स्तर संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सुविधाएं बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली माताओं के लिए देश के सभी विमानपत्तनों पर शिशु परिचर्या कक्षों की व्यवस्था करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में उन सभी हवाईअड्डों पर अपेक्षित यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिनका

प्रबंध प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा प्रबंधित हवाई अड्डों पर भी यात्री सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। ऐसे हवाईअड्डों पर मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन सेवा स्तर गुणवत्ता (एसएलक्यू) के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा हस्ताक्षरित ओएमडीए करार तथा रियायत करार के अनुसार, दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद तथा बंगलौर हवाईअड्डों के एयरोड्रोम प्रचालकों से स्वीकार्य मानकों के अनुसार एसएलक्यू का स्तर प्राप्त करने और उस स्तर को बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुविधाओं के सेवा स्तर को सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों के फीडबैक का अनुसरण किया जाता है।

(ग) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों तथा अन्य प्रमुख घरेलू हवाईअड्डों पर शिशु देखभाल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिनका प्रबंध प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ये हवाईअड्डे हैं: चेन्नई, कोलकाता, कोयंबटूर, मदुरै, तिरूपति, त्रिवेन्द्रम, विजयवाड़ा, विशाखापटनम, श्रीनगर, जयपुर, पुणे, जबलपुर, पोरबंदर, अहमदाबाद, नागपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बागडोगरा, इम्फाल, डिब्रूगढ़ तथा रायपुर। इसके साथ-साथ, जहां कहीं भी नये टर्मिनल निर्माणाधीन हैं, इन टर्मिनलों पर भी ये सुविधाएं मुहैया कराये जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद तथा कोचीन में संयुक्त उद्यम कंपनियों और अन्य निजी प्रचालकों द्वारा प्रचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों में शिशुओं को साथ लेकर यात्रा करने वाली माताओं के लिए नियत शिशु देखभाल कक्ष मौजूद हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

*182. **श्री हरिन पाठक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक रेलवे द्वारा आमान परिवर्तन के लक्ष्य की कितनी प्राप्ति की गई है;

(ख) क्या रेलवे को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में रेल लाइनों के आमान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) 11वीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान 2112 किलोमीटर मीटर लाइन/छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन पूरा किया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, हाल ही में नई आमान परिवर्तन परियोजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों और उन पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:—

राज्य	इसका आमान परिवर्तन शुरू करने की मांग प्राप्त हुई थी	की गई कार्रवाई
1	2	3
गुजरात	अहमदाबाद-बोटाड-भावनगर और ढासा-जेतलसर	अहमदाबाद-बोटाड और ढासा-जेतलसर के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव योजना आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए भेजा गया था जिसने वांछा की थी कि इस खंड के आमान परिवर्तन को आस्थगित कर दिया जाए क्योंकि अनुमानित यातायात तत्काल आमान परिवर्तन का औचित्य सिद्ध नहीं करता है। बोटाड-भावनगर पहले से ही एक बड़ी लाइन है।
	वीरमगाम-सामाख्याली	यह पहले से ही एक बड़ी लाइन है।
	नवलाखी-मलिया-राजकोट	यह पहले से ही एक बड़ी लाइन है।
	मेहसाणा-वीरमगाम	यह पहले से ही एक बड़ी लाइन है।

1	2	3
	वीरमगाम-सुरेन्द्रनगर	यह पहले से ही एक बड़ी लाइन है।
	सामाख्याली-गांधीधाम-कांडला	यह पहले से ही एक बड़ी लाइन है। मीटर लाइन के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन द्वारा गांधीधाम-कांडला पत्तन का दोहरीकरण कार्य 2009-10 के रेल बजट में शामिल किया गया है।
	गांधीधाम-अंजार-मुंद्रा	यह पहले से ही एक बड़ी लाइन है।
	भावनगर-आधेलाल-ढोलेरा-वतामन-पेटलाड	ऐसी कोई रेल लाइन नहीं है।
	ढोलेरा-भीमनाथ	ऐसी कोई रेल लाइन नहीं है।
	खम्भात से पत्तन	ऐसी कोई रेल लाइन नहीं है।
	अहमदाबाद-मेहसाणा-तारंगा-अम्बाजी	अम्बाजी तक विस्तार सहित मेहसाणा-तारंगा हिल के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इसके अलाभप्रद स्वरूप के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
	भावनगर-महुआ	यह पहले से ही एक बड़ी लाइन है।
	वांकानेर-भुज-नलिया	वांकानेर से भुज तक बड़ी लाइन पहले से ही मौजूद है। भुज-नलिया का आमान परिवर्तन शुरू किया गया है।
	वडोदरा मंडल की अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत छोटी लाइनें	भारुच-सामनी-दहेज, प्रतापनगर-छोटा उदयपुर, अंकलेश्वर-राजपिपला का आमान परिवर्तन शुरू किया गया है।
	अहमदाबाद-खेडब्रह्मा-अम्बाजी	अहमदाबाद-उदयपुर आमान परिवर्तन के भाग के रूप में अहमदाबाद-हिम्मतनगर का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। अबू रोड तक विस्तार सहित हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
हिमाचल प्रदेश	पठानकोट-जोगिंदरनगर	अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
महाराष्ट्र	अचलपुर-मुर्तजापुर-यवतमाल और पुलगांव-अरवी	सर्वेक्षण अक्टूबर, 2008 में पूरा हो गया था। यह सेंट्रल प्रोविंस रेलवे कंपनी के स्वामित्व वाली एक निजी रेल लाइन है लेकिन इसका अनुरक्षण और परिचालन मध्य रेलवे द्वारा किया जाता है। यह लाइन घाटे में चल रही है। निजी लाइन होने के नाते आमान परिवर्तन के प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता।
	नागपुर-नागबीर	2009-2010 के बजट में सर्वेक्षण को शामिल किया गया है।
	पचौरा-जामनेर	2000-01 में सर्वेक्षण किया गया था और परियोजना शुरू नहीं की गई।

विमान किरायों में विनियमन

*183. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विभिन्न विमान कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले किरायों के विनियमन में सरकार की यदि कोई भूमिका है तो वह क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार किरायों के संबंध में दिए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों के बारे में हाल की शिकायतों के मद्देनजर निजी विमान प्रचालकों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने विमान यात्रा हेतु एक निश्चित किराया लागू करने और उसे विनियमित करने के लिए आगे क्या कदम उठाने पर विचार किया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) घरेलू विमान किरायों का विनियमन सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। घरेलू एयरलाइनें बाजार घटकों के अनुसार विमान किराया वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) से (घ) भ्रामक विज्ञापनों का मामला दिनांक 23.3.2009 को सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई बैठक में उठाया गया था जिसमें अनुसूचित एयरलाइनों/हवाईअड्डा प्रचालकों के सीईओ/ सीएमडी भी शामिल थे। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नागर विमानन महानिदेशालय ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करें कि एयरलाइनें सुस्पष्ट रूप से टैरिफ को प्रकाशित करवायें। तदनुसार, स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से, वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 को संशोधित किया गया जिसके अनुसार एयरलाइनें सुस्पष्ट रूप से यात्री द्वारा देय कुल धनराशि और इसका संपूर्ण ब्यौरा दर्शाएगी जिसमें किराया, कर, शुल्क अथवा अन्य कोई प्रभार, यदि कोई है, का अलग-अलग से उल्लेख किया गया हो। इस संबंध में, डीजीसीए द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें सभी एयरलाइनों से विमान किरायों के प्रदर्शन (डिस्प्ले) के संबंध में वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करने को कहा गया।

अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों यथा नैसिल(आई), जेट, जेटलाइट, किंगफिशर, स्पाइसजेट, पैरामाउंट, इंडिगो तथा एमडीएलआर एयरलाइंस ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर विमान किरायों के प्रदर्शन (डिस्प्ले) के संबंध में वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 का अनुपालन किया है। चूंकि गो एयर की वेबसाइट का रख-रखाव बाहरी एजेंसी कर रही है, उन्होंने आवश्यक संशोधनों के लिए समय मांगा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियों का कम होना

*184. **श्री प्रबोध पांडा :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बन्द होने अथवा उनके रुग्ण होने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित हुए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलास राव देशमुख) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान पृथक किए गए कर्मचारियों की संख्या 30208 है।

(ख) सरकार परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) योजना का संचालन करती है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक किए गए कर्मचारियों में आय अर्जन की कुशलता उत्पन्न करने के लिए उन्हें अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

निरंतर उड़ानों के कारण कुतुब मीनार पर कंपन का प्रभाव

*185. **श्री अधीर चौधरी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सहित विभिन्न निकायों में निरंतर उड़ानों के कारण कंपन के प्रभाव से कुतुब मीनार को होने वाली क्षति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को कुतुबमीनार के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों से उत्पन्न कंपन के प्रभाव के बारे में एक तकनीकी अध्ययन कराए जाने का प्रस्ताव भेजा है।

डीजीसीए ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों के सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श किया है। उस क्षेत्र में उड़ानों के आवागमन के कारण कुतुबमीनार के ढांचे पर पड़ने वाले कंपन संबंधी प्रभाव के स्तर का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा रहा है। इससे उक्त समस्या की गंभीरता का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी और तदनुसार राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण की दिशा में सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल

*186. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कामगारों की मांगें क्या हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने हेतु कामगारों और सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) किसी भी यूनियन द्वारा हड़ताल संबंधी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तथापि, यूनियनों ने वेतन के आस्थगन के विरोध स्वरूप अन्य तौर-तरीके अपनाए।

(ग) और (घ) प्रबंधन तथा यूनियनों के बीच विचार-विमर्श हुए हैं। कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार 10 जुलाई से 14 जुलाई, 2009 के बीच उनके वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था

*187. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को हाल ही में यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा न होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था का उन्नयन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु चयन किए गए रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये सामान्यत: सुरक्षाकर्मियों की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता, अपर्याप्त सुरक्षा सामग्री एवं हथियार, ड्यूटी पर सुरक्षाकर्मियों की असहयोगात्मक प्रवृत्ति इत्यादि से संबंधित होती है।

(ग) से (ङ) जी हां। यात्री सुरक्षा की आम चिंता और संवर्धित आवश्यकता को देखते हुए रेलवे ने एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) को अपनाकर स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा का उन्नयन करने का विनिश्चय किया है जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था किए जाने की संकल्पना की गई है:–

(i) सीसीटीवी निगरानी तंत्र

(ii) पहुंच नियंत्रण,

(iii) व्यक्ति और सामान जांच प्रणाली तथा

(iv) बम खोज एवं निपटान तंत्र

देश के 195 संवेदनशील स्टेशनों पर 344.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस योजना को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

एकीकृत सुरक्षा तंत्र के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित 195 स्टेशनों को चुना गया है:—

क्रम सं.	क्षेत्रीय रेलवे	रेलवे स्टेशनों का नाम
1	2	3
1.	मध्य रेलवे	छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (मुख्य लाइन और उपनगरीय), दादर, कुर्ला, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे और कल्याण, पुणे, नागपुर, नासिक रोड, भुसावल, मनमाड़, अकोला, जलगांव, चालीसगांव, बड़नेरा, मुर्तिजापुर, मिरज
2.	पूर्व	सियालदाह, कोलकाता (टर्मिनस), बिधाननगर, माजेरहाट, बालीगंज, दम दम, हावड़ा, दम दम जं., बेलगछिया, श्याम बाजार, सोवा बाजार, गिरीश पार्क, महात्मा गांधी रोड, मध्य, चांदनी चौक, एस्प्लेनेड, पार्क स्ट्रीट, मैदान, रबीन्द्र सदन, नेताजी भवन, जतिनदास पार्क, कालीघाट, रबीन्द्र सरोबर, टॉलीगंज, कुडघाट, बांसदराम, नकताला, गरिया बाजार, बिरजी (पूर्व प्रणव नगर) न्यू गरिया माल्दा टाउन, आसनसोल, बर्धमान, बारासत, सोनारपुर, दुर्गापुर
3.	पूर्व मध्य	पटना, धनबाद, मुगलसराय, राजेन्द्र नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, गया, बरकाकाना, डाल्टनगंज, दरभंगा, दानापुर, नरकटियागंज
4.	पूर्व तट	भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, पुरी, कटक
5.	उत्तर	नई दिल्ली, दिल्ली मेन, हजरत निजामुद्दीन, शाहदरा, तिलक ब्रिज, सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, शिवाजी ब्रिज, आनंद विहार, गाजियाबाद, जम्मूतवी, लुधियाना, अंबाला, उधमपुर, जालंधर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, सहारनपुर, हरिद्वार, अमृतसर, श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, पटियाला, भाटिंडा, कालका, चंडीगढ़, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली, चक्की बैंक, बृजबेहरा, पनीजगाम, अवंतिपुरा, काकापोर, पम्पौर, राजवंशार
6.	पूर्वोत्तर	लखनऊ जं., छपरा, गोरखपुर
7.	उत्तर मध्य	इलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल, मथुरा, आगरा छावनी, झांसी, अलीगढ़, खुर्जा, आगरा किला, ग्वालियर
8.	पूर्वोत्तर सीमा	गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुडी, दीमापुर, लमडिंग, सिलीगुडी, डिब्रूगढ़, न्यू तिनसुकिया, कोकराझार, मरियानी, सिमलगुडी, जोरहाट टाउन, फुरकटिंग, डिफू, मैबोग, किशनगंज, कटिहार
9.	उत्तर पश्चिम	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
10.	दक्षिण	मूर मार्किट कॉम्प्लैक्स सहित चेन्नै सेंट्रल, चेन्नै एग्मौर, चेन्नै बीच, माम्बलम, ताबंरम, बेसिन पुल, तिरुवल्लूर, कोयमबातूर, त्रिवेंद्रम, एर्णाकुलम, मदुरै, तिरुचिरापल्लि, कोजीकोड (कालीकट), मंगलौर
11.	दक्षिण पूर्व	खड़गपुर, टाटानगर, रांची, मिदनापुर, राउरकेला, चक्रधरपुर, झारसुगुडा, आद्रा, पुरूलिया, मूरी, बोकारो
12.	दक्षिण पूर्व मध्य	रायपुर, बिलासपुर, गोंदिया
13.	दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद, हैदराबाद, तिरुपति, विजयवाड़ा, काजीपेट
14.	दक्षिण पश्चिम	बेंगलुरू सिटी, मैसूर, यशवंतपुर, धर्मावरम
15.	पश्चिम	चर्च गेट, मैरीन ड्राइव, चर्नी रोड, ग्रांट रोड, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, लोअर पारेल, एलिफिस्टन रोड, दादर, माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा लोकल, बांद्रा टर्मिनस, खार रोड, सांता क्रूज, विले पारले, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदीविली, बोरीविली, दहिसर, मीरा रोड, भायंदर, नयागांव, बसई रोड, नालासुपाड़ा, विरार, पालघर, बोयसर, दहानू रोड सबरामती, द्वारका, वडोदरा, गोधरा, सूरत, उज्जैन, अहमदाबाद
16	पश्चिम मध्य	भोपाल, इटारसी, जबलपुर, बीना, कोटा

वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पुरानी होना

*188. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रौद्योगिकी के अत्यन्त पुरानी हो जाने की वजह से हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत अधिक राज सहायता की मांग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में वस्त्र क्षेत्र प्रौद्योगिकीय अप्रचलितता के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। यह इस क्षेत्र में उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता के मानकों को अवरुद्ध कर रहा था। इस खामी को समझ कर, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) गुणवत्ता के साथ-साथ अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

(ग) और (घ) टीयूएफएस के तहत और अधिक सब्सिडी की मांग करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, सरकार यह समझती है कि टीयूएफएस के तहत सहायता का वर्तमान स्तर पर्याप्त है और तदनुसार इस स्तर पर इस योजना की संरचना में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं करती है।

नए रेल डिब्बा कारखाने

*189. **श्री एम.बी. राजेश :**
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की छः इन-हाउस उत्पादन इकाइयां सवारी डिब्बों और इंजनों की मांग को पूरा करने में सक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक उत्पादन इकाई की क्षमता का कितना उपयोग किया गया है;

(घ) क्या रेलवे का विचार केरल सहित देश के विभिन्न भागों में नए रेल डिब्बा कारखाने स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा और उसकी स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) देश में सवारीडिब्बा और रेलइंजन उत्पादन इकाइयों में उपलब्ध उत्पादन क्षमता की तुलना में सवारीडिब्बों और रेलइंजनों की आवश्यकता के बीच अंतर है जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए भारतीय रेल द्वारा आकलन किया गया है। सवारीडिब्बों और रेलइंजनों की औसत वार्षिक आवश्यकता की तुलना में ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान भारतीय रेल और अन्य सार्वजनिक एवं निजी निर्माताओं द्वारा उत्पादन नीचे दिखाया गया है:–

मद	XI पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता	औसत वार्षिक आवश्यकता	उत्पादन 2007-08	उत्पादन 2008-09
बिजली रेलइंजन	1800 अदद	360 अदद	200	220
डीज़ल रेलइंजन	1800 अदद	360 अदद	198+24*	239+18*
बला परिवर्तित सवारीडिब्बे	17500 अदद	3500 अदद	2787+55*	2414+12*
ईएमयू/डीईएमयू/एमईएमयू	5000 अदद	1000 अदद	259	637

*गैर-रेलवे ग्राहक और निर्यात के लिए

(ग) पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय रेल की सभी छह उत्पादन इकाइयों की संस्थापित उत्पादन क्षमता और उत्पादन नीचे लिखे अनुसार है:–

इकाई/स्टॉक	वर्तमान वार्षिक संस्थापित क्षमता	निम्न वार्षिक क्षमता के लिए संवर्धन किया जा रहा है	उत्पादन				
			2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 का लक्ष्य (पूरे वर्ष के लिए)	2009-10 जून, 2009 तक उत्पादन (अर्थात अप्रैल, 09 से जून, 09 तक)
सडिका							
सवारीडिब्बे	1000	1500	1251	1291	1337	1433	285
रेडिका							
सवारीडिब्बे	1000	1500	1319	1480	1558	1562	375
चिरेका							
रेलइंजन	150	200	150	200	220	250	26
डीरेका							
रेलइंजन	150	200	186	222	257	250	61
डीएमडब्ल्यू							
रेलइंजन पुनर्निर्माण	72	72 (अदद स्वीकृत संवर्धन कार्य)	86	102	108	108	30
रेपका							
पहिये	1,40,000	2,00,000	126126	147007	196261	200000	43765
धुरे	52,000	52,000	58259	52870	84428	65420.8	16763

(घ) जी, हां। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक नया सवारीडिब्बा कारखाना स्वीकृत किया गया है। दो अतिरिक्त सवारीडिब्बा कारखाने स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, एक 2008-09 के रेल बजट के दौरान केरल में पालघाट में, और दूसरा 2009-10 के रेल बजट के दौरान पश्चिम बंगाल में कांचरापाडा-हालीशहर रेलवे परिसर में।

(ङ) इन कारखानों का ब्यौरा और स्थिति नीचे लिखे अनुसार है:–

(i) उत्तर प्रदेश में रायबरेली में नया सवारीडिब्बा कारखाना: परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। विस्तृत अनुमान बनाए जाने और जनोपयोगी सेवाओं

जैसे बिजली, पानी का संपर्क, रेल संपर्क और चहारदीवारी का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के लिए कंसल्टेंटों को नियुक्त करने का कार्य भी प्रगति पर है।

(ii) **केरल में पालघाट में नया सवारीडिब्बा कारखाना:** परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग को विवेचना हेतु प्रस्तुत की गई है। उसके बाद आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया की जाएगी।

(iii) **पश्चिम बंगाल में कांचरापाडा – हालीशहर रेलवे परिसर में नया सवारीडिब्बा कारखाना:** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में सामान्य डिब्बे

*190. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर रेलगाड़ियों में सामान्य डिब्बे जोड़ने हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या इन रेलगाड़ियों में जोड़े जाने वाले सामान्य डिब्बों की संख्या इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाली जनता के अनुपात में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा आम जनता की यात्रा को आसान बनाने के लिए सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (घ) द्वितीय श्रेणी के साधारण और द्वितीय श्रेणी की मेल/एक्सप्रेस टिकटों के साथ बिना पूर्व आरक्षण के यात्रा करने वाले व्यक्तियों द्वारा सामान्य श्रेणी के सवारीडिब्बे प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के यातायात स्वरूप और परिचालनिक व्यावहारिकता को देखते हुए रेलगाड़ी सेवाओं में सामान्य श्रेणी के सवारीडिब्बे लगाए जाते हैं। भारतीय रेल पर इस्तेमाल हो रहे सवारीडिब्बों की कुल संख्या की तुलना में सामान्य श्रेणी के सवारीडिब्बों का अनुपात लगभग 52% है।

यात्रियों की यातयात मांग को पूरा करने के लिए सतत प्रयास किया जाता है बशर्ते ऐसा करना परिचालनिक रूप से व्यावहारिक, वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम हो और उसके लिए संसाधन भी उपलब्ध हों। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में सामान्य डिब्बे लगाए जाने का यथोचित ध्यान रखा जाता है। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:–

1. राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों जैसी विशेष प्रकार की रेलगाड़ियों को छोड़कर नई शुरू की गई रेलगाड़ियों में सामान्य श्रेणी के सवारीडिब्बों की संख्या चार से बढ़ाकर छह की गई है।

2. जन साधारण, जनसेवा, इंटरसिटी रेलगाड़ियों जैसी रेलगाड़ियों में केवल द्वितीय श्रेणी के सामान्य यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए अभिप्रेत केवल सामान्य सवारीडिब्बे लगाए गए है।

3. वर्तमान रेलगाड़ी सेवाओं में सामान्य श्रेणी के अधिक सवारीडिब्बे लगाकर उनका संवर्धन किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

*191. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
श्री जगदीश शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सहित सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों द्वारा लाभांश के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान इन कंपनियों के कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इनमें से कुछ उपक्रमों द्वारा कम लाभांश का भुगतान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड सहित प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र तेल उपक्रमों द्वारा भुगतान किए गए लाभांश और उनके कारोबार का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपये में)

	2006-07		2007-08		2008-09	
	लाभांश	कारोबार	लाभांश	कारोबार	लाभांश	कारोबार
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी)	6,702	59,058	6,631	61,543	6,844	65,049
आयल इंडिया लि. (ओआईएल)	567	5,389	428	6,082	642	7,241
इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी)	2,161	2,20,780	1,550	2,47,457	656	2,85,337
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल)	307	1,01,675	362	1,12,540	145	1,28,609
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल)	305	91,448	407	1,03,837	102	1,16,428
गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल)	846	16,047	507	18,008	1,015	23,776

(ग) और (घ) लाभांश का भुगतान किसी विशेष वर्ष में किसी सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर निर्भर करता है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में लाभांश के भुगतान में कमी मुख्यत: कच्चे तेल की अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और ऋणात्मक नकदी प्रवाह के मद्देनजर अत्यधिक अल्प वसूलियों के कारण आई।

[अनुवाद]

तेल कंपनियों को एटीएफ का भुगतान

*192. **श्री किसनभाई वी. पटेल :***
श्री प्रदीप माझी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विमान कंपनियों ने सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो दिसंबर, 2008 और मई, 2009 में विभिन्न विमान कंपनियों के पास लंबित बकाया राशि का विमान कंपनी-वार और तेल कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बकाया राशि की समयबद्ध तरीके से वसूली करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। 31 दिसंबर, 2008 तथा 31 मई, 2009 की स्थिति के अनुसार, पांच एयर लाइन कंपनियों अर्थात् नेशनल एवियेशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल), जेट एयरवेज, किंगफिशर एयर लाइन्स, पारामाउन्ट एयरवेज तथा स्पाईस जेट की तरफ इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) नामक तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के क्रमश: 3658.06 करोड़ रुपए और 2225.52 करोड़ रुपए बकाया थे। दिसंबर, 2008 और मई, 2009 में बकाया देय राशियों के एयरलाइन-वार तथा कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

(आंकड़े करोड़ रु.)

एयरलाइन्स का नाम	31.12.2008 को बकाया देय राशि			योग	31.5.2009 को बकाया देय राशि			योग
	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल		आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल	
एनएसीआईएल	877.13	184.35	250.43	1311.91	307.49	73.88	91.56	472.93
जेट एयर वेज	1053.08	2.67	210.46	1266.21	644.96	3.34	111.77	760.07
किंगफिशर एयरलाइन्स	172.78	523.34	333.96	1030.08	37.36	598.78	314.32	950.46
पारामाउन्ट एयरवेज		36.56		36.56		25.82		25.82
स्पाईस जेट		13.30		13.30		16.24		16.24
कुल राशि	2102.99	760.22	794.85	3658.06	989.81	718.06	517.65	2225.52

(ग) और (घ) यदि एयरलाइन्स अपनी देनदारी का भुगतान नहीं करती हैं तो ओएमसीज उनके तथा एयरलाइनों के बीच परस्पर सम्मत वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार, देय राशियों की वसूली के लिए कार्रवाई करती हैं। दोषी एयरलाइनों को भी 'नकद दो और ले जाओ' के अंतर्गत रखा जाता है और सभी अतिदेय पर ब्याज की वसूली की जाती है।

बकाया राशियों के इस मामले को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भी उठाया गया था जिन्होंने इन एयरलाइन्सों को शीघ्र अपनी बकाया देय राशियों को चुकाने के लिए कहा है।

जीवनरक्षक औषधियों के मूल्य

*193. **श्री जोस के. मणि :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या मूल्य संवर्धित कर (वैट) लागू होने के कारण जीवनरक्षक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) वर्तमान में ''आवश्यक औषधों'' को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अंतर्गत अलग से परिभाषित या सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। डीपीसीओ, 1995 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध 74 बल्क औषधों और इनमें से किसी भी अनुसूचीबद्ध बल्क औषधों वाले फार्मूलेशनों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा कार्रवाई की जाती है। इससे अनुसूचीबद्ध औषधों के मूल्यों को नियंत्रित करने में मदद मिली है।

जहां तक गैर-अनुसूचीबद्ध औषधों का संबंध है, स्वयं विनिर्माता दवाओं के मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, एनपीपीए, ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों के आधार पर खुदरा बाजार में फार्मूलेशनों की बिक्री के मूल्यों की मासिक आधार पर निगरानी करता है। जहां कहीं भी किसी औषध के मूल्य की साल में 10% (01.04.2007 से पूर्व 20%) तक बढ़ने की सूचना मिलती है, एनपीपीए, विनिर्माताओं से स्वेच्छापूर्वक मूल्यों में कमी करने के लिए कहता है; जिसमें असफल रहने पर एनपीपीए जनहित में फार्मूलेशन के मूल्य तय करने के लिए डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10 (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करता है। मूल्यों की निगरानी एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) से (घ) वैट को लागू करने का उद्देश्य बिक्री कर की दरों की बहुलता से बचना और कर ढांचे में एकरूपता लाना था।

औषध मूल्यों पर वैट के क्रियान्वयन की विषयवस्तु राज्य का मामला है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में वैट की दर 4% है। तथापि, इस प्रकार की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि दवाओं के मूल्य वैट के कारण बढ़ गए हैं।

[हिन्दी]

एलपीजी कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

*194. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एलपीजी कनेक्शन हेतु बड़ी संख्या में आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से एलपीजी कनेक्शन हेतु कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) उक्त प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान कर दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) नए एलपीजी ग्राहकों का पंजीकरण और नए एलपीजी कनेक्शन जारी दिया जाना एक सतत प्रक्रिया है। नए एलपीजी कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र और किसी भी स्थिति में साठ दिन की अवधि में उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अप्रैल से जून, 2009 की अवधि के दौरान ओएमसीज ने मध्य प्रदेश राज्य में 0.67 लाख कनेक्शनों सहित देश में 16.53 लाख नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।

मध्य प्रदेश सहित देश में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की शून्य प्रतीक्षा सूची है। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने सूचित किया है कि उपस्करों की कमी के कारण मध्य प्रदेश राज्य में एक हजार नए एलपीजी कनेक्शनों सहित देश में उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नए कनेक्शन जारी करने के लिए 1.7.2009 की स्थिति के अनुसार 1,07,317 की प्रतीक्षा सूची है। दिनांक 1.7.2009 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में एक हजार उत्सुक ग्राहकों की प्रतीक्षा सूची बीपीसीएल के इन्दौर संयंत्र में सिलेंडरों की उपलब्धता में बाधा होने के कारण है। जुलाई, 2009 के अंत तक प्रतीक्षा सूची कनेक्शन निपटाने के लिए इन्दौर संयंत्र को सिलेंडर भेजे जा रहे हैं।

नए कनेक्शन जारी करने के लिए वर्तमान प्रतीक्षा सूची केरल को छोड़कर जहां प्रतीक्षा सूची अगस्त, 2009 के अंत तक निपटाए जाने की आशा है, सभी राज्यों में जुलाई, 2009 के अंत तक निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण

1.7.2009 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नए एलपीजी कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	30035
2.	बिहार	984
3.	छत्तीसगढ़	1422
4.	हिमाचल प्रदेश	10200
5.	झारखंड	465
6.	केरल	33218
7.	मध्य प्रदेश	1000
8.	मणिपुर	3375
9.	मिजोरम	1785
10.	नागालैंड	975
11.	उड़ीसा	3288
12.	राजस्थान	18000
13.	त्रिपुरा	2508
14.	लक्षद्वीप	62
	योग	107317

[अनुवाद]

उर्वरकों संयंत्रों की स्थापना

***195. श्री एन. चेलुवरया स्वामी :**
श्री लालचन्द कटारिया :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने उर्वरक संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सरकार द्वारा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्थापित किए गए और चालू किए गए संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में ऐसे संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) वर्तमान में देश में चल रहे उर्वरक संयंत्रों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (च) सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान के दौरान उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया है। तथापि, सरकार ने इस क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने के लिए 4 सितंबर, 2008 को यूरिया क्षेत्र में नए निवेश के लिए एक मूल्य-निर्धारण नीति की घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में गत्यावरोध दूर करने, विस्तार और पुनरुद्धार परियोजनाओं सहित उर्वरक क्षेत्र के लिए गैस का आबंटन करने में उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार सहित किसी भी राज्य सरकार से उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

देश में चल रही प्रमुख उर्वरक इकाइयों की राज्य-वार और क्षेत्र-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	चल रही इकाइयों की संख्या	क्षेत्र			
			सार्वजनिक	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4			4	4
2.	असम	2	2			2
3.	बिहार					
4.	छत्तीसगढ़					
5.	गोवा	1			1	1
6.	गुजरात	8		3	5	8
7.	हरियाणा	1	1			1
8.	झारखंड					

1	2	3	4	5	6	7
9.	कर्नाटक	1			1	1
10.	केरल	2	2			2
11.	मध्य प्रदेश	2	2			2
12.	महाराष्ट्र	5	4		1	5
13.	उड़ीसा	2		1	1	2
14.	पंजाब	2	2			2
15.	राजस्थान	3			3	3
16.	तमिलनाडु	4	1		3	4
17.	उत्तर प्रदेश	7		5	2	7
18.	पश्चिम बंगाल	1			1	1
	योग	45	14	9	22	45

[हिन्दी]

संविधान समीक्षा आयोग

*196. **श्री कैलाश जोशी :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने 31 मार्च, 2002 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने 31 मार्च, 2002 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई भारत सरकार के ऐसे मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जानी है, जो सिफारिशों की विषय-वस्तु से प्रशासनिक रूप से संबद्ध हैं। रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस

*197. **श्री जे.एम. आरुन रशीद :***
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा-गोदावरी (केजी)-6 बेसिन से प्राकृतिक गैस के वितरण और मूल्य निर्धारण के संबंध में हाल ही में बंबई उच्च न्यायालय के हाल ही के आदेश के निहितार्थों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस प्रकार के आदेश का सरकार की वर्तमान और भावी गैस उपयोग नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में हस्तक्षेप करने और निर्णय को चुनौती देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ कथित उत्पादन लागत अंतर की वजह से केजी-6 बेसिन से प्राप्त पेट्रोलियम लाभ और रायल्टी के हिस्से के रूप में सरकार को अनुमानत: कितनी राजस्व हानि होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस निर्णय में उल्लेख किया गया है कि आरआईएल रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आरईएल) को उसकी सभी परियोजनाओं के लिए 2.34 अमरीकी डालर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) से अनधिक मूल्य पर गैस की आपूर्ति की जाने वाली तारीख से 17 वर्षों की अवधि के लिए 28 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति करेगी।

तथापि, इस आदेश में आगे इन पक्षकारों के लिए कुछ विकल्पों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि यदि एमओयू तथा/अथवा कंपनी न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय-समाप्त करने की स्कीम में पक्षकार के पास सभी उपलब्ध विकल्प एक महीने की निर्धारित अवधि के भीतर विफल हो जाते हैं तो व्यथित पक्षकार के लिए स्वतंत्रता होगी कि वह इस स्कीम को संशोधित करने के लिए कंपनी न्यायालय में जा सके। तब तक इन तर्कों के निष्कर्षों पर न्यायालय द्वारा आदेशित अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।

न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय में, विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति पर रोक समाप्त कर दी गई थी। केजी डी-6 ब्लाक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन अप्रैल, 2009 से आरंभ हुआ है। वर्तमान में, लगभग 31 एमएमएससीएमडी गैस का उत्पादन किया जा रहा है और शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के निर्णयों के अनुरूप उर्वरक तथा विद्युत कंपनियों को उसकी आपूर्ति की जा रही है।

इस समय, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) तथा रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आरएनआरएल) दोनों पक्षकार अलग-अलग सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं और 15 जून, 2009 के उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश को चुनौती दी है। सरकार को आरआईएल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में मध्यस्थ बनाया गया है।

(च) लाभ पेट्रोलियम के संबंध में सरकार का राजस्व अनेक अन्य कारकों के अलावा, परियोजना में खर्च की गई वास्तविक लागतों पर निर्भर होता है। सरकार द्वारा वसूल की रायल्टी खर्च की गई लागतों पर निर्भर नहीं होती है। इसलिए, संसूचित उत्पादन लागत विभेदकों के कारण राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्लोबल पोजिशिंनग सिस्टम (जीपीएस) लगाया जाना

*198. **श्रीमती सुप्रिया सुले :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढुलाई के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी के तेल के अन्यत्र उपयोग/अपमिश्रण को रोकने हेतु टैंक ट्रकों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लगाने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी के तेल के अन्यत्र उपयोग/अपमिश्रण के संबंध में सरकार को कोई अनुदेश जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी के तेल के अन्यत्र उपयोग/अपमिश्रण को रोकने में कितनी सफल रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) परिवहन के दौरान मिलावट की रोकथाम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को कंपनी स्वामित्व/डीलर स्वामित्व/ठेकेदार के स्वामित्व वाले सभी टैंक ट्रकों (टीटीज) के आवाजाही की पूरी निगरानी करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ओएमसीज के भंडारण स्थलों से पेट्रोल/डीजल की आपूर्तियों की सुपुर्दगी खुदरा बिक्री केन्द्रों और सीधे ग्राहकों तक करने के लिए ट्रकों द्वारा अपनाए गए मार्ग पूर्व निर्धारित होते हैं और यदि कोई विपथन होता है तो उसकी निगरानी की जा सकती है और विपथन के कारणों के लिए जांच भी की जा सकती है।

दिनांक 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज ने 26255 टीटीज पर जीपीएस सिस्टम का कार्य पूरा कर लिया है। ओएमसीज ने सूचित किया है कि सभी 29812 टीटीज पर सितंबर, 2009 तक यह कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट से संबंधित रिपोर्टों के बारे में वर्ष 2002 में 1985 की रिट याचिका संख्या 13029 के विषय में चिन्ता व्यक्त की है। उच्चतम न्यायालय के आदेश में दिल्ली को आपूर्ति किए जा रहे मिट्टी तेल की मात्रा के मद्देनजर अपमिश्रक के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे मिट्टी तेल की संभावना के विषय में उल्लेख किया है।

(ङ) व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) कदाचारों को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है। वीटीएस की पहल मिलावट के लिए एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र ओएमसीज के भंडारण केन्द्र से पेट्रोलियम उत्पाद के खुदरा बिक्री केन्द्रों तक परिवहन के दौरान मिलावट को रोकने के लिए की गई थी। इस पद्धति के माध्यम से ओएमसीज टीटीज की आवाजाही पर नजर रख सकती हैं और यदि प्राधिकृत मार्ग से कोई विपथन होता है तो उसे ध्यान में लिया जा सकता है और उद्योग परिवहन अनुशासन दिशानिर्देशों (टीडीजी) के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। यह पद्धति परिवहनकर्ता टीटी चालक दल के किसी बीच रास्ते के कदाचार में लिप्त होने पर रोकथाम के रूप में कार्य करती है।

सरकारी क्षेत्र के नवरत्न और मिनी रत्न उपक्रम

*199. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिन्हें आज की तारीख में नवरत्न/मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का दर्जा मिनी रत्न से बढ़ाकर नवरत्न करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दर्जा बढ़ाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलास राव देशमुख) : (क) आज की तारीख तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 18 उद्यमों ने नवरत्न तथा 59 उद्यमों ने मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है। नवरत्न एवं मिनीरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में मिनीरत्न श्रेणी के उद्यमों का नवरत्न श्रेणी में उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी ऐसे मिनीरत्न उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करता हो:–

(i) अनुसूची 'क' तथा मिनी रत्न श्रेणी-I का उद्यम हो;

(ii) समझौता ज्ञापन के सन्दर्भ में गत पांच वर्षों के दौरान कम से कम तीन वर्षों में 'उत्कृष्ट' अथवा 'अति उत्तम' श्रेणी प्राप्त की हो;

(iii) अपने निष्पादन के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान कार्यदक्षता सम्बन्धी निम्नलिखित छः मानदण्डों के सन्दर्भ में 100 अंकों में से 60 या इससे अधिक संयुक्त अंक प्राप्त किया हो;

निष्पादन सम्बन्धी मानदण्ड	अधिकतम अंक
निवल परिसम्पत्ति की तुलना में निवल लाभ	25
उत्पादन अथवा सेवा की लागत में श्रम की लागत	15
नियोजित पूंजी की तुलना में सकल मार्जिन	15
कुल कारोबार की तुलना में सकल लाभ	15
प्रति शेयर अर्जन	15
निवल परिसम्पत्ति की तुलना में निवल लाभ के आधार पर	20
जोड़	100

विवरण

नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

1. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
2. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
3. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
4. कोल इंडिया लिमिटेड

5. गेल (इंडिया) लिमिटेड
6. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
7. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
8. हिन्दुस्तान ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
9. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
10. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
11. एनएमडीसी लिमिटेड
12. एनटीपीसी लिमिटेड
13. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
14. पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
15. पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
17. शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18. स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी-I के केंद्रीय सरकारी उद्यम

1. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
2. बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड
3. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
4. बीईएमएल लिमिटेड
5. भारत संचार निगम लिमिटेड
6. बोंगईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
7. ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसलटेण्ट्स (I) लिमिटेड
8. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन
9. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
10. चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
11. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
12. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
15. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
16. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
17. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड
19. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
20. हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
21. हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
22. इंडिया टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
23. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
24. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
25. कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड
26. मझगांव डॉक्स लिमिटेड
27. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
28. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड
29. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
30. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
31. एमएमटीसी लिमिटेड
32. एमएसटीसी लिमिटेड
33. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
34. नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन
35. एनएचपीसी लिमिटेड

36. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

37. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

38. ऑयल इंडिया लिमिटेड

39. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

40. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

41. राइट्स लिमिटेड

42. सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड

43. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

44. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

45. टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेण्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

46. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी-II के केंद्रीय सरकारी उद्यम

47. सेण्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

48. एजुकेशनल कंसलटेण्ट्स (आई) लिमिटेड

49. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई) लिमिटेड

50. फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड

51. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

52. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

53. इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन

54. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

55. मेकॉन लिमिटेड

56. नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

57. पीईसी लिमिटेड

58. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

59. वाटर एंड पावर कंसलटेंसी (इंडिया) लिमिटेड

कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस पाइपलाइन

*200. **श्री टी.आर. बालू :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन को दक्षिणी राज्यों से जोड़ने के लिए प्रस्तावित पाइपलाइनें अभी तक नहीं बिछाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इन पाइपलाइनों को बिछाए जाने में विलंब के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस ब्लाक से देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक गैस की संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) केजी बेसिन से मिलने वाली गैस को दक्षिणी राज्यों में पहुंचाने के उद्देश्य से, सरकार ने विजयवाड़ा-नेल्लौर-चेन्नै, चेन्नै-बंगलौर-मंगलौर और चेन्नै-तुतीकोरिन पाइपलाइनें बिछाने के लिए प्राधिकारी जारी कर दिया है। सरकार ने इन पाइपलाइनों को बिछाने के लिए, प्रयोक्ता के अधिकार के अर्जन के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता का अर्जन का अधिकार) अधिनियम, 1962 के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। जैसा कि संबंधित कंपनी द्वारा सूचित किया गया है, संपूर्ण लंबाई के लिए मार्ग को अंतिम रूप दे दिया गया है और टोही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विजयवाड़ा-नेल्लोर-चेन्नै पाइपलाइन के लिए, मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता का अर्जन का अधिकार) अधिनियम, 1962 की धारा 3(1) के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(ग) देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक गैस की संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद पाइपलाइन (1385 कि.मी.) इस वर्ष चालू कर दी गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने काकीनाडा-बासुदेवपुर-हल्दिया और हल्दिया-जगदीशपुर पाइपलाइनें बिछाने के लिए प्राधिकार भी जारी कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य कार्यों के साथ-साथ, देश भर में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए, जनता और निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने ''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006'' अधिनियमित किया है।

गुजरात में हथकरघा उद्योग

1634. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हथकरघा उद्योग के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात में बुनकर समुदाय को दी गयी केन्द्रीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इन सहायताओं का कितना उपयोग किया गया है;

(घ) क्या इस धनराशि का दुरुपयोग ध्यान में आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) भारत सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य सहित देशभर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:–

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना।
2. विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना।
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

(ख) इस विभाग में केन्द्रीय सहायता का जिलावार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में हथकरघा बुनकरों के समग्र विकास और कल्याण के लिए गुजरात राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्रम सं.	वित्त वर्ष	गुजरात राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)
1.	2006-07	4.90
2.	2007-08	1.95
3.	2008-09	2.09
4.	2009-10 (01.07.2009 तक)	–

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई कुल 8.94 करोड़ रुपये की राशि में से राज्य सरकार ने 6.15 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

(घ) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों का निजीकरण

1635. श्री एस.एस. रामासुब्बु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों के कार्यकरण का निजीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में और अधिक विमानपत्तनों का निजीकरण किये जाने के प्रस्ताव आने वाले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारीगण हाल ही में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गये थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(छ) इस मुद्दे को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों की पुनर्संरचना दो संयुक्त

उद्यम कंपनियों (जेवीसी) का गठन करके की गई है जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की 26% इक्विटी है और शेष 74% इक्विटी निजी भागीदारों द्वारा धारित है। इसके लिए, एएआई ने जेवीसी के साथ प्रचालन, प्रबंध तथा विकास करार (ओएमडीए) किये हैं। हवाईअड्डों के प्रचालन दिनांक 3.5.2006 से जेवीसी को सौंपे दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, एएआई की कर्मचारी यूनियन ने आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली तथा सीएसआई एयरपोर्ट, मुंबई के कर्मचारियों को ओएमडीए की शर्तों के अनुसार प्रचालन समर्थन अवधि की समाप्ति के बाद अन्य हवाईअड्डों तथा एएआई की स्थापना में उनकी पुनर्नियुक्ति के विरोध में दिनांक 1.5.2009 को रात्रि 00.00 बजे से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था।

(छ) हड़ताल से बचने और कर्मचारियों की मांगों का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए:–

क. नागर विमानन मंत्रालय, एएआई तथा एएआई एम्प्लाईज ज्वाइंट फोरम के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक त्रिपक्षीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है जो अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा समेत उनसे संबंधित मुद्दों पर ध्यान देगी। त्रिपक्षीय समिति ने अपनी अनेक बैठकों में कर्मचारियों की शिकायतों तथा पुनर्तैनाती से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

ख. दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों पर नियुक्त कर्मचारियों की एएआई के अन्य हवाईअड्डों और उनकी स्थापना में पुनर्तैनाती, वरिष्ठता के लिए जारी दिशा-निर्देशों के साथ उनकी पसंद के तैनाती स्थान के बारे में विकल्प मांगे गये।

ग. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष अथवा शेष सेवा, जो भी कम हो, के लिए अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के साथ 60 दिनों का अनुग्रह भुगतान का प्रावधान किया गया। यह योजना दिनांक 31.7.2009 तक दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डे के कर्मचारियों के लिए खोली गई है।

घ. कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार दिल्ली तथा मुंबई स्थित स्थापना में रखा गया है और शेष कर्मचारियों को उनकी पसंद के स्टेशन के अनुसार पुनर्तैनात किया गया है।

ङ इसके अतिरिक्त, सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा एएआई की यूनियनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के लिए दिनांक 30.4.2009 को एक बैठक बुलाई गई।

उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में भर्ती प्रक्रिया

1636. श्री राजेन गोहेन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 से उत्तर पूर्व सीमांत (एनएफ) रेलवे के लुमडिंग मंडल में खेलकूद कोटा से भर्ती बंद कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या इस निलंबन को समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक प्रत्येक विशिष्ट शिक्षा शाखा में कितनी भर्ती की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) लमडिंग मंडल में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण वर्ष 1997 से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग मंडल में खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती नहीं की जा सकी।

वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम

1637. श्री राजैया सिरिसिल्ला : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 31,000 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से वस्त्र क्षेत्र में पंचवर्षीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं। सरकार का वस्त्र क्षेत्र में 31,000 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से पंचवर्षीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्याय में विलम्ब

1638. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय परिदान प्रणाली में विलम्ब के कारण कारावासों में कैदियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषसिद्धि के बिना कैद काट रहे व्यक्तियों के त्वरित विचारण हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) देश के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की, जिनमें दोषसिद्धि ठहराए गए कैदी, विचाराधीन कैदी, नजरबंद और अन्य कैदी सम्मिलित हैं, कुल संख्या नीचे दी गई है:–

वर्ष	2005	2006	2007
वर्ष के अंत में कुल कैदियों की संख्या	3,58,368	3,73,271	3,76,396

यद्यपि जेलों में बंद कैदियों की संख्या में वृद्धि हुई है, किन्तु इसके लिए मात्र न्याय प्रदाय प्रणाली को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) और (घ) त्वरित निपटान न्यायालयों को सेशन न्यायालयों में काफी लंबे समय से लंबित मामलों और विचाराधीन कैदियों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। दांडिक विचारणों और अपीलों के निपटारे में विलंब को कम करने के लिए और साथ ही विचारणाधीन कैदियों के उत्पीड़न को कम करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सौदा अभिवाक् की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। न्यायालयों में मामलों को शीघ्र निपटान के सुकर बनाने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की एक स्कीम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय कपास निगम

1639. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ हिस्सों में स्थान की कमी के कारण भारी मात्रा में कपास खुले स्थानों पर पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट से निपटने के लिए भारतीय कपास निगम द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अचानक अत्यधिक न्यूनतम समर्थन अभियानों के कारण प्रारम्भ में भंडारण के लिए स्थान की कमी थी, परन्तु समीपस्थ क्षेत्रों में भंडारण स्थान/गोदाम किराए पर लेकर और कपास का शीघ्र निपटान करके इस ओर ध्यान दिया गया है।

वस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र

1640. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक सहित देश में वस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव कर रही है ताकि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किये जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में एलपीजी संवितरण

1641. श्री यशवंत लागुरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार उड़ीसा में कितने एलपीजी वितरक हैं;

(ख) तत्संबंधी कंपनी-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान एलपीजी वितरकों के विरुद्ध कदाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान ऐसे वितरकों के विरुद्ध सरकार द्वारा जिला-वार की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) दिनांक 1.7.2009 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां उड़ीसा राज्य में 180 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही हैं। कंपनी-वार/जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज ने उड़ीसा राज्य में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विभिन्न कदाचारों के 66 सिद्ध मामलों का पता लगाया है। चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई थी। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बंद नहीं किया गया था।

विवरण

1.7.2009 को उड़ीसा राज्य में कंपनीवार/जिलावार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या

जिला	आंकड़े संख्या में			
	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
1	2	3	4	5
अंगुल	4	3	3	10
बालासोर	4	2	1	7
बारगढ़	1	0	2	3
भद्रक	0	2	1	3
बोलांगिर	2	0	4	6
बौध	1	0	0	1
कटक	10	2	7	19
देवगढ़	0	0	1	1
धेंकनाल	2	1	2	5
गजपति	0	1	2	3
गंजम	11	4	5	20
जगतसिंहपुर	3	0	1	4
जजपुर	2	1	1	4
झारसूगुडा	2	1	2	5
कालाहांडी	3	0	1	4
केन्द्रपाड़ा	1	1	1	3
क्योंझर	5	0	5	10
खुर्दा	7	5	8	20
कोरापुर	1	1	5	7
कंधमाल	0	0	1	1
मलकागिरि	1	0	0	1
मयूरभंज	1	2	3	6
नवापाड़ा	1	0	0	1
नवरंगपुर	1	0	1	2
नयागढ़	0	2	0	2
पुरी	3	2	2	7

1	2	3	4	5
रायगढ़	1	0	6	7
संबलपुर	3	2	4	9
सोनपुर	1	0	1	2
सुंदरगढ़	8	4	4	16
अखिल भारत	79	36	74	189

[अनुवाद]

सीसीआई तथा एचएमटी को हुआ घाटा

1642. श्री नृपेन्द्र नाथ राय : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) घाटा उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना घाटा हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सीसीआई तथा एचएमटी का पुनरुद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ङ) इन कंपनियों का पुनरुद्धार कब तक पूर होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) **सीसीआई** – पिछले चार वर्षों से निवल लाभ अर्जित कर रहा है।

एचएमटी – एचएमटी लि. और इसकी सहायक कंपनियां, एचएमटी इंटरनेशनल को छोड़कर, हानि उठा रही है।

(ख) **सीसीआई** – लागू नहीं।

एचएमटी – पिछले तीन वर्षों के दौरान एचएमटी समूह की कंपनियों की हानि इस प्रकार है:–

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09
करोड़ रुपये	-259.17	-300.15	-353.57

निर्धारित से कम निष्पादन के कारण इस प्रकार है:– अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मंदी का माहौल, पुरानी उत्पादन प्रौद्योगिकी, पुराने संयंत्र और मशीनरी, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा।

(ग) और (घ) **सीसीआई** – माननीय बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत 802.05 करोड़ रु. की पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित की जा रही है।

एचएमटी – एचएमटी मशीन टूल्स लि. के लिए 880.80 करोड़ रु., एचएमटी बेयरिंग्स लि. के लिए 51.37 करोड़ रु. और प्रागा टूल्स लि. के लिए 214.71 करोड़ रु. के पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किए जा चुके हैं। हानि उठा रही अन्य कंपनियों के संबंध में उनके पुनरुद्धार हेतु अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(ङ) **सीसीआई** – स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के अनुसार इसे दूसरे चरण की शुरूआत की तारीख अर्थात 14.7.2008 से 2 वर्षों में पूरा किया जाना है।

एचएमटी – स्वीकृत पुनरुद्धार योजना को एचएमटी मशीन टूल्स लि. के लिए 2011-12 तक और एचएमटी बेयरिंग्स लि. के लिए 2010-11 तक पूरा किया जाना है और प्रागा टूल्स के लिए यह योजना पूरी हो चुकी है।

[हिन्दी]

न्यायालयों की स्थापना

1643. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये न्यायालय स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) जी, हां।

(ख) राजपत्र में तारीख 9.1.2009 को अधिसूचित ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की अधिनियमन के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और क्रमशः असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के भीतर संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 के नीचे दी गई सारणी के भाग 1, भाग 2, भाग 2क और भाग 3 में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर राज्यों में न्यायालयों के एक नए टियर की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम में यह उपबंध है कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या साथ लगी हुई पंचायतों के एक समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है वहां साथ लगी हुई ग्राम पंचायतों के एक समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे उनके राज्यों में वर्षवार स्थापित किए जाने वाले ग्राम न्यायालयों की संख्या के संबंध में ब्यौरे-वार योजनाओं की संसूचना दें, जिनके अंतर्गत इन ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने के लिए वित्तीय प्राक्कलन भी सम्मिलित हों। अभी तक यह अधिनियम किसी राज्य के संबंध में प्रवृत्त नहीं हुआ है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 18 लाख रुपए प्रति न्यायालय की दर से इन न्यायालयों की स्थापना की अनावर्ती लागत के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए 6.40 लाख प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष की दर से आवर्ती व्यय के 50% की केन्द्रीय उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया है। चूंकि, अपेक्षित निधियां राज्यों द्वारा, स्थापित किए जाने वाले ग्राम न्यायालयों के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाने वाली मांग पर निर्भर करती हैं, इसलिए इस वर्ष के बजट संबंधी आबंटनों में इस स्कीम के लिए अभी तक केवल 1.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक उपबंध प्रस्तावित किया गया है।

[अनुवाद]

नये विमानपत्तनों का निर्माण

1644. श्री नवीन जिन्दल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आगामी दो वर्षों में कोई नया विमानपत्तन बनने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा में एक विमानपत्तन बनाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) अगले दो वर्षों में सिक्किम में पेक्यांग, कर्नाटक में शिमोगा, गुलबर्गा, बीजापुर और हासन में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) हरियाणा में झज्जर में एक कार्गो हवाईअड्डे की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एसएसपी के मूल्य निर्धारण को तर्कसंगत बनाना

1645. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के मूल्यन में एकरूपता लाने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) की मूल्यनिर्धारण प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) सरकार उर्वरक राजसहायता को तर्कसंगत बनाने के लिए पोषकतत्व आधारित राजसहायता सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। जैसे ही सरकार द्वारा इस पर विचार करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, योजना के अंतर्गत पोषक तत्वों के लिए राजसहायता सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) सहित सभी फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर समान रूप से लागू हो जाएगी। दिनांक 1 मई, 2008 से 30 जून, 2009 तक एसएसपी के लिए रियायत रॉक सल्फेट/सल्फर के आदान मूल्यों के आधार पर उपलब्ध कराई गई थी। अधिकतम खुदरा मुल्य अखिल भारत स्तर पर 3400/- रुपए प्रति मी.टन पर एकसमान निर्धारित की गई थी। तथापि, यह पाया गया है कि एसएसपी सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है और इसकी बिक्री राज्य में केवल उत्पादन के स्तर तक ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्धारित एमआरपी से भाड़े पर कम वसूली होने के कारण एसएसपी के परिवहन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। चूंकि यह नीति 30.6.2009 को समाप्त हो चुकी है अतः सरकार एसएसपी के लिए

एक नई नीति को 1 जुलाई, 2009 से लागू करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

ओएनजीसी को घाटा

1646. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2008-09, 2009-10 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तेल और प्राकृतिक गैस निगम के निवल लाभ में कमी दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कंपनी के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के निवल लाभ में वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में आई कमी के कारण निम्नानुसार हैं–

(1) तेल के मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को राजसहायता का अधिक भार।

(2) अंतर्वाह तेल क्षेत्र की सेवाओं और सामग्रियों की लागत में वृद्धि होना।

(3) वर्ष के दौरान, वेधन, सर्वेक्षण और उत्पादन की लागत मे वृद्धि होना।

(4) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अमरीकी डालर से भारतीय रुपये में विनिमय दर में लगभग 14% की वृद्धि होना।

(5) राव्वा संयुक्त उद्यम आदि के संबंध में लाभ पेट्रोलियम की अतिरिक्त मांग होना।

(ग) कंपनी को कोई हानि नहीं हुई है, निवल लाभ में कुछ गिरावट ही दर्ज की गई है।

धौलपुर से करौली रेलमार्ग

1647. डॉ. किरोड़ीलाल मीणा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राजस्थान में धौलपुर से करौली को रेलमार्ग से जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दौसा से गंगापुर (राजस्थान) रेल मार्ग को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रेलमार्ग के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ङ) उक्त कार्य में कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। धौलपुर-सिरमथुरा छोटी लाइन खंड के आमान परिवर्तन और करौली के रास्ते गंगापुर सिटी तथा इसके विस्तार के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 93 किमी. लंबी नई लाइन परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 410.08 करोड़ रुपए है। वर्ष 2009-10 के दौरान इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा।

[अनुवाद]

बलात्कार मामलों के लिए कानून

1648. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून अधिनियमित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग सहित अनेक तबकों से बलात्संग विधियों संबंधी उपबंधों में संशोधनों के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। भारतीय विधि आयोग ने ''बलात्संग विधियों का पुनर्विलोकन'' संबंधी विषय

पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में अपराध के परिधि क्षेत्र को व्यापक बनाने और इसे लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने के लिए परिवर्तनों की सिफारिश की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और धारा 376क से 376घ में विभिन्न अन्य परिवर्तनों की सिफारिश की गई है और साथ ही अविधिपूर्ण लैंगिक स्पर्श से संबंधित एक नई धारा 376ङ अंत:स्थापित करने, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में अंतर्विष्ट दंड को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में भी परिवर्तन करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि कार्यान्वियन के लिए 11वीं योजना में ''बलात्संग पीड़ितों को अनुतोष और उनका पुर्नवास'' नामक एक स्कीम को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावित स्कीम पीड़ितों को तुरंत वित्तीय अनुतोष उपलब्ध कराने और साथ ही उनके पुर्नवास के लिए भी उपबंध करने की परिकल्पना करती है।

दंड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2008 में, अन्य बातों के साथ, बलात्संग के पीड़ितों सहित पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के संदाय और उनके पुनर्वास संबंधी एक प्रस्ताव अंतर्विष्ट है।

[हिन्दी]

शिमला में रेल संग्रहालय

1649. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का शिमला में एक रेल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथ्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) 2004-05 में 47.68 लाख रुपए की कुल लागत पर इस कार्य को स्वीकृति दी गई थी। इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कार्य में तेजी लाई जा रही है।

पर्यावरण अनुकूल ईंधन

1650. श्री राकेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का वैश्विक तापन संकट के मद्देनजर पर्यावरण के अनुकूल ईंधन शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दिशा में पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जबलपुर द्वारा परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) रेलों की जैविक-डीजल तथा सी एन जी (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) का उपयोग करने की योजना है। गाड़ियों में जैविक डीजल के 10% मिश्रण का उपयोग करके सफल प्रयोगशाला परीक्षण किए गए हैं। परीक्षण भी पूरे किए गए हैं तथा डी एम यू (डीजल मल्टीपल इकाई) की एक कार को सी एन जी तथा डीजल का उपयोग करते हुए दोहरे ईंधन प्रणाली पर चलाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

रूस से तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद

1651. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी निबंध एवं शर्तें क्या हैं; और

(ग) रूस से तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद किस लागत से की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) भारत ने रूस के तेल और गैस क्षेत्र की अन्वेषण और विकासात्मक परियोजनाओं की भागीदारी में अभिरूचि व्यक्त की है। इस समय ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) दो उत्पादक परियोजनाओं नामत: सखालीन-1 परियोजना और इम्पीरियल एनर्जी परियोजना से उत्पादन प्राप्त कर रही है। इन परियोजनाओं में ओवीएल के पास अपने हिस्से का तेल और गैस भारत में नकद या वस्तु रूप में लाने का विकल्प है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, सखालीन-1 परियोजना, रूस के संबंध में कच्चे तेल और गैस का औसत बिक्री मूल्य क्रमश: लगभग अमरीकी डालर 87/बैरल और अमरीकी डालर 90 किलो घन मीटर (केसीएम) था। मात्र वित्तीय वर्ष 2008-09 (जनवरी, 2009 से मार्च, 2009 के दौरान, इम्पीरियल एनर्जी के संबंध में निर्यातित कच्चा तेल (एफओबी प्रिमोर्स्क) का औसत मूल्य, क्योंकि अर्जन जनवरी, 2009) में पूरा हुआ था, अमरीकी डालर लगभग 43/बैरल है। तथापि इस समय रूस से तेल और गैस का आयात करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

केरोसीन सब्सिडी को प्रत्यक्ष नकद प्रणाली में बदलना

1652. श्री संजयसिंह चौहान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को दी जाने वाली केरोसीन सब्सिडी को प्रत्यक्ष नकद प्रणाली में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना को पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों और उसके बाद शहरी क्षेत्रों में लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दृष्टिकोण-2015 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी तेल पर राजसहायता का सीधा नकद अंतरण लाभभोगियों के खाते में करने की संभावना का अध्ययन करने का प्रस्ताव किया गया है, और यदि यह व्यवहार्य पाया जाएगा तो इसे अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा।

[अनुवाद]

राजस्थान में नई रेलवे लाइन

1653. श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को राजस्थान सरकार से राज्य में नई रेलवे लाइन शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) नई लाइनों के संबंध में राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्ताव और अब तक उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	प्रस्ताव का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	सबसे छोटे मार्ग के रास्ते जैसलमेर की नागपुर से जोड़ने के लिए फलौदी को नागपुर और कोलायत से जोड़ना	फलौदी कोलायत के बीच बड़ी आमान वाली लाइन पहले से विद्यमान है जो जैसलमेर से बीकानेर के बीच अपेक्षाकृत छोटा मार्ग है। फलौदी-नागपुर (147 किमी.) नई बड़ी लाइन हेतु अधतन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।
2.	औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी को जोड़ने के लिए भिवाड़ी को दिल्ली-अहमदाबाद बड़ी आमान रेलवे लाइन से जोड़ना	एक अधतन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3
3.	गंगापुर सिटी को धौलपुर से जोड़ना और धौलपुर से सिरमुतरा तक आमान परिवर्तन	गंगापुर सिटी तक विस्तार सहित धौलपुर-सिरमुतरा के आमान परिवर्तन हेतु अधतन सवेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।
4.	डुंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम और निंबेहड़ा तक विस्तार	2009-10 के रेल बजट में रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर नई लाइन हेतु सर्वेक्षण के एक कार्य का प्रस्ताव किया गया है।
5.	हमरिया के रास्ते जैसमलमेर से सानु	जैसलमेर-सानु (25 किमी.) नई ब.ला. लाइन हेतु अलग से सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है। बहरहाल, अनूपगढ़-खजूवाला-जैसलमेर-रामगढ़ नई ब.ला. लाइन (431 किमी.) के लिए टोही इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य किया गया था और लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका था।
6.	लोहारू-पिलानी-मंदरेला-अलसिसार-मलसिसार और बिसु के रास्ते भिवानी से चुरू तक	लोहारू-भिवानी नई ब.ला. लाइन (64 किमी.) हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। संसाधनों की तंगी और इसकी अलाभप्रद प्रकृति के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पिलानी-मंदरेला-अलसिसार-मलसिसार (100 किमी.) के रास्ते लोहारू से चुरू तक नई ब.ला. लाइन को संसाधनों की तंगी के मद्देनजर व्यावहारिक नहीं पाया गया।
7.	टोंक जिले को बड़ी आमान वाली रेल लाइन द्वारा मुख्यालय से जोड़ने और कस्बा गंगापुर-भीलवाड़ा-बनेरा-शाहपुरा-केकड़ी-मालपुरा-दिग्गी-फग्गी-संगनेर के रास्ते जयपुर से नाथवाड़ा तक नई रेल लाइन	दिग्गी-मालपुरा-केकड़ी-शाहपुरा-बनेरा-भीलवाड़ा-गंगापुर (350 किमी.) के रास्ते नाथवाड़ा तक नई ब.ला. लाइन हेतु विगत में एक सर्वेक्षण किया गया था परंतु परियोजना को आरंभ नहीं किया जा सका था। बहरहाल, अजमेर-मरवाड़ और बूंदी-चित्तौड़गढ़ के रास्ते जयपुर और नाथवाड़ा, पहले ही रेल लाइन से ही जुड़े हुए हैं। मावली और नाथवाड़ा के बीच गोंटलेट रेलपथ द्वारा बड़े आमान संपर्क को स्वीकृति दे दी गई है।
8.	बिलारा से बाड़ तक रेल लाइन तथा पिपाड़ रोड से बिलारा तक आमान परिवर्तन	2009-10 के रेल बजट में बिलारा से बाड़ तक नई बड़ी लाइन हेतु एक अधतन सर्वेक्षण कार्य को शामिल किया गया है। पिपाड़ रोड-बिलारा आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है।
9.	जैसलमेर-बाड़मेर	यह जैसलमेर-कांडला नई बड़ी आमान वाली लाइन का एक भाग है जिसके सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। इसे शुरू करने हेतु प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।
10.	अजमेर-मेड़ता रोड	अजमेर-पुष्कर (31 किमी.) नई ब.ला. लाइन का कार्य प्रगति पर है। पुष्कर-मेड़ता सिटी (40 किमी.) हेतु अधतन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड (15 किमी.) पहले से ही बड़ी आमान वाला खंड है।

1	2	3
11.	रामगढ़ के रास्ते अनूपगढ़ से खजुवाला तक	अनूपगढ़-खजुवाला-जैसलमेर-रामगढ़ नई ब.ला. लाइन परियोजना (431 किमी.) हेतु टोही इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। रेलवे लाइन के अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत परियोजना पर विचार नहीं किया जा सका।

रेल परिवहन का उपलब्ध न होना

1654. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल परिवहन की अनुपलब्धता के कारण केरल में उर्वरक की भारी कमी है;

(ख) क्या राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार रेलवे ने कझाक्कुट्टम रेलवे स्टेशन पर कोई रेल 'हेड प्वाइंट' बनाने की संभाव्यता की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कझाक्कुट्टम स्टेशन पर माल शेड के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है बहरहाल, इस मुद्दे की रेलवे द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की गई और पाया गया कि बहुत कम यातायात संभावनाओं के कारण इस स्टेशन पर मालशेड की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे कर्मशाला

1655. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आवश्यक अवसंरचना से सुसज्जित कर्मशाला की बजाए बीकानेर मुख्यालय स्थित रेलवे कर्मशाला को कार्य सौंप रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कर्मशाला का पुनरूद्धार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) इस कारखाने को प्रतिमाह मीटर आमान के 25 सवारी डिब्बों और मीटर लाइन के 10 माल डिब्बों के अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, कारखाने को बड़ी लाइन के पुराने माल डिब्बों के पुन: स्थापना का कार्य भी आबंटित किया गया है।

(ग) पूर्ण नवीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर विभिन्न मशीन एवं संयंत्र तथा अन्य परिसंपत्तियों का बदलाव किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानों का आरक्षण

1656. श्री महाबली सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 200 किमी. से कम दूरी की यात्रा के लिए अग्रिम सीट आरक्षण का उपबंध 21 मई, 2009 से समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य

1657. श्री उदय सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेषज मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करते समय कितने विपणन एवं प्रशासनिक व्यय की अनुमति है;

(ख) जन औषधि के अधीन मूल्यों की तुलना में ''अनुसूचित दवाओं'' का मूल्य कितना अधिक है;

(ग) क्या सरकार का विचार दवाओं के मूल्य को एक समान ढांचे में रखने हेतु बाजार आधारित मूल्यों की बजाए सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आचार संहिता लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) डीपीसीओ, 1995 के अनुच्छेद 7 के अनुसार, अनुसूचित दवाइयों के खुदरा मूल्य, सामग्री लागत (एमसी), कन्वर्जन लागत (सीसी), पैकेजिंग सामग्री (पीएम), पैकेजिंग शुल्क (पीसी) एवं अधिकतम अनुमत्य विनिर्माण उपरांत व्यय (एमएपीई) को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। ''एमएपीई'' का तात्पर्य विनिर्माता द्वारा एक्स-फैक्ट्री लागत स्तर से रिटेलिंग तक तथा ट्रेड मार्जिन एवं विनिर्माता के मार्जिन सहित, विनिर्माता द्वारा वहन की गई सभी लागतें शामिल हैं और यह अनुसूचित फार्मूलेशनों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी आयातित फार्मूलेशनके मामले में, ब्याज और आयातक के लाभ सहित विक्रय एवं वितरण व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसे मार्जिन के साथ, इसके मूल्य को निर्धारित करने के लिए अवतरित लागत आधार होती है, जो अवतरित लागत के 50% से अधिक नहीं होगी।

(ख) जन औषधि भंडारों में गुणवत्तापूर्ण गैर-ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां बेची जाती है। औसतन गैर-ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड गैर-अनुसूचित दवाइयों की तुलना में लगभग 50% तक सस्ती होती हैं।

(ग) और (घ) सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से जन औषधि स्टोर्स खोलकर जन औषध अभियान के माध्यम से सभी के लिए वाजिब मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण गैर-ब्रांडेड जेनरिक दवाओं की संकल्पना को संवर्द्धित करने में लगी है।

कृष्णा गोदावरी डेल्टा का पानी में डूबना

1658. श्री रूद्रमाधव राय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस एवं तेल के दोहन के कारण कृष्णा गोदावरी डेल्टा के जलमग्न होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) भूमि के धंसाव के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय की रिपोर्ट क्या है तथा इसके अंतर्गत कुल कितनी भूमि शामिल की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या निवारक कदम उठाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं में गैस और तेल अन्वेषण के कारण भूमि धंसने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग) और (घ) तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाएं, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत आती हैं और इनके लिए पहले पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा तेल और गैस अन्वेषण प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। भूमि धंसने पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

तेल शोधनशालाओं का विस्तार/उन्नयन

1659. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रही तेल शोधनशालाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार तेल शोधनशालाओं की प्राक्कलित लागत का संशोधन करने तथा कतिपय शोधनशालाओं का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो पारादीप आयल रिफाइनरी की संशोधित प्राक्कलित लागत कितनी है;

(घ) पारादीप आयल रिफाइनरी के विस्तार हेतु क्या विशेष प्रस्ताव लाए गए हैं तथा इसमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने संबंधी निर्धारित तिथि क्या है; और

(ङ) पारादीप आयल रिफाइनरी की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है तथा देश में विभिन्न शोधित पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) देश में इस समय 20 तेल शोधनशालाएं हैं। इनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 3 निजी क्षेत्र में हैं। इनकी कुल शोधन क्षमता 177.97 एमएमटीपीए है।

(ख) शोधनशाला परियोजनाओं की लागत, जिसमें शोधनशालाओं का विस्तार भी शामिल है, इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती है।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन के बोर्ड ने 29,777 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित लागत पर फरवरी, 2009 में पारादीप में 15 एमएमटीपीए की ग्रासरूट शोधनशाला के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना को पूरा करने का कार्यक्रम मार्च, 2012 से जुलाई, 2012 तक उत्तरोत्तर आधार पर है जिसमें नवंबर, 2012 तक इस शोधनशाला का पूर्णत: स्थिरीकरण शामिल है।

(ङ) पारादीप शोधनशाला की स्थापित क्षमता 15 एमएमटीपीए होगी। वर्ष 2008-09 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 133.4 एमएमटी (अनन्तिम) होने का अनुमान है। ऊपर उल्लिखित खपत में निजी कंपनियों द्वारा आयातित पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल हैं।

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

1660. डॉ. के.एस. राव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उर्वरकों की मांग, उत्पादन और आयात की मात्रा वर्ष-वार कितनी है;

(ख) उर्वरकों के बढ़ते मूल्य का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) उत्पादक संघ के प्रभाव से घरेलू उर्वरक उद्योग की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार डीएपी की अत्यधिक लागत के प्रभावों से उबारने हेतु डीएपी डीलरों को पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) की मांग (आवश्यकता), उत्पादन और आयात निम्नानुसार है:-

(लाख मी.टन)

वर्ष	वितरण	यूरिया	डीएपी	एमओपी
2006-07	आवश्यकता	249.46	81.29	33.23
	उत्पादन	203.07	48.50	
	आयात	47.18	28.41	34.48
2007-08	आवश्यकता	271.70	89.21	36.13
	उत्पादन	198.48	42.15	
	आयात	69.27	29.78	44.31
2008-09	आवश्यकता	281.33	94.82	37.85
	उत्पादन	198.99	29.88	
	आयात	56.66	66.31	43.46

(ख) से (घ) फरवरी, 2002 के बाद से उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में कोई वृद्धि नहीं हुई है। डीएपी के उत्पादन/आयात मूल्य तथा एमआरपी के बीच के अंतर को केन्द्र सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है। इसलिए, जहां तक किसानों द्वारा देय मूल्य का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के बढ़े मूल्यों का किसानों या डीलरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि वे केवल लागत के एमआरपी घटक का ही भुगतान कर रहे हैं।

विदेशी संस्थानों में अधिकारियों को प्रशिक्षण

1661. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय अधिकारियों की शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षमता में सुधार लाने हेतु उन्हें ख्याति प्राप्त विदेशी संस्थान में प्रशिक्षण के लिए नामांकित करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल कितने व्यक्ति विदेश भेजे गए;

(ग) उनके प्रशिक्षण पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गैर वाणिज्यिक क्रियाकलापों पर मंत्रालय द्वारा कुल कितना व्यय किया गया तथा इसे कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) विदेशी संस्थानों में अधिकारियों के प्रशिक्षण का समन्वय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग आदि द्वारा किया जाता है और उस पर हुए खर्च को उन्हीं के द्वारा वहन किया जाता है।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा किए गए खर्च को वाणिज्यिक अथवा गैर-वाणिज्यिक रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधियों का प्रावधान पारित अथवा प्रभारित, राजस्व अथवा पूंजी और योजना अथवा गैर-योजना के अंतर्गत किया जाता है और खर्च को भी तदनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए खर्च

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	प्रमुख शीर्ष पारित/राजस्व	2006-07		2007-08		2008-09	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
1.	3451-सचिवालय आर्थिक सेवा	1135.02	0.00	1000.17	0.00	14.73	0.00
2.	2802-पेट्रोलियम						
	घरेलू एलपीजी तथा पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता	2523.7576	0.00	2640.5995	0.00	2688.43	0.00
	दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए खुदरा पेट्रोलियम उत्पादों पर भाड़ा राजसहायता	25.2668	0.00	28.2725	0.00	22.22	0.00
	उत्तर पूर्व क्षेत्र में गैस की आपूर्ति के लिए ओआईएल को राजसहायता	149.8633	0.00	151.2716	0.00	141.64	0.00
	पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड	0.0193	0.00	2.4581	0.00	3.00	0.00
	पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी	0.00	0.00	0.4400	0.00	1.57	0.00
	एपीएम के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए तेल कंपनियों को प्रतिपूर्ति	57.1460	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00
3.	योग (क)	2756.0530	0.00	2833.0434	0.00	2880.89	0.00
4.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिक संस्थान (ख)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
5.	कुल योग (क+ख)	2756.0530	0.00	2833.0434	0.00	2880.89	25.00

वस्त्र उद्योग में निवेश

1662. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वस्त्र उद्योग में राज्य-वार कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कपड़ा मिलों, विद्युत करघा, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में अलग-अलग कुल कितनी पूंजी का राज्य-वार, वर्ष-वार निवेश किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र का औसत कारोबार कितना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वस्त्र क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1999 में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और वर्ष 2005 में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) शुरू किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग में कुल निवेश नीचे दिया गया है:–

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2006-07	90369
2007-08	31161
2008-09	46613

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वस्त्र मिलों, विद्युतकरघों, हथकरघों और परिधान उद्योग में निवेशित पूंजी निम्नलिखितानुसार है:–

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09
वस्त्र मिल	25420.23	7644.15	16429.32
विद्युतकरघा	344.50	179.60	189.75
हथकरघा	195.67	292.58	324.44
परिधान उद्योग	5086.69	1529.63	3287.58

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

वर्ष-वार, राज्य-वार निवेश मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रत्येक क्षेत्र का औसत कारोबार मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

कसावा (टैपियोका) का प्रसंस्करण

1663. श्री पी.टी. थॉमस : क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में कसावा के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कसावा के प्रसंस्करण की संभाव्यता का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या वित्तीय सहायता दी जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना तथा आधुनिकीकरण संबंधी अपनी योजना स्कीम के तहत स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार, कसावा के प्रसंस्करण समेत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों समेत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमें परियोजना विशिष्ट हैं न कि राज्य विशिष्ट। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को कसावा प्रसंस्करण इकाइयां स्वयं स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अब तक कसावा के प्रसंस्करण की संभाव्यता का अध्ययन नहीं किया है क्योंकि कसावा समेत विशेष उत्पाद की संभाव्यता का अध्ययन, कच्ची सामग्री के उत्पादन एवं गुणवत्ता, तैयार उत्पादों के स्वदेशी/निर्यात बाजार संभावना, मूल्यवर्धन हेतु भावी मांग तथा परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

देश में कसावा प्रसंस्करण समेत खाद्य प्रसंस्करण के संवर्धन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीमों की विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से

जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वित्तीय सहायता के त्वरित संवितरण के लिए, मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के तहत 01.04.2007 से बैंकों के जरिए संवितरण प्रक्रिया को विकेंद्रित किया है।

भेषज फर्मों से अर्थदण्ड की वसूली

1664. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा भेषज फर्मों से दवाओं के अधिक मूल्य अंकित करने के कारण 1800 करोड़ रुपये के अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली किया जाना अभी बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक फर्म पर कितना अर्थदण्ड लंबित है;

(ग) अर्थदण्ड की वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) चूककर्ता फर्मों से बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु एनपीपीए द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 30.06.2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को संबंधित कंपनियों से अतिप्रभारण के मामले में 1850.78 करोड़ रुपए करने हैं। कंपनियों और अतिप्रभारित राशि का ब्यौरा एनपीपीए के वेबसाइट अर्थात् www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है। उस ब्यौरे की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) अतिप्रभारित राशि की वसूली में देरी का कारण संबंधित कंपनियों द्वारा एनपीपीए द्वारा उठाई गई मांग के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय सहित न्यायालयों में मामले दायर किया जाना है।

विवरण

एनपीपीए की स्थापना से अधिप्रभारित तथा वसूल हुई राशि का विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम	फार्मूलेशन का नाम	अनुमानित अधिप्रभारित राशि एवं ब्याज (रु. लाख)	वसूल राशि (रु. लाख)
1	2	3	4	5
1.	जानसन एंड जानसन लि.	रेरीकेप कैप्सूल	531.96	212.2
2.	ग्लेक्सो (इं) लि.	जेनटेक	177	177
3.	यू एस विटामिन्स	डाक्सी-1 (डीपीसीओ 87)	745	235.55
4.	शिमल इनवेंस्टमेंट और ट्रेडिंग कंपनी (रेनबेक्सी)	ग्रोमोनिग/ग्रोमोजी/फार्मूलेशन	379.17	131.33
5.	इपका लेबस लि., मुम्बई	लेरियागो डी एस टेबलेट	59.4	41
6.	रेनबेक्सी लेबोरटरीज लि., दिल्ली	पेंटा जोसिन इंजेक्शन 30 एमजी 1 एम एल एम्पिल	259.76	100
7.	रेनबेक्सी लेबस लि.	सिप्रोफलाक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	4694.01	2347
8.	टवेन्टी फर्स्ट्र सेंचुरीफार्मा लि.	वीवैक्स टेबलेट	2.85	1.8

1	2	3	4	5
9.	जे एंड जे लि.	रेरीकैप टेबलेट	3703.74	3703.74
10.	टोरेंट फार्मा. लि.	नॉरफलाक्सासन आधारित फार्मूलेशन	12.37	12.37
11.	डा. रेड्डी लेब	सिप्रोफ्लाक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	28.58	28.22
12.	इ. मर्क	इमक्यून डी एक्स टेबलेट	15.95	15.95
13.	अटरा फार्मा. लि.	अठराप्रिम एस एस एंड डी एस टेबलेट अटराजेसिक	0.19	0.19
14.	मेडाकामैने बायोटेक लि.	नॉरफलाक्सासिन टेबलेट तथा अन्य फार्मूलेशन	0.85	0.85
15.	लीका लैब	लीडिन टेबलेट	0.19	0.16
16.	मेलकोम फार्मा.	स्टानोक्स कैप्सूल	0.05	0.05
17.	बीकेय फार्मा. प्रा. लि.	सेफजिल-500 एमजी	0.33	0.33
18.	पर्थ पेरंटरल प्रा. लि.	डेक्सटरोक्स 5% इंजे., 1000 मिलि.	0.4	0.4
19.	एल्डर फार्म. लि.	विनेकस 500 एमजी 10	3.44	3.44
20.	रेडीक्योरा फार्मा.	रेडीट्रिम टेबलेटस 10 × 10	0.02	0.02
21.	यूनीटेक फार्मा. प्रा. लि.	फेक्सिड टेबलेट 400 एम जी 10	0.13	0.13
22.	सन फार्मा. इंडस्ट्रीज लि. मुम्बई	जेपटोल 200 एमजी 10	7.81	7.81
23.	आइवन फार्मा. प्रा. लि.	पेटांजोसाइन इंजे. आधारित फार्मुलेशन्स	0.03	0.03
24.	लेबोरेट फार्मा. (इं.)	सिफाड्राक्सिल डाइ सिरप 30 मिलि बोतल	0.09	0.09
25.	बेल फार्मा. प्रा. लि.	डेक्सोसिन – एन (इ/इ ड्राप्स) 5 मिलि.	0.52	0.52
26.	नेक्टर प्रोडक्टस इं. लि.	डेक्सरोस इंजे., डेक्सट्रोकस सोडियम एंड क्लोराइड इंजे.	0.11	0.11
27.	रेडीक्यूरा फार्मा. प्रा. लि.	रेडीबेक्स कैप्सूल	0.08	0.08
28.	ली टाका फार्मा. लि.	डोलोजेसिक फोर्ट	0.28	0.28
29.	मेक्सीकन फार्मा.	हाइजेसिक टेबलेट 10	0.04	0.04
30.	के पी फार्मा.	इबूफेन टेबलेट और अन्य	0.43	0.43

1	2	3	4	5
31.	रेक्सफोर्ड इं. फार्मा.	इब-पी टेबलेट एंड डोलसिन कैप्सूल	0.15	0.15
32.	वेरायटी फार्मा. प्रा. लि.	वेस्ट्रीम टेबलेट 10	0.21	0.21
33.	राठी लेबोरटरीज (हिन्दुस्तान) प्रा. लि.	रेनीटीडाइन इंजे. 25 एमजी/मिलि 2 मिलि.	0.07	0.07
34.	बेस्टोकेम फार्मूलेशन इं. लि.	बीटाविन-एस एंड बीटाविन फोर्ट टेबलेट प्रत्येक 10	1.87	1.87
35.	सीमलेस केपसूल प्रा. लि.	विटामिन इ कैप्सूल 400 एमजी 10	0.04	0.04
36.	लिनकोन फार्मा. लि.	टेट्रासाइक्लिन एचसीआई कैप्सूल 250 एमजी 10	0.19	0.19
37.	बेस्टो प्लास्ट	बेस्टो – इ 400 एमजी कैप्सूल 10	0.35	0.35
38.	संकेत फार्मा. प्रा. लि.	फेनेमोल टेबलेट 10	0.08	0.08
39.	यूनीवर्सल फार्मा.	एनालजिन टेबलेट 10	0.08	0.08
40.	पीतल फार्मा. प्रा. लि.	बेसटोजेसिक प्लस टेबलेट 8	1.12	1.12
41.	एलपाइन लेबोरटरीज	पेराप्रोफेन टेबलेट	0.1	0.1
42.	बिलसोन फार्मा, देवास	जेटांमिन/जेंटामाइसिन इ/इ ड्राप्स मिलि वायल	0.25	0.25
43.	पेरी फार्मा. प्रा. लि.	प्रेडनीजोलोन टेबलेट 10 एमजी 10	0.14	0.14
44.	गुजरात टरस लेबोरटरीज लि.	एड्रोसेफ टेबलेट	0.3	0.3
45.	केम्बे हेल्थकेयर	विटामिन इ कैप्सूल	3.28	3.28
46.	आरयन फार्मा. प्रा. लि.	रेडिप 150 एमजी टेबलेट	0.03	0.03
47.	साइकेम फार्मा.	साइटेक्स 500 इंजे.	0.09	0.09
48.	लार्क लेबोरटरीज (इं) लि.	इबूलर और अन्य	0.56	0.56
49.	अपेकस फार्मुलेशन प्रा. लि.	एपेक्सिन इंजे. 1 ग्राम वायल	0.14	0.14
50.	मेडोफार्म	मेट्रोनीजोल टेबलेट 200 एमजी और अन्य	0.52	0.52
51.	वारेन फार्मा. लि.	न्यूरेन-डी इ/इ ड्राप्स और अन्य	1.6	1.6
52.	अरबिन्दो फार्मा लि.	अरीथोमाइसिन टेबलेट और अन्य	2.25	2.25

1	2	3	4	5
53.	केनट्रेक लेब प्रा. लि.	सिड्रोक्सिल 500 एमजी	0.57	0.57
54.	श्री फार्मा	श्रीफलेम टेबलेट	0.24	0.24
55.	नेविल लेबोटरीज	प्रोफीनेकस एमआर टेबलेट 10	0.49	0.49
56.	इंडो सफिट लि.	स्टेमिन फोर्ट टेबलेट	4.84	4.84
57.	पाकसन फार्मा प्रा. लि.	सुमिसिन इ/इ ड्राप्स 5 मिलि.	0.01	0.01
58.	यश फार्मा लेबस प्रा. लि.	जिनपेक्स कैप्सूल 10	0.33	0.33
59.	पंजाब फार्मूलेशन लि.	डेक्ट्रोक्स 5% इंजे. 1000 मिलि.	0.14	0.14
60.	बोरा फूडस एंड फार्मा.	रेनसर टेबलेट 10 और टोट टेबलेट	0.22	0.22
61.	शिलाक्स लि., नई दिल्ली	ब्रूफामोल टेबलेट	0.06	0.06
62.	संजीवनी पेरेंटरल लि.	सनोसेफ 20 एमजी इंजे.	0.11	0.11
63.	एक्सन ड्रग्स प्रा. लि.	हायोजेसिक टेबलिक 10	0.11	0.11
64.	संकेत फार्मा. प्रा. लि.	रेनीडोम टेबलेट (रेनीटीडाइन 150 एमजी और डोमप्रीडोन 10 एमजी टेबलेट)	0.16	0.16
65.	ओपथो रेमीडीज प्रा. लि.	ओपथोडेक्स – एन इ/इ ड्राप्स	0.33	0.33
66.	क्रिस्टल फार्मा. प्रा. लि.	को-बेक्ट टेबलेट	0.76	0.76
67.	मेकमिलन फार्मा. प्रा. लि.	प्रेडिकोट और अन्य	4.81	4.81
68.	यूनी-सन फार्मा.	रेसोक्विन टेबलेट	0.27	0.27
69.	हिमालया मेडिटेक प्रा. लि.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	0.08	0.08
70.	टसार फार्मा. प्रा. लि.	पीजीआई जेआर डीटी टेबलेट	0.8	0.8
71.	इंजेक्टो केपटा प्रा. लि.	टीपीएम + एसपीएम (ट्राइमेथोप्रीन 160 एमजी + सल्फरमैथोजोल 800 एमजी)	0.19	0.19
72.	सुमेजिस फार्मा प्रा. लि.	रेनीटीडाइन 150 एमजी और 300 एमजी कोटरीमोक्साजोल टेबलेट	0.97	0.97
73.	मेडोफार्म	बेटसोन टेबलेट, ट्रांक्लोर टेबलेट और एम्सालोन टेबलेट	1.49	1.49

1	2	3	4	5
74.	पीकासो हेल्थकेयर	कोटरिन डीसी टेबलेट (टीपीएम 160 एमजी + एसएमएक्स 800 एमजी)	0.24	0.24
75.	इंदु ड्रग्स	(क) डाराटिन-150, (ख) जोलोट्रिम-डीएस टेबलेट, (ग) टेट्रा कैप्सूल	1.22	1.22
76.	इंड-स्विफ्ट लि.	स्टेमिन टेबलेट 0.5 एमजी	5.39	5.39
77.	ओनटॉप फार्मा. लि.	(क) बेटामेथाजोन 0.5 एमजी, (ख) कोरटोमाइनफोर्ट टेबलेट और (ग) इबूप्राफेन 600 एमजी	0.65	0.65
78.	एंकर फार्मा. प्रा. लि.	फामोटिडाइन 20 एमजी टेबलेट	0.19	0.19
79.	एवंटिस फार्मा. प्रा. लि.	इंसुमन रेपिड 10 मिलि वायल इंसुमन बेसल 10 मिलि वायल	61.23	61.23
80.	विनटेक लि.	कम्फरटेक्स केपसूल 10 × 10 स्ट्रिप	0.39	0.39
81.	न्यूफिन फार्मा. प्रा. लि.	फेनेमोल टेबलेट 10	0.23	0.23
82.	बरनेट फार्मा	जेंटामाइसिन आइ ड्राप 5 मिलि.	0.01	0.01
83.	आर्यन फार्मा. प्रा. लि.	फरमोल टेबलेट 10	0.13	0.13
84.	सायोना मेडिकेयर प्रा. लि.	सेड्राक्स 250 और 500 एमजी टेबलेट 10 प्रत्येक	0.26	0.26
85.	वेक्समैन सेलमेन फार्मा.	केटाफिन 900 टेबलेट	0.17	0.17
86.	कोस्टल फार्मा काकीनाडा	रेनीटिडाइन इंजे. आई पी 2 मिलि.	0.24	0.24
87.	सोकरस फार्मा.	उसीडर्म क्रीम 5 ग्राम	0.15	0.15
88.	हरसन लेबस बड़ौदा	एनलजिन इंजे. और क्लोरोक्वीन फासफेट	0.74	0.74
89.	अपार लेबस प्रा. लि.	एसोलोन 10 एमजी टेबलेट 10	0.04	0.04
90.	बायो-स्टार फार्मा. प्रा. लि.	रेनीटीडाइन टेबलेट 300 एमजी	0.23	0.23

1	2	3	4	5
91.	सिसटोपिक फार्मा. प्रा. लि.	टेटरासाइक्लिन एचसीएल 500 एमजी	0.4	0.4
92.	वालास फार्मा. प्रा. लि.	जिसोफुलविन 250 एमजी टेबलेट	0.53	0.53
93.	टेबस इंडिया	कामफलेम टेबलेट	0.05	0.05
94.	ओवरसीज फार्मा. प्रा. लि.	आरटीडाइन टेबलेट	0.7	0.7
95.	यूनीमर्क फार्मा. (इं) लि.	ऐजटेक इंजे.	0.32	0.32
96.	मेडिलायडस लि.	मेडिट्रीम डीएस और बल्यूफेन टेबलेट	0.21	0.21
97.	लेबोरेट फार्मा (इं.) लि.	इबूफलेम टेबलेट	0.32	0.32
98.	एम एम जी ड्रग्स प्रा. लि.	डेक्सा-एन, जेंटामाइसिन और एम-क्वीन	0.12	0.12
99.	ग्लेनमार्क फार्मा.	इ कोप-400 (विटामिन इ एसीटेट 400 एमजी कैप्सूल)	0.95	0.95
100.	फार्मालिंक लेबोरटरीज	एक्टोफेन टेबलेट	0.3	0.3
101.	पोलारिस हेल्थकेयर प्रा. लि.	केड्रोक्स कैप्सूल	1.52	1.51
102.	एंडो लेबस	लेरी इंजे.	0.08	0.08
103.	जेनिथ हेल्थकेयर लि.	कोक्सीजन टेबलेट	0.23	0.23
104.	अकेय फार्मा. प्रा. लि.	प्रेडनिजोलोन टेबलेट 10 एमजी	0.93	0.93
105.	अलार लेबस प्रा. लि.	लेरटीडाइन टेबलेट	0.3	0.3
106.	इंटेक्ट ड्रग्स एंड फार्मा. प्रा. लि.	जेंटामाइसिन इ/इ ड्राप्स	0.02	0.02
107.	प्रियाल हेल्थकेयर	अलट्रिम ससपेंशन	0.04	0.04
108.	वाइथ लि.	वाइमेजोन इंजे. 2 मिलि वायल	1.03	1.03
109.	जावा फार्मा. (इं) प्रा. लि.	जेराडोल-डी इ/इ ड्राप्स	4.5	4.5
110.	दीप्ति फार्मा. प्रा. लि.	इपोफेन फोर्ट टेबलेट	0.09	0.09
111.	अलपाइन फार्मा.	ब्रूकोम्ब टेबलेट	0.55	0.55
112.	शाइमिल लेबस	बोकोट टेबलेट	0.35	0.35
113.	मार्किन एंड हेरिस लि.	वेनुस्वीन	393	

1	2	3	4	5
114.	सिपला लि.	सलबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	20603.85	
115.	सिपला लि.	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशन	2379.84	
116.	सिपला लि.	सिपरोफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	10513.59	
117.	सिपला लि.	नोरफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	19447.8	
118.	बायोलोजिकल इ. लि.	सिपरोफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	106.35	28.27
119.	टारगोफ प्योर ड्रग्स लि.	नोरफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	42.73	
120.	डा. रेड्डी लेब	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशन	214.29	50.12
121.	निकोलस पिरामल इं. लि.	टयूनोबेक्ट आई ड्राप्स और टेबलेट	159	
122.	निकोलस पिरामल इं. लि.	नोरफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	20.67	20.67
123.	निकोलस पिरामल इं. लि. (मै. बोकरिंजर एम इं. लि.)	बेकासिन आइ ड्राप्स और टेबलेट	1.4	
124.	सोल फार्मा.	सिपरोफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	165	
125.	सोल फार्मा.	थियोफाइलिन आधारित फार्मूलेशन (थियालोन)	239.13	
126.	कोपरन लि.	नोरफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	179.91	
127.	कोपरन लि.	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशन	357.26	
128.	कोपरन लि.	सलबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	698.9	
129.	केंडिला फार्मा. लि.	सिपरोफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	0.28	0.28
130.	केंडिला फार्मा. लि.	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशनक्लो	287	0.22
131.	यू एस विटामिन्स लि./नियो फार्मा.	सलबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	29.04	
132.	वाकहार्ट लि.	सिपरोफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	29.84	
133.	वाकहार्ट लि.	थियोफाइलिन आधारित फार्मूलेशन	6.87	6.87
134.	लायका लेबस लि.	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशनक्लो	1151.38	
135.	ग्लेक्सो इं. लि./एमक्यूर फार्मा.	थियोफाइलिन आधारित फार्मूलेशन (थियो-पीए टेबलेट)	79.37	

1	2	3	4	5
136.	बिडल सावेयर लि.	सलबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	27.47	
137.	इपका लेब लि.	नोरफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	180.18	
138.	रेनबेक्सी लेबस लि.	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशनक्लो	465.08	125
139.	रेनबेक्सी लेबस लि.	नोरफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	188	
140.	ओकासा फार्मा. लि.	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशन	455.67	
141.	ओकासा फार्मा. लि.	थिरोफाइलिन आधारित फार्मूलेशन	229.05	
142.	ओकासा फार्मा. लि.	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशन	184.09	
143.	रेनबेक्सी लेबस	नोरफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	161.62	
144.	रेनबेक्सी लेबस	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशन	26.76	
145.	सिपला लि.	नोरफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	10506.04	
146.	सिपला लि.	सिपरोफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	9762.23	
147.	सिपला लि.	सलबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	10916.56	
148.	ओकासा फार्मा लि.	थियोफाइलिन आधारित फार्मूलेशन	243.17	
149.	ओकासा फार्मा. लि.	क्लोकसाइलिन आधारित फार्मूलेशन	4867.37	
150.	ओकासा लि.	केफाड्रोक्सिल आधारित फार्मूलेशन	467	
151.	कोपरन लि.	केफाड्रोक्सिल आधारित फार्मूलेशन	64.19	
152.	रोमेट इं. लेबस लि.	फेनसेट टेबलेट	1.42	
153.	क्रिस्टल फार्मा प्रा. लि.	केपलेक्स कैप्सूल	2.72	1.4
154.	दुआ फार्मा. प्रा. लि.	कोमपीफलेम टेबलेट	2.72	
155.	प्रवीण फार्मा.	टेट्रासाइक्लिन एचसीएल 500 एमजी और 250 एमजी	0.27	0.27
156.	टीटीके हेल्थकेयर	नेपोटेक्स इंजे. 250 एमजी और 1 ग्राम	3.85	
157.	कनसेप्ट फार्मा. लि.	कोपरिम डीएस	0.49	0.39
158.	भारत लेबोरटरीज	बिटामेथाजोन 0.5 एमजी	0.74	

1	2	3	4	5
159.	जेने लेबोरटरीज लि.	को-ट्राइमोक्साजोल टेबलेट एसएस और डीएस	4.69	
160.	शिव केम फार्मा.	ग्रेसोफुलविन टेबलेट 125 एमजी	0.76	
161.	ट्रोइका फार्मा. लि.	इबूपर 10	0.21	0.21
162.	विक्रम लेबोरटरीज प्रा. लि.	एरीथ्रोमाइसिन सटिरेट 250 एमजी	0.56	0.56
163.	एसपीएम ड्रग्स प्रा. लि.	फूसेमाइड इंजे. 2 मिलि एमपाउल	0.58	0.58
164.	पिया फार्मा.	रेनीटीडाइन 150 एमजी टेबलेट	0.32	
165.	विक्योर रेमीडीज	इबूनोल टेबलेट वोसट्रिम ससपेंशन	0.06	0.06
166.	ओसकार लेबस	ग्रामोजिल/ग्रामोनेग	695.16	
167.	खंडेलवाल लेबस	सलबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	2.74	2.74
168.	रेनबेक्सी लेबस	केफाजोलिन सोडियम	454.87	209.26
169.	बेरी ड्रग्स लि.	ओक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजे. आई पी	0.15	0.15
170.	श्री देव फार्मा.	रेनीटीडाइन टेबलेट	0.12	
171.	फिजर लि.	ओक्सीटेट्रासाइक्लिन	20.69	20.69
172.	केयरविन फार्मा.	जेंटामाइसिन	0.79	0.79
173.	अलकेम लेबस लि.	फाइटीडाइन	8.05	5.64
174.	डंकन फार्मा	डनफलेम टेबलेट	0.25	0.25
175.	वाइसमेन हेल्थकेयर प्रा. लि.	क्लोरोक्वीन फास्फेट इंजे. आ पी 30 मिलि	0.06	0.06
176.	वाइथ लि.	प्रडनिजोलोन	1726.35	1287.93
177.	मार्क पेरेंटल्स	डेक्सर्टोक्स इंजे. आइ पी 1000 मिलि	0.11	0.11
178.	काम्प्रेहेंसिव	रेनीटीडाइन 150 एमजी	0.17	0.17
179.	झगसोनपाल फार्मा	डोक्सीसाइक्लिन एचसीएल कैप्सूल	2.35	2.35
180.	जय फार्मुलेशन	टेसीलिन 250 एमजी	0.19	0.19

1	2	3	4	5
181.	आरको फार्मा. प्रा. लि.	फेनसिड 40 एमजी टेबलेट	0.05	0.05
182.	जी टी फार्मा. प्रा. लि.	रेंटीस्पास टेबलेट	0.09	0.12
183.	जेनस रेमीडीज प्रा. लि.	टेंडेलजेसिक प्लस (इबू + पारा)	12.73	
184.	एसकेय फार्मा. लि.	डेक्सारेक्स टेबलेट	7.6	
185.	यूनीमेड टेक्नालोजी	जेंटामाइसिन इ/इ ड्राप्स	0.6	0.6
186.	डिवाइन लेबोरटरीज	एसीडर्म-जी क्रीम	0.14	0.14
187.	एरोस फार्मा. लि.	बेरोसिन सी कैप्सूल	4.3	4.3
188.	ट्रायोमेड फार्मूलेशन	कोट्रिकजोल	0.2	
189.	हेल्थकेयर फार्मूलेशन प्रा. लि.	फोरड्राक्स 500 एमजी	0.1	
190.	बेकटोलेक फार्मूलेशन प्रा. लि.	बेक्टोफेन टेबलेट	1.76	
191.	सेलवाक फार्मा.	प्रायमाफेन टेबलेट	0.14	0.14
192.	रिलायन्स फार्मूलेशन प्रा. लि.	आर-बेक्स फोर्ट कैप्सूल	0.34	0.34
193.	डेज मेडिकल स्टोर	को-ट्राइमोक्साजोल	6.77	6.77
194.	मोक्सी लेबोरटरीज प्रा. लि.	रिनट्रिक 150 एमजी	0.16	0.16
195.	पार्थ पेरेंटरल्स प्रा. लि.	रेनीटीडाइन इंजे. 25 एमजी/मिलि	0.19	0.19
196.	पार्थ पेरेंटरल्स प्रा. लि.	प्राइमाफेन टेबलेट	0.35	0.35
197.	केमवेल प्रा. लि.	वेंट्रोलिन सिरप	1015.57	86.89
198.	निर्माण फार्मा.	सेफाटोप 250/500 एमजी कैप्सूल	32.82	5.84
199.	जेनिथ हेल्थेकेयर	इंफलेजेन टेबलेट	0.6	0.6
200.	कोलिंज लेबस लि.	पाबूफलेम टेबलेट	0.79	
201.	इरोस फार्मा.	सलबिड 4 एमजी और 8 एमजी	1.62	1.62
202.	पेसिफिक फार्मा.	टेट्रासाइकलिन और रेनीटीडाइन फार्मूलेशन्स	1.46	
203.	एक्टो फार्मा लेबस	कोटरीमोक्सेजोल	0.22	0.22
204.	पार्थ पेरेंटरल्स प्रा. लि.	टेटरासाइक्लिन कैप्सूल	0.29	0.29

1	2	3	4	5
205.	मेनगल लेबस	डाक्सीसाइक्लिन	0.45	0.45
206.	अगम और जेम लेबस प्रा. लि.	जेमफ्लेम टेबलेट	01	0.1
207.	टेपस इं.	ग्रीसियोफुलविन टेबलेट	0.12	0.12
208.	लेनबरट हेल्थकेयर प्रा. लि.	ब्रूलेम प्लस	0.91	0.34
209.	एक्टो फार्मा लेबस	प्यूरोफेन टेबलेट	0.38	0.38
210.	ग्लेक्सो स्मिथलाइन प्रा. लि.	वेंट्रोलिन इनहेलर	559.33	217.73
211.	केडिला फार्मा.	सिपरोफलाक्सिन	0.27	0.27
212.	मोरपेन लेबस लि.	साइनरटिक 500 कैप्सूल	2.74	2.74
213.	मेडो फार्मा.	इडोमोन-इ	1.07	1.07
214.	सुजीकेम फार्मूलेशन	डाक्सीरिन कैप्सूल	0.29	0.29
215.	मारवल लेब	वेलक्लोस + नॉरसिन	5.26	
216.	सुजीलमे फार्मूलेशन	इबू + पारा	0.3	0.3
217.	टोरस लेब प्रा.	सिफाटोर	2.04	2.04
218.	ऐक्सल हेल्थकेयर प्रा. लि.	इबू + पारा	0.26	0.26
219.	अटरा फार्मा.	एक्टराप्रिन डीसी टेबलेट	0.79	0.79
220.	करनानी फार्मा. प्रा. लि.	फिनरामाइन टेबलेट	0.27	0.27
221.	करनानी फार्मा. प्रा. लि.	सोजेसिक ससपेंशप	0.09	0.09
222.	कोपर फार्मा.	डाइट्रिम डीसी टेबलेट	1.44	
223.	ओवरसीज फार्मा.	ओपट्रान टेबलेट	3.37	3.22
224.	एक्सोटिक लेब प्रा. लि.	इबू टेबलेट	0.95	0.95
225.	ओवरसीज फार्मा	आरटीडाइन टेबलेट	1.58	1.58
226.	सेटोर लेबस प्रा. लि.	अफरेन कमपाउन्ड	4.03	4.03
227.	जरसन फार्मा.	ब्रूपेन एमआर टेबलेटस	0.51	0.51
228.	हामेक्स फार्मा.	रामेस्क एंड बमपेरिम	2.47	2.47

1	2	3	4	5
229.	निवारम फार्मा	ग्रिसओफलूडिम टेबलेट 250 एमजी	0.11	0.11
230.	काबरा ड्रग्स लि.	औक्सीट्राइसाइक्लिन 250 एमजी कैप्सूल	0.15	0.07
231.	एस के पेरेंटरल्स प्रा. लि.	जेंटामाइकोकस डाक्सी 80 एमजी/20 एमजी टेबलेट	1.36	0.64
232.	पेनासिआ बायोटेक लि.	एक्सीड-2, एक्सीड-3, एक्सीड-4	146.01	53.58
233.	फरमेडस फार्मा. लि.	इरोथ्रोमाइसिन स्ट्रेची 250 एमजी टेबलेट	6.22	
234.	वेमेग	बीटामेथासोल 0.5 एमजी और प्रीडनीसोलोन 5 एमजी टेबलेट	0.74	0.74
235.	यूनिटी फार्मा.	क्लोरोक्वीन फोस सिरप 50 मिलि	0.1	0.1
236.	सिनथोकेम लेबस रिसर्च	डी ई साइट्रेट (ब्लक ड्रग)	3.31	3.31
237.	जी एस फार्मा. प्रा. लि.	रेनीटीडाइन 150 एमजी टेबलेट, इबूप्रोफेन टेबलेट और कोटरीमोक्सेजोल टेबलेट	0.12	0.12
238.	निकोलस पिरामल इं. लि.	टेट्रासाइक्लिन 500 एमजी टेबलेट	22	22
239.	प्रवीण फार्मा.	एनलजिन/टेट्रासाइक्लिन	0.4	0.21
240.	सन्नी ड्रग्स और फार्मा लि.	रेनीटीडाइन एचसीएल 150 एमजी टेबलेट	0.34	0.34
241.	अरबिंदो फार्मा लि.	ऑटीडाइन 20 एमजी	0.28	0.28
242.	अरकाडिया फार्मा	सेफरिल-डीटी	2.54	0.75
243.	बिलमेट फार्मा	बीटामेट-आइ ड्राप्स	1.6	1.6
244.	सेंतूर फार्मा. प्रा. लि.	ओकूपोल-टी इ/इ ड्राप्स	22.53	
245.	इस्ट अफ्रीकन फार्मा.	डाक्सट्रेट टेबलेट डाक्सी 100 एमजी	0.46	0.46
246.	नेटकेम फार्मा. प्रा. लि.	इबूफलेम टेबलेट	15.01	15.01
247.	अशोक फार्मा.	कोटरीमोक्सेजोल	0.07	0.07
248.	मान फार्म.	फोटिम इंजे. 1 जी और 500 एमजी		0.18
249.	मेडीबेस्ट फार्मा. प्रा. लि.	रेनीटीडाइन, डेक्समेथ		1.7
250.	शेल्कस फार्मा. लि.	सीडोक्स डी टी	22.28	22.56

1	2	3	4	5
251.	पेलीकोम प्रा. लि. फार्मा.	पेलीक्लोक्स टेबलेट	0.23	0.23
252.	मरक्यूरी लेबस लि.	मेरीजेंटा ड्राप्स इ/इ ड्राप्स	0.59	0.59
253.	सांता रेमीडीज	बूसीफेन	0.82	0.82
254.	टसार फार्मा.	क्लीओसिड डी एस	0.23	0.23
255.	अल्पा लेबस लिक.	क्वीडरडस	3.88	3.16
256.	मेडिटेक फार्मा.	कोम्बप्लान टेबलेट	0.09	0.09
257.	बेनेट	रेडिक टेबलेट		0.28
258.	मेडोज फार्मा.	रेडन प्लस	0.32	0.32
259.	न्यू एस. केम	विटामिन सी प्लेन	1.48	1.48
260.	नकोडा फार्मा.	एल्टेक 150 एमजी	1.31	1.31
261.	सन्नी ड्रग्स	फयूराजोल	0.29	0.24
262.	क्यूरवेल ड्रग्स	डयूरासेफ 500 एमजी	0.09	0.09
263.	टिक्सास लेबस लि.	कोम्बीटेक्स टेबलेट	0.18	0.18
264.	लिनकोन फार्मा.	एलकलोक्स	3.34	3.34
265.	इनटेक्ट ड्रग्स	इनजेंटा डी एम इ/इ ड्राप्स	0.27	0.27
266.	थेराकेम लेबस	थेराडाक्सिन कैप्सूल	0.52	0.52
267.	ट्रोइका	ट्रोक्सीक्विन 250 एमजी टेबलेट	0.07	0.07
268.	इंदू ड्रग्स	नॉरफलोक्सासिन	1.07	1.07
269.	रेनबेक्सी लेबस लिक.	सिपरोफलोक्सिन	6171.08	
270.	ओरपिक फार्मा.	ओक्सिल डीएस 30 मिलि	1	1
271.	पेनासिया बॉयोटेक	ओकीमिक्स टेबलेट	1.96	1.96
272.	वेस्टर्न (इं.) लेबस	इसटोविल 250 एमजी	0.02	0.02
273.	जे आर फार्मा.	ओरोफलेम टेबलेट	8.42	4
274.	ग्रे अनोन फार्मूलेशन	सप्रिंट प्लस टेबलेट	0.59	

1	2	3	4	5
275.	मंगेश फार्मा	ब्रूप्लस टेबलेट	4	
276.	मेट्रो गोल्डन लेबस	मेट्रोनीडेजाल टेबलेट	0.92	0.92
277.	डाना फार्मा. प्रा. लि.	सिपरोडेन	0.84	0.84
278.	मार्क पेरेंटरल	आई वी फ्लयूड	0.14	0.14
279.	अशोक फार्मा.	पेसीटल इबू + पारा	1.41	1.41
280.	मेक्सिम फार्मा.	लारीक्लोस	4.58	4.58
281.	सेटेलिओन लेब	फयूराज टेबलेट	0.4	0.4
282.	जेनिफर फार्मा.	प्रेडिनीसोलोन		0.12
283.	बेक्सटर इं. प्रा. लि.	मेट्रोडेजोल	91.19	91.19
284.	गोल्डस्टिन लेब चेन्नई	सिफोरिन किड टेबलेट		0.07
285.	गोल्डस्टिन लेब चेन्नई	अरक्रिल 150 टेबलेट		0.16
286.	गोल्डस्टिन लेब चेन्नई	स्टेनिसाइक्लिन 500 टेबलेट		0.11
287.	गोल्डस्टिन लेब चेन्नई	अलक्रिल 150 टेबलेट		0.12
288.	दीप्ति फार्मा. प्रा. लि.	इपोफेन फोर्ट टेबलेट		0.07
289.	साइनेक्स	क्लोरोक्वीन इंजे.	0.52	0.52
290.	आर एस एल फार्मा.	रेमीसिन इ/इ ड्राप्स		0.16
291.	त्रिपदा हेल्थकेयर	फेरिप 40	0.42	0.42
292.	डा. रेड्डी लेबस	नारफलोक्सिन	2849.84	1071.49
293.	फार्मा फार्मास्यूटिकल्स लि.	पेराट्रेन फोर्ट		0.54
294.	साऊथ इंडियन रिसर्च इंस्टचयूट	सिन सिपरो टेबलेट	8.5	8.5
295.	पफिजर फार्मा.	जिपरॉन 500 टेबलेट	0.36	0.36
296.	लेनसेट फार्मा.	लेनसेट 500	0.1	0.1
297.	ब्लयू क्रास लेबस लि.	ब्लयूड्राक्स पी सिरप	1.09	1.09
298.	वीरा फार्मा लि.	रेनेटीडाइन	3.79	0.24

1	2	3	4	5
299.	नेटकेम फार्मा लिक.	ट्रिमेजोल डीसी टेबलेट	0.21	0.21
300.	नेटकेम फार्मा लिक.	ट्रिमेजोल डीसी टेबलेट	2.73	2.73
301.	फाइटोकेम फार्मूलेशन लि.	रेनीबिड 150 टेबलेट	0.91	0.51
302.	यूनीवर्सल हाऊस ड्रग प्रा. लि.	सिक्सप्रोडिनस	6.41	6.41
303.	मेक मोहन	क्लोसिम कैप्सूल	1.81	1.81
304.	ग्लेक्सोस्मिथकलाइन	जेंटामाइसिन आंयटमेंट	2.08	2.08
305.	शिटो आरगेनिक्स	एक्नेडोक्स		0.24
306.	श्रीनिवास गुजरात प्रा. लि.	मिक्स 250/मिक्स 500	0.47	0.47
307.	अलकेम लेब लि.	टेटराकेम 250 एमजी कैप्सूल	0.92	0.66
308.	अलकेम लेब लि.	ब्रूसिटा टेबलेट	27.22	18.35
309.	अरविंद रेमीडीज	सीटाफेन	9.41	
310.	वेलटॅन फार्मा. प्रा. लि.	कामफेम टेबलेट	1.19	
311.	जेनडिक (इं.) फार्मा. प्रा. लि.	जेनफेन टेबलेट	0.03	0.03
312.	अडोर फार्मा. प्रा. लि.	जेंटामाइसिन सल्फेट इ/इ ड्राप्स	0.93	
313.	सांइ मिररा इनो फार्मा लि.	क्लोरोजोक्साजोन टेबलेट	37.58	21.12
314.	नेटको फार्मा लि.	कारमेज टेबलेट	26.27	26.27
315.	अंबुजा लेबस लि.	प्रावनेट प्लस टेबलेट		0.03
316.	माउंट मेचूर फार्मा	इबूप्रोफेन टेबलेट		0.16
317.	अटोपिक लेबस	डाक्सीसाइक्लिन	0.39	0.39
318.	इंडो लेबस	डाक्सीसाइक्लिन		0.47
319.	इंदू ड्रग्स	इबूफेन टेबलेट	1.96	1.96
320.	स्काई लेबस	इरीथ्रोटोप 3		0.17
321.	बायोलोजिकल इ लि.	सिपिक 250 एमजी, टिवक्लोक्स कैप्सूल/टेबलेटस और बायनेक्स टेबलेट		1.39

1	2	3	4	5
322.	टिक्सास लेबस	फ्यूराटेक्स एम बी ससपेंशन	0.3	0.3
323.	कोटेक	डेक्सामीथोसन टेबलेट	0.09	0.09
324.	यूनियन ड्रग कंपनी	यूडीक्लोक्स	1.84	1.84
325.	सुपरा फार्मा.	सिफाड्रोक्सोल टेंबलेट	0.23	0.23
326.	कोपरान लि.	वेंट सिरप	6.78	
327.	मलाडी ड्रग्स	इपीड्राइन	39.44	
328.	लुपिन लि.	इथामबूटोल	68.53	डीएलए/सीपीसी/ अध्यक्ष की सलाह के अनुसार मांग छोड़ दी गई
329.	साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (एसपीआइसी)	ग्रीसीओफलविन 259 एमजी टेबलेटस	84.98	
330.	जानसन एंड स्मिथ	एमोक्सीसिलिन और क्लोकसासीलिन	80.69	
331.	ग्लाइंडिया लि.	रेनटीडाइन	33.75	
332.	इनफार लि.	डेक्साटोपिक क्रीम	44.84	
333.	ट्राइबोस लि.	केपटाप्रिल	858	
334.	न्यूरान फार्मा	नेड्राक्स 250 और 500 टेबलेट	0.99	
335.	कोटक फार्मा	इफरजेसिक टेबलेट	0.42	0.19
336.	रेमीडेक्स फार्मा और ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन	जेविट फोर्ट कैप्सूल	996.44	996.44
337.	मै. एलाइव	एरीटोप क्रीम	0.41	0.72
338.	अग्रवाल फार्मास्युटिकल्स	एप्रोफिन ओलूस	0.11	0.11
339.	मै. स्टरलिंग लेबस	प्रोक्सी-1 100 एमजी टेबलेटस	27.09	27.09
340.	एनआर जेट एंटरप्राइजिज	7 फार्मूलेशन	1411.57	1787.17
341.	प्रेस्टो रेमीडीज़	टरट्रासाइलिन 250 एमजी	0.14	0.14

1	2	3	4	5
342.	मेलाइन लेबोरटरीज प्रा. लि.	डोक्सीसाइक्लीन एचसीएल कैप्सूल		0.7
343.	मरकरी लैब्स लि.	एमपीसीलिन + क्लोक्सासीलिन	0.18	0.18
344.	कोमेड केमिकल्स	डोलोमेड टेबलेट 10	0.37	0.37
345.	केमिक्योर फार्मा	आइबूमोल टेबलेट 10	13.84	
346.	इवेस ड्रग्स	आइकोसिप 500 टेबलेट	0.22	0.15
347.	अमित फार्मास्युटिकल लि.	सोडियम क्लोराइड और मेट्रोनीडेजोल इंजेक्शन	18.07	
348.	कोनडिनया फार्मा	एकमोल टेबलेट	0.11	0.11
349.	काबरा लेब्स	डेक्सट्रोस 5% इंजेक्शन	0.12	0.12
350.	अस्त्रा फार्मास्युटिकल लि.	मेट्रोनीडेजाल इंजेकशन 500 एमजी 100 मिलि	0.95	
351.	मानाबे रेमीडिज	इनसीडल 50 एमजी टेबलेट	3.44	
352.	रेमंड फार्मा	रिमूववीन टेबलेट	0.11	0.11
353.	स्टरलिंग फार्मा	सेलेसटालिन टेबलेट	0.32	
354.	मै. ब्ल्यूशील्ड प्रा. लि.	रेनीटीडाइन 150 एमजी टेबलेट 10	0.15	
355.	मै. मेडिसेट रेमीडिज	आइबूडेक फोर्ट टेबलेट 10	0.12	
356.	मै. एथीलेक्स हेल्थ केयर	आइबूक्रेस्ट प्लस टेबलेट 10	0.56	
357.	मै. मोदी हेल्थकेयर	कोमबीफेम टेबलेट 10	0.05	
358.	मै. डालफिन लेबस	रेनीकोम – 150 टेबलेट 10	3.18	
359.	मै. रेलीश फार्मा	टेट्रासाइक्लीन कैप्सूल	0.33	0.15
360.	मै. भद्र फार्मास्युटिकल लि.	टीली 25 कैप्सूल 10	0.15	0.09
361.	मै. पारस फार्मास्युटिकल लि.	पेराट्रोन फोर्ट्र 10	0.54	
362.	मै. यूनीवर्सल इमपेक्स लि. मुंबई	पाइरोसल आई ड्राप्स		0.1
363.	मै. नेस्टर फार्मा. लि.	मोसकीन क्लोरीक्वीन	0.04	0.04

1	2	3	4	5
364.	मै. सिपरा रेमीडिज प्रा. लि.	सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन	0.2	0.2
365.	मै. जेनीफर फार्मा	डीक्सामेथाजोन	0.05	0.05
366.	मै. रीमेक्स फार्मास्युटिकल लिक.	क्लोकसारेम – एलबी कैप्सूल	15.33	
367.	मै. मार्कसन्स फार्मा. लि.	एरीथ्रोमाइसिन	7.01	7.01
368.	मै. चिलिका फार्मा. लैबस	कोसटोफिल, डोक्सीमिन और लेसको-डीएस	2.92	2.92
369.	मै. गुजरात टर्स लैबस लि.	रेनीटर टेबलेट	2.5	2.5
370.	मै. डायल फार्मा. प्रा. लि.	डी कैप्सूल डोक्सीसाइक्लिन एचसीएल	0.27	0.27
371.	मै. एमसन मेडिकेम प्रा. लि.	बीसीजी क्रीम	0.14	0.14
372.	मै. आन फार्मा. प्रा. लि.	एनफलेम टेबलेट		0.18
373.	मै. सिगनिट लेब्स लि.	गेसट्रोडम टेबलेट और वाइसोनिट-5 और 10 एमजी टेबलेट	0.22	0.22
374.	मै. अरीहंत सिद्धा लेबस लि.	जील एसबी	1.59	1.59
375.	मै. ब्रान लेबस लि.	5 फार्मूलेशन	67.08	
376.	मै. डायल फार्मा प्रा. लि.	यूरोडिल-400 टेबलेट डाक्सी डी टेबलेट	0.69	0.69
377.	मै. लेबोरेट फार्मा.	डोक्सीलेब कैप्सूल	0.36	0.36
378.	मै. इंदु ड्रग्स	क्लोलोटेक 10 रेनीडिप 10	14.38	14.38
379.	मैं एंकर फार्मा. लि.	रेनीटीडाइन 150 एमही टेबलेट	0.43	0.43
380.	मै. करनानी फार्मा प्रा. लि.	सलबेक्सिन टेबलेट	0.08	0.08
381.	मै. कोठारी लैबस	टोलोडेम सोलूयशन 10 मिलि बोतल	0.11	0.11
382.	मै. ग्लूमेक्स फार्मा. मैनूफेक्चरिंग प्रा. लि.	टेटरासाइक्लिन कैप्सूल 250 एमजी	0.18	0.11
383.	मै. सिविल ड्रग्स लैब्स	रेनीटीडाइन एचसीएल टेबलेट	0.2	
384.	नेस्टर फार्मा लि.	डीओसी 100 कैप्सूल	0.39	0.39
385.	सिपला लि.	नारफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	2353.03	

1	2	3	4	5
386.	बेस्टोकेम (एफ) प्रा. लि.	डोरन-ओ टेबलेट, डोरन-ओ इंजेकशन	219.84	
387.	सिपला लि.	सीप्रोफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	6970.53	
388.	सिपला लि.	नारफलोक्सासिन आधारित फार्मूलेशन	5237.05	
389.	सिपला लि.	सलबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	11025.55	
390.	सेनोर लेब्स	आईबू – 400 एमजी + पेरोसेटामोल 500 एमजी		0.05
391.	डायल फार्मा	निलासिड 20 टेबलेट	0.1	0.1
392.	विशाल डेंट केयर प्रा. लि.	विमोलक्स	0.29	0.29
393.	बीसीएपी फार्मा. लि.	सिफरेक्स 500	0.14	0.14
394.	सैन मेडिकेमन्टस प्रा. लि.	ग्लिप टेबलेट	0.44	0.44
395.	डरमोकेयर लेबोरटरीज गुजरात प्रा. लि.	बीटाडर्म जी क्रीम	0.58	0.58
396.	लेबोरेट फार्मा. इंडिया लिक.	बीटामोक्स प्लस कैप्सूल	3.7	3.7
397.	सर्व फार्मास्युटिकल्स	सेपट्रीम डीएस टेबलेट	1.29	1.29
398.	रूदरा मेडिकेमटेंस लि.	नोसिड 150 एमजी	0.82	0.82
399.	स्पिनका फार्मा.	स्पिनटेक्स 1000 एमजी	0.52	0.52
400.	नेशनल लेबोरटरीज	इचीसाइन-एस क्रीम	0.41	
401.	जीएस फार्मास्युटिकल्स	रेनीटीडाइन	0.61	0.61
402.	श्री कृष्णा केशव लेबस	मेहोनीकाइजल इंजेक्शन 100 मिलि	11.72	8.96
403.	ब्रिज फार्मा.	बीपेनक्लोक्स कैप्सूल	1.22	0.28
404.	गोपिश फार्मा. लि.	एन-फलोक्स टेबलेट	18.27	0.64
405.	सिपला लिक.	फयूराजोल-एम टेबलेट	0.74	
406.	फारलेंड फार्मा.	आर डी लेंड टेबलेट	0.26	0.26
407.	समर्थ फार्मा. प्रा. लि.	प्रैडनीजोलोन	3.97	3.97

1	2	3	4	5
408.	ओकासा फार्मा. प्रा. लि.	आइबूजेसिक प्लस टेबलेट	332.63	
409.	सिस्टा फार्मास्युटिकल	एसीडोम एसीपेस टेबलेट	0.15	0.15
410.	जेनिथ ड्रग्स प्रा. लि.	क्लोजेट जीएम	0.37	0.37
411.	सिविल ड्रग्स	केलोक्स इंजेक्शन	0.23	0.18
412.	बेयर फार्मा. प्रा. लि.	बेयसिप 100 टेबलेट	9.65	9.65
413.	आसोज साफट कैप्सूल प्रा. लि.	विटामिन ई 400 एमजी	1	
414.	सिविल ड्रग्स लेबस	सेट्रोन टेबलेट	0.16	0.12
415.	बड़ौदा फार्मा प्रा. लि.	आइबोनिड प्लस	0.3	0.31
416.	जेनो फार्मा. लि.	जेनोजिल	46.18	
417.	केडिला हेल्थकेयर लि.	जाइजेंटा 20 मिलि इंजेक्शन	232.03	10.61
418.	केडिला हेल्थकेयर लि.	रीपमाजिड किड टेबलेट	0.04	0.04
419.	केडिला हेल्थकेयर लि.	झरटेक	2.01	0.68
420.	केडिला हेल्थकेयर लि.	सेफाड्राक्सिल	0.04	0.04
421.	केडिला हेल्थकेयर लि.	ओफरेक्स-एम प्लस	8.15	8.15
422.	केडिला हेल्थकेयर लि.	क्वाड्रीडस 5 एमजी	0.04	0.04
423.	केडिला हेल्थकेयर लि.	डोक्सीका	74.29	0.16
424.	केडिला हेल्थकेयर लि.	मेगोलोक	0.14	0.14
425.	केडिला हेल्थकेयर लि.	गिलपिमेट		2.57
426.	गेलन फार्मा.	केलफिन टेबलेट	1.27	0.4
427.	पीसीपी फार्मा	प्रीलोन, डेंलोन	6.93	
428.	कोमेड केमिकल्स	ग्रीसोमेड	254.91	
429.	गारनेट इंडिया प्रा. लि.	बायोमोन इ ड्राप्स	0.25	0.12
430.	एकरोन फार्मा.	डोक्सीक्रोन टेबलेट	0.28	0.28
431.	ट्रीपडा बायोटल प्रा. लि.	बीटापेड जीसी	0.69	0.69

1	2	3	4	5
432.	इंडियन इमयूनोलोजिकल लि.	ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन	100.05	78.05
433.	रसन हेल्थकेयर लि.	सेफोबेक – आईडी	1.03	
434.	नोरिस मेडिसन लिक.	नोरफलेम-ए टेबलेट, डाक्सीनोर कैप्सूल	1.23	1.23
435.	एनबीजेड फार्मा.	एमवीई इंजेक्शन	51.24	51.24
436.	लेबोरेट फार्मा इंडिया लि.	सेफोक्लेस इ/ई ड्राप्स	0.82	0.82
437.	ग्रेक्योर फार्मा.	टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल 250 एमजी और रेनीटीडाइन 150 एमजी टेबलेट	3.54	1
438.	फाइनक्योर फार्मा. लि.	रोमी रेनीटीडाइन	0.18	0.18
439.	मैनारिनी रोंक फार्मा. लि.	जेक्लोस कैप्सूल	1.08	1.08
440.	मरकरी फार्मा लि.	ओनडोक्सी कैप्सूल	4.53	
441.	सिपरा रेमीडिज	सिप्रोरिन इंजेक्शन	2.23	
442.	प्रवीन फार्मा.	टेट्रासाइक्लिन 250 एमजी	0.23	
443.	एक्वीन फार्मा.	एमक्लोविन एलबी कैप्सूल	0.52	0.52
444.	मै. सिपला लि.	सल्बूटामोल	6438.99	
445.	मरकरी लेबस लि.	लिन 250	0.47	0.47
446.	मोनोकेम लेबस	मोनोमाक्स प्लस कैप्सूल	0.18	0.18
447.	एलीजेंट फार्मा	बेनीलिन कफ सिरप	34.35	34.35
448.	डिवाइन लेबोरटरीज	मेल्सन इंजेक्शन	2.83	2.79
449.	सिपला लि.	सिपरोफलोक्सासिन	2817.62	
450.	सोमाटिको लेबस लिक.	सोमाडोक्स डीटी कैप्सूल	103.81	
451.	सुपरमैक्स लेबस	मेट्रोक्सीडेजाल टेबलेट	1.71	0.43
452.	एनरोज फार्मा. लि.	एनसोक्लोस कैप्सूल	4	
453.	कोरोना रेमिडीज	फंगीकोर	0.5	
454.	एस्पी केमिकल	रेडीफलोक्स	288.33	

1	2	3	4	5
455.	ओरचिड फार्मा	पिडलेट प्लस	3.33	3.33
456.	वेरस फार्मा. प्रा. लि.	बिजी टेबलेट	2.77	0.6
457.	वैशाली फार्मा. लि.	एल्मा 250 एमजी	2.25	
458.	एलडर फार्मा.	केटोज इ ड्राप	17.47	
459.	हेगल कैप्सूल इंडस्ट्रीयरल लि.	साइकोमबे फोर्ट	24.12	
460.	मोनो फार्मा.	मोनोक्लोर टेबलेट	1.4	
461.	बायो फार्मा ड्रग्स	इबूप्रोफेन	2.76	
462.	ऐपेक्स फार्मूलेशन लि.	एक्सीलोक्स प्लस	0.02	0.02
463.	जेंक्स फार्मा. लिक.	क्लोपीडास	1.5	1.5
464.	सेंचुरी ड्रग्स	प्रेडीजोलोन टेबलेट	3.21	0.76
465.	डेनीजेन फार्मा.	डोक्सीसाइक्लिन	0.01	0.01
466.	सिपला लि.	सिपलोक्स-टीजेड	4343.37	
467.	केडिला हेल्थकेयर लि.	सिपरोफलोक्सिन सिपरोबिड 500	976.73	415.94
468.	केडिला हेल्थकेयर लि.	सिपरोबिड 250 एमजी	521.32	
469.	रीमेन लेबस प्रा. लि.	डीफलोक्स ससपेंशन	0.29	0.29
470.	इक्सोटिक लेबस प्रा. लि.	इबो टेबलेट	0.01	0.01
471.	टेराकेम लेब लि.	टेरासाइक्लिन	1.81	0.75
472.	केपसी लेब	डयूरालेन	0.55	
473.	सिपला लि.	डोक्सीसिकलिन	35.77	
474.	इंडसिफट लि.	स्वीफलोक्स	2.18	2.18
475.	आनटोप फार्मा. लि.	एक्नेसोल जेल	17.11	18.67
476.	सिपला लिक.	एलेरिड-जी	2375.5	
477.	डा. रेडीज	बायो-ई	20.79	16.79
478.	डिसाइन लेबोट्रीज प्रा. लि.	एसीडर्म जी	0.33	0.15

1	2	3	4	5
479.	ब्रूसल्स लेबोट्रीज प्रा. लि.	ब्रोक्सीलिप कैप्सूल	3.59	1.38
480.	केडिला प्रा. लि.	इनवास 2.5	48.65	
481.	वेनगार्ड लेबोट्रीज	स्टेफ एसी-डीटी	0.26	0.26
482.	एसजीएस फार्मा. प्रा. लि.	सेलबूटामोल टेबलेट	0.06	
483.	एसजीएस फार्मा. प्रा. लि.	क्यूडीडर्म क्रीम	0.51	
484.	विंटोकेम फार्मा.	प्रीडनीसोलोन टेबलेट	0.18	0.18
485.	सिडमाक लेबोट्रीज इंडिया प्रा. लि.	ओडी फीलिन 600 सीआर	16.41	
486.	सिडमाक लेबोट्रीज इंडिया प्रा. लि.	ओडी फीलिन 400 सीआर	230.54	180.81
487.	लेबोरेट फार्मा इंडिया लि.	डोक्सी टेबलेट	0.5	0.5
488.	सिपला लि.	टेट्रासाइक्लीन 500 और 250	3.55	
489.	ऐपेक्स लेबस लि.	जिनकोफर टेबलेट	1.55	1.55
490.	कोसमो लाइफ सांइस	प्रोवीटा, न्यूरोविट	40.71	
491.	यूनीकार्न फार्मा	हीकलोक्स कैप्सूल	0.48	0.25
492.	टयूटन फार्मा.	ट्रेसमाक्स एलबी	258.88	
493.	मर्क लि.	पोलीबायोन कैप्सूल	13.12	13.12
494.	केमवैल प्रा. लि.	वेनटोरलिन एक्सपेक्ट	100.35	100.35
495.	लेबोरेट फार्मा	लेनेटेक इंजेक्शन और बीटामोक्स प्लस कैप्सूल	1.03	1.03
496.	कोटक फार्मा.	रेनीटेक	0.08	
497.	लैमसर	रेमर	0.37	
498.	बेस्ट लेब प्रा. लि.	रिकोनिआ फिल्म	143.58	100
499.	बिलसोन फार्मा	सिपरो ई/ई	0.33	
500.	मोनोकेम लेबस	सिपरोफलोक्सिन	0.23	0.23
501.	आमेगा बायोटेक	रेनीटीडाइन, ग्रिसोजोल, प्रीडोपेन	3.78	4.88

1	2	3	4	5
502.	एसजीएस फार्मा. प्रा. लि.	क्यूडीडर्म, कोमबीपर टेबलेट	2.34	2.34
503.	ऐविस लाइफ साइंस/मोरपेन	नोरपेन-टीजेड	239.51	
504.	केडिला हेल्थकेयर लि.	डेरीफाइलिन	886.77	3.72
505.	कनसर्न फार्मा. प्रा. लि.	ग्लीपीकान टेबलेट	0.06	0.06
506.	इंड-स्विफ्ट लि.	डोक्सीसाइक्लिन	2.83	2.83
507.	ट्राइडेंट फार्मा प्रा. लि.	ट्राइबूफलेम प्लस	0.72	0.16
508.	लस्टर फार्मा.	ए-लाक		0.12
509.	मनीष फार्मा. लेब	केराड्रिश 500		0.23
510.	एंटोड फार्मा. लि.	डीक्सीमोल		0.09
511.	नोयल फार्मा	इनोर-400	1.07	1.07
512.	आउरोवाइल लेबस	क्लोवीमोक्स कैप्सूल	0.68	0.68
513.	स्पीड लाइफ साइंस	एनडोक्स 250		0.16
514.	कानकोर्ड ड्रग्स लि.	कोमबीसन टेबलेट		0.37
515.	आरकोन फार्मा	जेड्रोक्सिल किड		1.25
516.	डेनिस केम	सिपरोफलाक्सासिन इंजेक्शन		0.47
517.	जावा फार्मा	जौसिन ई/ई ड्राप्स	2.66	2.66
518.	आशा बायोटेक	एमलोन-5 एमजी टेबलेट		0.05
519.	इली-इली	हयूमीसिलिन	157.84	157.84
520.	सनव्यू बायोटेक			0.05
521.	मेंटीस फार्मा. लि.	जोबेटा जी और एस		0.15
522.	कोटक फार्मा.	रेनीटेक 300 एमजी		0.08
523.	एप्ल्स लेबस लि.	इबूप्रोफेन	0.65	0.65
524.	क्यूरटेक	रेनीडान टेबलेट		0.09
525.	पफीजर इंडिया लि.	बीकासूल जेड कैप्सूल	162.16	162.16

1	2	3	4	5
526.	पफीजर इंडिया लि.	बीकासूल कैप्सूल	264.31	264.31
527.	डरविन रिसर्च लेबस	बीक्लोसाइन 15 एमजी		0.36
528.	पगासस फार्मा को (इं) प्रा. लि.	जिब टेबलेट		0.29
529.	ऑर्गेनिक फार्मा.	विनसोल टी बी ऑगेंट-बी		0.12
530.	केडिला हेल्थकेयर लिक.	जेक्सोफिन		1.16
531.	गुजरात टर्स लेबस लि.	कोमबीलिन कैप्सूल	0.26	0.26
532.	डाहिया फार्मा. प्रा. लि.	एएम डोप टेबलेट	5.68	4.8
533.	मैक फार्मा. प्रा. लि.	मेक मौक्स-सीएल बी	3.22	
534.	सेंटास ड्रग्स एंड फार्मा.	सिपरोलोन इंजेक्शन	2.11	
535.	डा. रेड्डी	ग्रिस ओडी 375	26.95	14.55
536.	मिमस लेब्स	एम-सोल सिरप	0.11	0.11
537.	रेक्सोन लेबस लि.	बेटारेक्स	6.68	
538.	ट्राइस्टार फार्मूलेशन प्रा. लि.	इकेसपिन एवी	518.15	125
539.	बेनेट फार्मा.	एनएबी-डीटी टेबलेट	0.14	0.1
540.	टारस पोरेटोंनल्स	टारफलेम	4.14	
541.	जी एम एच लेबस/क्राटस	सिनकेयर	36.01	1.51
542.	मार्स थेराप्यूटिक्स	बिसिल पी	0.85	0.85
543.	तम्मान फार्मा. लेब	प्रोमेजाइन	0.18	0.18
544.	स्कोरप बायो मेडिसन प्रा. लि.	इकोलाइट	3.33	0.94
545.	विटोंकेम	डेमाजोन	0.12	0.12
546.	सोफटेक फार्मा. प्रा. लि./डा. रेड्डी	ओविस्टा कैप्सूल	470.8	
547.	मेप्रो फार्मा. प्रा. लि.	सेलटोपिक लोशन	6.72	6.72
548.	मोदी मुंडी/टी सी हेल्थकेयर	यूनीकोरटिन सीआर-400	3626.7	
549.	मोदी मुंडी/टी सी हेल्थकेयर	यूनीकोरटिन सीआर-600	604.1	901.45

1	2	3	4	5
550.	ओआरओ फार्मा. प्रा. लि.	ओपीओ ससपेंशन एडीप्रिम	2.97	1.75
551.	लोरन लेबस प्रा. लि.	स्किन क्रीम	0.9	
552.	ममता फार्मा.	रिसको	0.35	
553.	एलकान लेबस	प्रीडेनीजोलोन एस्टेट	46.71	
554.	रेलिश फार्मा.	रेडीक्लोस कैप्सूल	0.12	
555.	एडकान लेबस	सिलवोजेल क्लोबोनेट	1.14	
556.	आरपीएल (इं) फार्मा. प्रा. लि.	आर-ट्रान टेबलेट	0.25	
557.	ए टू जेड फार्मा. प्रा. लि.	प्राक्लेम	0.51	0.51
558.	डिविस लेबस लि.	नेप्रोजेन	6.38	6.38
559.	एसेल फार्मा.	केफोस 250 एफ-500	0.37	0.37
560.	प्रमुख स्वामी फार्मा.	सेलब्रोन-जीएम 10 मिलि	0.09	0.09
561.	बुलवर्क फार्मा.	सिपरोमेक्स 250 टेबलेट	0.27	
562.	अलापती फार्मा.	नोर 400 टेबलेट	0.09	0.09
563.	टारस लेब लिक.	मेटग्लिब 500 एमजी	1.2	1.2
564.	इंडो रेमिडेक्स प्रा. लि.	जीक्लोक्स किड – एलडी	0.23	
565.	शामिल लेबस	किलेक-टीजेड	0.19	0.19
566.	रोमबस फार्म	किडोक्सी 1-500 आबूनलाइ-125	0.69	0.69
567.	फानको इंडियन फार्मा.	सरफाज-एसएन क्रीम 7 ग्राम 1	1129.51	
568.	मै. स्टेडर्ड थेराप्यूटिक	स्टेनक्लोक्स डी/जेड	0.68	0.57
569.	मै. ओकासा फार्मा.	नारफ्लोक्सासिन	6254.7	
570.	मै. बायकिन हेल्थकेयर	सी टी बेक्ट		0.17
571.	मै. एल्डर फार्मा.	एनोडोक्स	5.94	5.94
572.	मै. ऐनशेज फार्मा	सेफिल 250 डीटी टेबलेट	0.26	0.26
573.	मै. सिपला/एलकान	सिपरोफलाक्सासिन इंजेक्शन	882.31	

1	2	3	4	5
574.	मै. टयूटान/अलेमबिक	बेसीक्लोस 500	16.21	11.73
575.	मै. केडिला हेल्थेकेयर	डेरीफाइलिन 450	515.99	
576.	मै. बायो लाईफ	बायोटिवन कैप्सूल	0.17	
577.	मै. मेनकाइंड फार्मा	नोरोकांइंड मोर टेबलेट	16.05	16.05
578.	मै. अकुम्स	सिलिमिड	41.49	
579.	मै. ओकासा	क्लोसासिलिन	6507.43	
580.	मै. फ्रानको इंडियन	नेटिव सी 200	56.81	
581.	मै. फ्रानको इंडियन	नेटिव सी 400	271.07	
582.	मै. पेरी फार्मा	रेबोनाइड टेबलेट	0.48	0.48
583.	मै. आरकेजी फार्मा	आर-प्लस	0.06	
584.	मै. एलाइव	बेटासिलिक आइटमेंट	0.9	
585.	मै. प्रमुख स्वामी फार्मा	प्रामोक्लोक्स एलबी कैप्सूल	0.16	0.16
586.	मै सेचूरियन लेबस लिक.	इबूप्रोफिन	0.13	
587.	मै. हॉक रेमिडिज लि.	हाइडोक्सी कैप्सूल	8.05	
588.	मै. यूनि-पेक्स फार्मा लि.	मालारेटिन टेबलेट	0.34	0.34
589.	मै. पारकिन लेबस	इबूकिन प्लस किड	1.54	
590.	मै. पारकिन लेबस	टेटराकिन 250 कैप्सूल	0.94	
591.	मै. यूनीमेड टेक्नोलोजी	जेनिमिन डीएम इ/इ ड्राप्स	0.85	0.85
592.	मै. लार्क लेबस (इं) लि.	इनफा-वी	15.88	
593.	कोसमेहेल्थ केयर	रोवेट क्रीम	32.09	
594.	मै. जेन फार्मा. प्रा. लि.	विटकोटेल-सी इंजे.	12.69	12.69
595.	मै. रेनबेक्सी लेबस लिक.	सुपरीमौक्स-पी टेबलेट	113.11	33.11
596.	मै. रेनबेक्सी लेबस लि.	सुपरीमोक्स कैप्सूल	704.87	83.18
597.	मै. एमके लेबोरटरीज प्रा. लि.	जेटोंसिन इ/इ ड्राप्स	12.27	

1	2	3	4	5
598.	मै. कोरटेक्स लेबोरटीज प्रा. लि.			0.26
599.	मै. इंड सिफट लि.		6.66	5.81
600.	मै. एमके लेबोरटरीज प्रा. लि.	डेक्सोजेन इ/इ ड्राप्स	0.36	
601.	मै. एंडोवैन फार्मा.	नेटडाइन इंजेक्शन	0.54	0.54
602.	मै. डा रेडउ लेबस	बीकोजिक कैप्सूल	270	
603.	ट्राइडोस लेबस प्रा. लि.	फइलोबिड टेबलेट एसआर	6.86	6.86
604.	बायोकेम	ट्राइमेथोप्रिम + सलफानेथोजोल	6.23	
605.	हारवे (इं) फार्मा.	इबू क्रीम	0.03	0.03
606.	रसोमा लेबस प्रा. लि.	मेट्रोनीडाजोल इंजे.	0.91	0.91
607.	मनीष फार्मा. लेबस	सलबूटामोल सलफेट	0.23	0.23
608.	रेडीक्यूरा फार्मा. प्रा. लि.	जिमोलेक कैप्सूल	0.29	0.29
609.	भद्रा फार्मा लि.			0.11
610.	ग्रीनलेंड आर्गेनिक्स	न्यूट्रीबेक्स टेबलेट		0.06
611.	ब्रूसेल्स लेबस प्रा. लि.	बाइड्रोक्स 500 एमजी	0.04	0.04
612.	ऑगेनिक फार्मा.			0.06
613.	मेडो फार्मा	इबूप्राफेन	0.07	0.07
614.	स्विस गार्नियर	टोनेक्ट-एएसपी 75	42.69	42.69
615.	जावा फार्मा. (इं) प्रा. लि.	जोक्सिन आई आइंटमेंट	14.66	14.66
616.	यूनीवर्सल टिवन लेब		0.36	0.36
617.	एन शेल्टर फार्मा.			0.07
618.	एडमन फार्मूलेशनस प्रा. लि.	कोमबीऐक्ट एसएसपी	0.06	0.06
619.	सेनचूरियन लेबस			0.13
620.	इंटीग्रेटेड लेबस लि.			0.08

1	2	3	4	5
621.	एनरोज फार्मा. लि.		4.44	0.65
622.	कानकोरड ड्रग्स लि.	रेनीटीडाइन टेबलेट	0.02	0.02
623.	आन फार्मा. प्रा. लि.			0.24
624.	ट्रायो रेमीडिज प्रा. लि.			0.14
625.	अलार लेबस प्रा. लि.		0.06	
626.	सिपला लि.	नोरफलोक्सासिन	3841.58	
627.	ग्लूकोनेट हेल्थ लि.	ब्रूजेस्टिक एंड एरोमाइन टेबलेट एंड सिमक्लोक्स एंड गलूकोविट कैप्सूल	9.57	4.65
628.	मेडीटेब स्पेशलिटीस प्रा. लि.	मेबेय प्लस	19.38	
629.	नायल फार्मा	मेगाटेक टेबलेट	0.04	0.01
630.	मेकलेरेन बायोटेक		4.78	
631.	कोमेड केमिकल्स		2.03	
632.	इंड स्फिट लि.			0.85
633.	रेचेट लेबोरटरीज लि.		0.75	0.09
634.	भद्रा फार्मा केयर लि.	निडाजोल एफ ससपेंशन	0.69	0.34
635.	नियोल फार्मा.	एक्लोकस वेलफेन एंड वेलफेन एम	1.49	1.49
636.	जुनेका हेल्थकेयर प्रा. लि.	विटकोफोल-सी इंजे.	0.1	
637.	सिडमेक लेबोरटरीज इं. प्रा. लि.	एएसपी अटोरवा	64.97	
638.	रीट्रोट लेबस लि.	अस्थालेक-ए	7.04	7.04
639.	कसार लेब प्रा. लि.	बीसिल	1.76	1.76
640.	सुपरमेक्स लेबस	यूटीडाइन-डी, यूटीडाइन-150, बेक्लोस 400 और ग्रिसविन 250	1.2	1.2
641.	फुलफोर्ड इं. लि.	टिनाड्रेम	0.2	0.2
642.	मै. नोयेल फार्मा.			0.2

1	2	3	4	5
643.	ट्रायो रेमीडिज प्रा. लि.	एसमाविन प्लस	0.82	0.82
644.	पाम फार्मा.	इबूकोन टेबलेट	8.45	
645.	टारस लेब लि.			0.39
646.	सेंट माइकल बायोटेक			0.11
647.	सेंट माइकल बायोटेक			0.01
648.	वापी केयर फार्मा प्रा. लि./बाम्बे टेबलेट मेनूफेकचरिंग कंपनी	एलएए टेबलेट	257.62	
649.	अपर लेबस प्रा. लि.	ब्रूपेन टेबलेट	1.08	
650.	सेंटोर फार्मा.	सेनट्रिम	2.67	
651.	ग्लोबल फार्मा. प्रा. लि.	बेक्सीलिन एलबी कैप्सूल	1.92	
652.	विल इमपेक्स	क्लोपेक्स-जीएम	0.67	0.67
653.	बेक्सटर इं. प्रा. लि.	डीएनएस/एनएस 500 मिलि	16.85	16.66
654.	लेबोरेट फार्मा. इं.	जेंटालेब इ/इ ड्राप्स	0.22	0.22
655.	एमरल्ड अल्कीमाइकस प्रा. लि.	सफिटस एक्पेक्टोरेंट	5.2	
656.	साउथ इंडिया रिसर्च इस्टीच्यूट प्रा. लि.	टोनिक स्टेमिना	2.48	2.48
657.	हीलिंग टच फार्मा.	केफडिक्स 500 एंड रोक्सिल फोर्ट	0.56	
658.	हेल्थ बायोटेक लि.	जरसिप-एफ इ/इ ड्राप्स	9.31	
659.	हेल्थ बायोटेक लि.			14.83
660.	इंटस फार्मा. लि.	डेकालाइट	2.94	2.94
661.	टेबलेटस इंडिया लि.	इंटोक्सिल फोर्ट कैप्सूल	181.16	
662.	सिपला लिक.	मेक्सीरिच कैप्सूल	230.2	
663.	यश फार्मा. लेबस प्रा. लि.	वेंटीसोल एक्सपेक्टोरेंट	78.18	
664.	पेनासीया फार्मा.	क्वाड्रीड्रम क्रीम	0.37	

1	2	3	4	5
665.	मेरीडन इंटरप्राइजेज	टेडराल एसए	610.23	
666.	क्यूरटेक स्किनकेयर/लीफोर्ड हेल्थकेयर लि.	सिलवाकयूर क्रीम	0.35	
667.	अवनी फार्मा	कोलबेट जीएम क्रीम	1.16	
668.	ट्राइडोज लेबस प्रा. लि.	एसेटन 25 एमजी	314.22	
669.	मर्क	टीनी ससपेंशन पोलीबायोन टेबलेट/ कैप्सूल, वेंट सिरप/200 एमजी टेबलेट		135.84
670.	मर्क	एमफलेम प्लस		140.57
671.	सेविल फार्मा लेबस	जी-माइसिन इंजे.		0.36
672.	आइ जी फार्मा लि.	नोरटोक्स 400	0.4	0.42
673.	इंटाक्स फार्मा लि.	जी-फलाटस-डी आई ड्राप्स		98.42
674.	एसके फार्मा. लि.	डेक्सारेस टेबलेट एंड सलबूटामोल सलफेट टेबलेट	14.75	
675.	एंडोलेबस लि.	डोमरने टेबलेट	0.29	0.29
676.	विलिन्स हेल्थकेयर	पीजोक्स टेबलेट	2.39	
677.	केडिला हेल्थकेयर लि.	नारटी 400 एलबी	39.31	
678.	बेस्ट लेब प्रा. लि.	रीकोनिया फिल्म कोटेड टेबलेट	1098.27	
679.	जेनिथ हेल्थकेयर लि.			0.95
680.	ओपथो रेमीडिज प्रा. लि.	मिनीडेक्स इ/इ ड्राप्स	1.02	
	कुल		202339.81	17262.28

मतदाता सूची 'डी-मतदाता' को हटाना

1665. श्री बदरूद्दीन अजमल :
श्री राजेन गोहैन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मतदाता सूची में डी-मतदाता (संदिग्ध मतदाता) चिह्नित घोषित करने के आधार क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में डी-मतदाताओं की संख्या कितनी है; और

(ग) मतदाता सूची में डी-मतदाताओं के नाम हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

1666. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में परिवर्तन की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर विचार करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन मशीनों की गोपनीयता/सुरक्षा एवं कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दवाओं का उत्पादन

1667. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र होने के बावजूद भारत दवाओं के उत्पादन में चीन से पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या भारत को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उपकरण एवं तकनीकी जानकारी के रूप में कोई सहायता दी गई है जिससे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का बेहतर प्रयोग किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) रसायन संक्रिया में विशेषज्ञता, पर्याप्त और उच्च गुणवत्तावाली प्रतिभा की उपलब्धता और बढ़ती अस्पताल अवसंरचना, जैसी विलक्षण सक्षमता के बावजूद औषधीय अनुसंधान और विकास पर विश्वभर में भारत का खर्च अत्यन्त कम है। भारत विश्व को जेनरिक दवाएं प्रदान करने में वैश्विक लीडर के रूप में उभरा है जबकि चीन अग्रणी बल्क औषध विनिर्माता देश है।

2020 तक भारत को फार्मा आर एंड डी तथा नवोन्मेष केन्द्र बनाने के लिए औषध निर्माण विभाग ने एक परामर्शी फर्म के सहयोग से एक ''श्वेत पत्र'' तैयार किया है। श्वेत पत्र में यह परिकल्पना की गई है कि भारत सरकार से अपना निवेश बढ़ाने और शिक्षा और अनुसंधान के लिए अवसंरचना निर्माण कार्य शुरू करने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने और उसके पोषण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने, अनुकूल विनियामक वातावरण तैयार करने आदि की अपेक्षा है ताकि वर्ष 2020 तक भारत पांच शीर्ष वैश्विक नवोन्मेष केन्द्रों में से एक बन सके।

कडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर रेल लाइन

1668. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर रेल लाइन को बिछाए जाने संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए अभी तक स्वीकृत तथा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइन को बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) कडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर नई लाइन परियोजना पर कडूर-चिकमगलूर (46 किमी.) खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मार्च, 2009 तक 71.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और रेलवे बजट 2009-10 में इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना में प्रगति होगी और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

खेमकरन तथा मल्लवले के बीच नई रेल लाइन

1669. डा. रतन सिंह अजनाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पंजाब में खेमकरन (जिला तरनतारन) तथा मल्लवले (जिला फिरोजपुर) के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। पट्टी (अमृतसर-खेमकरन लाइन पर) और मल्लांवाला (जालंधर-फिरोजपुर लाइन पर) के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) मल्लांवाला खास से घड़याला (25.72 किमी.) तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

लौह अयस्क पर आयात और निर्यात शुल्क

1670. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क पर आयात और निर्यात शुल्क बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अवसंरचनात्मक इस्पात और मजबूती प्रदान करने वाली सरिया पर आयात शुल्क बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कदमों से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडेपेण्डेण्ट स्टेट्स (सीआईएस) द्वारा इस्पात को विदेशों में सस्ते दामों पर बेचने से रोकने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है;

(ङ) क्या क्रोम अयस्क और क्रोम अयस्क सान्द्रों पर 15 प्रतिशत यथामूल्य (एंड वैलोरेम) शुल्क लगाने वाला कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पोत-भंजन पर सीमा शुल्क हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) से (च) सरकार ने यूनियन बजट 2009-10 के लिए प्रस्ताव लोक सभा में दिनांक 6.7.2009 को प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में इस्पात, लौह अयस्क तथा क्रोम अयस्क सहित इस्पात निर्माण में प्रयुक्त होने वाली आदान सामग्रियों और पोत भंजन पर मौजूदा शुल्क ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विमानपत्तनों का निर्माण

1671. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में नए विमानपत्तनों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो नए विमानपत्तनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा किन-किन शहरों के सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन शहरों में नए विमानपत्तनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नवी मुम्बई तथा सिंधु दुर्ग में नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे स्थापित करने के बारे में भारत सरकार के ''सैद्धान्तिक रूप में'' अनुमोदन की सूचना पहले ही दे दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में केवल पुणे (चाकन) तथा नवी मुंबई के संबंध में नये हवाईअड्डे के निर्माण हेतु कार्यस्थल का निरीक्षण ही किया है।

झांसी-कानपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण

1672. श्री धनश्याम अनुरागी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास झांसी-कानपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) झांसी-कानपुर खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण 2009-10 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इस कार्य के स्वीकृत होने के बाद ही दोहरीकरण कार्य को पूरा करने का समय बताया जाएगा।

[अनुवाद]

दीसा विमानपत्तन से उड़ान

1673. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार दीसा से जयपुर के रास्ते दिल्ली के लिए दैनिक उड़ान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दीसा एक प्रचालिक हवाईअड्डा नहीं है।

[हिन्दी]

बाड़मेर संचोर बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन

1674. श्री रघुवीर सिंह मीणा :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर-संचोर बेसिन से वाणिज्यिक कच्चे तेल का उत्पादन यथा अभिकल्पित रूप में शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस ब्लाक से तेल उत्पादन की दर स्वीकृत विकास योजना के अनुसार है;

(ग) आपरेटर के साथ संगत उत्पादन भागीदारी अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सरकार को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या बाड़मेर में एक तेल रिफायनरी की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव की क्या स्थिति है तथा रिफायनरी को चालू किए जाने के कार्य को त्वरित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। राजस्थान से कच्चे तेल के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। प्रचालक द्वारा प्रस्तुत संशोधित विकास योजना के अनुसार, चरम उत्पादन दर 1,25,000 बैरल (बीबीएल) प्रति दिन होने की संभावना है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने रिफाइनरी स्थापना के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) की एक सहायक कंपनी, मैंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड (एमआरपीएल) को नामित किया था। बाड़मेर में तेल रिफाइनरी लगाने का प्रस्ताव तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर निर्भर करता है जिसका निर्धारण ओएनजीसी द्वारा किया जाएगा। कच्चे तेल के उत्पादन पर, राज्य सरकार उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार रायल्टी प्राप्त करने की हकदार है। रायल्टी के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार पीएससी के अनुसार लाभ पेट्रोलियम प्राप्त करने का हकदार है।

[अनुवाद]

उड़ानों को बंद किया जाना

1675. श्री सुखदेव सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना तथा नांदेड़ विमानपत्तन से एयर इंडिया तथा अन्य विमान कंपनियों की कुछ उड़ानें बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त विमानपत्तनों पर उड़ान आपेरशन को पुनः कब शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक किसी भी अनुसूचित एयरलाइन ने लुधियाना के लिए विमान सेवा का प्रचालन आरंभ नहीं किया है। जहां तक नान्देड़ का संबंध है किंगाफिशर एयरलाइन मुंबई-नान्देड़-लातूर-मुंबई (सप्ताह में 3 बार) सेक्टर पर अनुसूचित विमान सेवा प्रचालित कर रही है। एअर इंडिया ने त्रिशताब्दी समारोह में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों को नान्देड़ के लिए/से यात्रा सुलभ कराने के लिए 29.10.2008 से 4.11.2008 तक अमृतसर-दिल्ली-नान्देड़ तथा वापसी मार्ग पर 7 सेवाएं प्रचालित की थीं। तथापि, एअर इंडिया की नांदेड़ के लिए/से नियमित अनुसूचित विमान सेवाएं प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) घरेलू एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग और अपनी-अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

टिकटें जारी करने हेतु कंप्यूटरीकृत प्रणाली

1676. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 2 फरवरी, 2009 को मुजफ्फरपुर में मोतीपुर स्टेशन पर टिकटें जारी करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या टिकट जारी करने की प्रणाली के खराब हो जाने के कारण, ठीक ढंग से कार्य न करने और आपरेटर के न होने से लोगों में अधिक रोष है; और

(ग) मोतीपुर स्टेशन पर उपरोक्त कंप्यूटरीकृत टिकट प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) मोतीपुर स्टेशन में 1 मार्च, 2009 को यू टी एस-एवं-पी आर एस प्रणाली संस्थापित कर दी गई है।

(ख) यू पी एस के ठीक ढंग से काम न करने, बी एस एन एल चैनल के खराब निष्पादन तथा अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण प्रणाली के कार्य न करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) संपर्कता, यू पी एस तथा बिजली आपूर्ति की समस्याओं को ठीक करने के लिए निवारक कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट

1677. श्री एस. सेम्मलई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के सेलम जिले में टमाटर तथा आम के प्रसंस्करण के लिए किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस यूनिट के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में एलोवेरा आधारित पोषणिक खाद्य अनुपूरकों के निर्माण हेतु, तमिलनाडु के सलेम जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके लिए 32.80 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि अनुमोदित की गई है। वित्तीय सहायता के तीव्र संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2007 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत बैंकों के जरिए संवितरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं हैं। तमिलनाडु समेत देश में सभी राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर मार्गनिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु के सलेम जिले से विशेषत: टमाटर और आम के प्रसंस्करण से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार वित्तीय सहायता संबंधी अपनी योजना स्कीमों और अन्य संवर्धनात्मक उपायों के जरिए प्रसंस्करण सुविधाओं समेत बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित खाद्य के सृजन को सुकर बनाती है जिसका उद्देश्य बरबादी में कमी लाना, मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी करना और शेल्फ लाइफ में बढ़ोतरी करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये है अथवा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, समेकित जनजातीय विकास क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर वित्तीय सहायता देता है जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न अन्य योजना स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास

को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचा के विकास, मानव संसाधन विकास, गुणता आश्वासन व अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन तथा अन्य संवर्धनात्मक उपायों के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

विचारण न्यायालयों की कार्य संस्कृति का पुनर्निर्धारण

1678. श्री वैजयंत पांडा : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली सहित देश भर में विचारण न्यायालयों की कार्य संस्कृति का पुनर्निर्धारण करने तथा इन्हें प्रयोक्ता हितैषी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संवेदनशील गवाहों तथा बच्चों, महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) राज्यों में सभी विचारण न्यायालय अपने-अपने उच्च न्यायालयों के सकल अधीक्षण के अधीन कृत्य करते हैं। इसलिए, विचारण न्यायालयों की कार्य प्रणाली और उन्हें प्रयोक्ता हितैषी बनाने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों में निहित है। तथापि, दिल्ली सहित देश भर में न्यायालयों को प्रयोक्ता हितैषी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, मुकदमेबाजों, अधिवक्ता, अभियोजन तथा विधि परिवर्तन अभिकरणों को विधिक और न्यायिक संसाधनों तक आनलाइन पहुंच प्रदान करने जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इरोड-गोबीचेट्टीपलयम-साथयामंगलम-समराजनगर के बीच नई रेल लाइन

1679. श्री सी. शिवासामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरोड-गोबीचेट्टीपलयम-साथयामंगलम-समराजनगर के बीच नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रेल लाइन के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) इरोड-सत्यमंगलम नई लाइन के लिए गोपीचट्टीपलायम के रास्ते एक सर्वेक्षण हाल ही में किया गया है। अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 63.50 किमी. लंबी लाइन की निर्माण लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 429.91 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रस्तावित नई लाइन इसकी अलाभप्रद प्रवृत्ति तथा संसाधनों के कारण शुरू नहीं की जा सकी।

सत्यमंगलम से चामराजनगर तक का भाग पहले ही बेंगलूरू से सत्यमंगलम चल रही नई लाइन का भाग है। इस परियोजना पर, गेट्टोवाडी तथा बेन्नारी (58 किमी.) के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तमिलनाडु के अरण्य विभाग की अनुमति ने मिलने के कारण रूक गया है। रेलवे ने सर्वेक्षण शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत गठित केन्द्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति से संपर्क किया था। केन्द्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति काफी सुनवाई आयोजित करने के बाद 14.5.2008 को माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य बातों के साथ-साथ सर्वेक्षण न करने की सिफारिश के संबंध में निर्णय दिया। आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही आगे सर्वेक्षण किया जाना संभव हो पाएगा।

बहरहाल, बेंगलूरू-सत्यमंगलम नई लाइन परियोजना के लिए रेल बजट 2009-10 में 0.10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

पाइप गैस योजना के प्रोत्साहन के लिए रूपरेखा

1680. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिटी गैस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) सहित विभिन्न कंपनियों द्वारा कोई रूपरेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित शहरों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश भर में नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006'' अधिनियमित किया है।

पीएनजीआरबी ने बोली की प्रक्रिया 2008 के अंतिम तिमाही में शुरू की थी। शहर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के लिए छह भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) यथा सोनीपत, कोटा, देवास, काकीनाड़ा, मथुरा और मेरठ के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। पीएनजीआरबी वर्तमान में नीलामी का दूसरा दौर चला रही है जिसमें सात भौगोलिक क्षेत्रों, अर्थात् इलाहाबाद, झांसी, गाजियाबाद, चंडीगढ़, यानम, राजमुंद्री और शहडोल को लाया जा रहा है।

''उपभोक्ता की संतुष्टि और उससे अधिक'' हेतु तेल क्षेत्र के लिए ''दृष्टिकोण-2015'' के तहत यह परिकल्पित है कि वर्ष 2015 तक 200 शहरों को संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) उपलब्ध कराई जाएगी।

[अनुवाद]

मतदाता पहचान पत्र को रद्द किया जाना

1681. श्री निशिकांत दुबे : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्यों की मतदाता सूची में काफी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को शामिल किया गया है और उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मतदाता सूचियों से उनके नाम को हटाने तथा उनके मतदाता पहचान पत्रों को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाली जमीन का वाणिज्यिक उपयोग

1682. श्री महेश जोशी :
श्री ए. सम्पत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राजस्थान सहित देश में वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेलवे की उपयुक्त खाली जमीन की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए पहचान किए गए सभी स्थलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस पर जोन-वार कितना व्यय किए जाने तथा इसके परिणामस्वरूप कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तिरूवल्ला रेलवे स्टेशन पर वी आई पी लाउंज

1683. श्री एंटो एंटोनी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को केरल के पथनमथीट्टा जिला स्थित तिरूवल्ला रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्ष तथा वी आई पी लाउंज की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तिरूवल्ला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण सहित इस स्टेशन के विकास के लिए मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों तथा सुरक्षा की कमी के संबंध में कोई शिकायत है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) तिरूवल्ला रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्ष और वी आई पी लाउंज की व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) रेल सुरक्षा बल और पुलिस सहायता चौकी की स्थापना और आरक्षण/बुकिंग कार्यालय में कर्मचारियों की रिक्तियां भरने के लिए मांग प्राप्त हुई है। इस समय आरक्षण/बुकिंग कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं। तिरूवल्ला रेलवे स्टेशन पर कोई आर पी एफ चौकी/आउट पोस्ट नहीं है। बहरहाल, तिरूवल्ला में बंदोबस्त ड्यूटी के लिए चौबीस घंटे रेल सुरक्षा बल का एक कर्मचारी तैनात रहता है। तिरूवल्ला में पुलिस सहायता चौकी की स्थापना की व्यवहारिकता की जांच के लिए स्थानीय पुलिस से जांच करने का अनुरोध किया गया है।

वस्त्र क्षेत्र के लिए 100 दिन का एजेंडा

1684. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस एजेंडे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) **वस्त्र मंत्रालय हेतु पहले 100 दिनों के लिए कार्यसूची**

डॉ. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात यह घोषणा की कि प्रत्येक मंत्रालय को ऐसे क्रियाकलापों की पहचान करनी चाहिए जिसे अगले 100 दिनों में किए जाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री के निदेशों के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय ने कार्रवाई के लिए 100 दिन की कार्यसूची बनायी है।

1. **परिणाम आधारित निष्पादन प्रबंधन पर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यशाला**

   वस्त्र मंत्रालय अगले 100 दिनों में मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए परिणाम आधारित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा।

2. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना**

   अगले 100 दिनों में मंत्रालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–

   (क) 2 एकीकृत वस्त्र पार्कों का उद्घाटन

   (ख) 15 अतिरिक्त पार्कों की स्थापना के लिए व्यय वित्त समिति (इएफसी) द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन

3. **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)**

   मंत्रालय की मौजूदा पहल को विकेंद्रीकृत क्षेत्र जैसे विद्युतकरघा और लघु उद्योग क्षेत्र को व्यापक रूप में लाभान्वित करने के लिए इस योजना के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और सघन किया जाएगा।

4. **राष्ट्रीय फाइबर नीति के लिए कार्यकारी समूह**

   अगले 100 दिनों में मंत्रालय वस्त्र और फाइबर मूल्य श्रृंखला के सभी स्टेक हॉल्डरों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय फाइबर नीति के लिए एक कार्यकारी समूह के गठन का कार्य शुरू करेगा। यह समूह सभी स्टेक हॉल्डरों के साथ विचार-विमर्श कर समयबद्ध रूप में एक नीति बनाएगा। यह रिपोर्ट आने वाले वर्षों के लिए वस्त्र क्षेत्र के वास्ते एक प्रवृत्ति निर्धारक होगी।

5. **भारतीय कपास निगम और कपास और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)**

   सरकार भारतीय कपास निगम लि. नामक एक एजेंसी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना चला रही है। ताकि मंद बाजार स्थितियों में भी किसानों को न्यूनतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। अगले 100 दिनों में मंत्रालय सीसीआई को अपनी एमएसपी दायित्वों को पूरा करने के लिए 1660 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा।

6. **ई-विपणन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल**

   अगले 100 दिनों में मंत्रालय की वेबसाइट को अद्यतन किया जाएगा और उसे इंटर-एक्टिव बनाया जाएगा तथा उसमें क्षेत्रीय भाषा इंटर-फेस, बार-बार पूछे जाने वाले (एफएक्यू) के साथ-साथ मंत्रालय की प्रतिक्रिया आदि

सहित मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम, परम्परागत और समकालीन शिल्पों के लिए डिजाइन पूल संबंधी सूचना होगी। वेबसाइट ई-विपणन के लिए एक पूर्ण मंच के साथ पहली बार तैयार होगी।

7. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण

अगले 100 दिनों में 7 मिलों, जिनका आधुनिकीकरण एनटीसी द्वारा किया गया है, का उद्घाटन किया जाएगा। ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(1) मुंबई में 3 मिलों अर्थात टाटा मिल्स, इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5 और पोद्दार मिल्स का उद्घाटन किया जाएगा (इन कम्पोजिट मिलों का आधुनिकीकरण एनटीसी द्वारा 73.10 करोड़ रु. की लागत से किया गया है)।

(2) कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु (इस कम्पोजिट मिल का आधुनिकीकरण एनटीसी द्वारा 7.61 करोड़ रु. की लागत से किया गया है)।

(3) कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु (इस कताई मिल की आधुनिकीकरण लागत 13.04 करोड़ रु. है)।

(4) पंकजा मिल्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु (इस कताई मिल की आधुनिकीकरण लागत 16 करोड़ रु. है)।

(5) श्रीरंगविलास एस एंड डब्ल्यू मिल्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु (इस कताई मिल की आधुनिकीकरण लागत 27.70 करोड़ रु. है।

8. सभी निर्यात संवर्धन परिषदों/निकायों के संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना

अगले 100 दिनों में मंत्रालय जुलाई, 2009 में जापान में मेगा शो (इंटरनेशनल फैशन फेयर) का संवर्धन होगा। जापान वस्त्र और क्लोदिंग वस्त्र का सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है लेकिन भारत का बाजार हिस्सा बहुत मामूली है (जापान के कुल वस्त्र आयात का 1.12% प्रतिनिधित्व वाले 2007 में 327 मिलियन अमरीकी डालर)। जापान में मेगा शो सिथेंटिक और सूती फैब्रिक पर संकेंद्रन के साथ 44 वस्त्र निर्यातकों के उत्पादों को प्रदर्शित करेगा। कुल मिलाकर इस इंटरनेशनल फैशन फेयर के लिए 50 बूथ बुक किए गए हैं और मंत्रालय इस मेले में भाग लेने के लिए निर्यातकों को 3 करोड़ रु. से अधिक प्रदान करेगा।

9. हथकरघा

मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित प्रयास करेगा:–

I. बुनकरों और संबद्ध कामगारों का प्रशिक्षण

अगले 100 दिनों में, मंत्रालय संपूर्ण देश में राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न विषयों में 50,000 हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा।

II. हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

अगले 100 दिनों में 2008-09 के दौरान इसी अवधि (अप्रैल-जुलाई, 2008) में शामिल किए गए 15,000 (लगभग) की तुलना में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1.5 लाख बुनकरों को शामिल किया जाएगा।

III. वेबसाइट पर क्षेत्रीय भाषाओं में हथकरघा योजनाएं

नेशनल इन्फार्मेटिक सेन्टर के माध्यम से अंतिम अनुवाद अगले 100 दिनों में www.handlooms.nic.in वेबसाइट पर डाला जाएगा।

IV. जनपथ नई दिल्ली में हैंडलूम काम्पलैक्स के निर्माण के वास्ते एजेंसी के बारे में निर्णय लिया जाना

अगले 100 दिनों में निर्माण के वास्ते एजेंसी के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

V. मिलगेट मूल्य योजना

अगले 100 दिनों में एनएचडीसी द्वारा पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान 188.9 लाख कि.ग्रा. की तुलना में हथकरघा बुनकरों को 225 लाख यार्न की आपूर्ति की जाएगी।

VI. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र (एनसीटीडी) के माध्यम से डिजाइनों को नि:शुल्क वितरण

वर्तमान में 880 डिजाइन वेबसाइट www.designdiary.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रयोक्ता से 500 रु. प्रति डिजाइन वसूला जाता है। अगले 100 दिनों में इन डिजाइनों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। नि:शुल्क डिजाइनों की उपलब्धता के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए देशी भाषाओं में मीडिया प्रचार शुरू किया जाएगा।

10. हस्तशिल्प

I. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत 1 लाख कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और डिजाइन सहायता की स्वीकृति

अगले 100 दिनों में 1 लाख कारीगरों (पिछले वर्ष में 22,000 कारीगरों की तुलना में) के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए स्वीकृति दी जाएगी।

II. बांस और बेंत विकास संस्थान, अगरतल्ला को चालू करना

अगले 100 दिनों में संस्थान के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेवार प्रबंधन एजेंसी के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा और संस्थान को इस अवधि के भीतर चालू किया जाएगा।

III 1.5 लाख कारीगरों को पहचान पत्र जारी करना

2009-10 में 5 लाख कार्ड जारी करने की योजना है जिसमें से 1.5 लाख कार्ड अगले 100 दिनों में जारी किये जाएंगे।

IV. राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) के तहत 1.5 लाख कारीगर परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करना

अगले 100 दिनों में 1.5 लाख नए कारीगर परिवारों को इस योजना के तहत लाया जाएगा जिसके लिए एक सतत शिविर दृष्टिकोण शुरू किया गया है ताकि इन कारीगरों को स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा के तहत तत्काल लाया जा सके। 50 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन अगले 100 दिनों में किया जाएगा जिसमें लगभग 50,000 कारीगरों को इन शिविरों की स्थापना के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आशा है।

V. कारीगर क्रेडिट कार्ड (एसीसी) योजना

अगले 100 दिनों में पात्र कारीगरों के 25,000 कारीगर क्रेडिट कार्ड आवेदन बैंकों को प्रस्तुत करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

VI. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के नेटवर्क का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प उत्पादों के लिए विपणन मंच का सृजन

अगले 100 दिनों में डीएमआरसी को भारत सरकार के हिस्से के प्रति 5.00 करोड़ रु. की राशि की रिलीज स्वीकृत करके इस परियोजना को कार्यान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा।

11. पटसन क्षेत्र

I. पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत बाजार यार्डों का विकास

अगले 100 दिनों मे दो बाजार यार्डों [(चापदंगा) पश्चिम बंगाल] और खाडूपेटिया (असम) को पूरा कर लिया जाएगा और उनका उद्घाटन किया जाएगा।

II. पटसन पैकेजिंग के लिए आरक्षण मानदंड

मंत्रालय द्वारा अगले पटसन वर्ष (जुलाई, 2009 से जून, 2010) के लिए जेपीएम अधिनियम के तहत आरक्षण के लिए मानदंड का निर्धारण किया जाएगा और इस क्रियाकलाप को अगले 100 दिनों में किया जाएगा।

III. पटसन शॉपिंग थैलों और अन्य मेडअप्स को लोकप्रिय बनाना तथा उसकी खुदरा बिक्री

अगले 100 दिनों में इस पहल को चार अन्य मेट्रों शहरों और गुड़गांव में तथा संभव होने पर वैष्णव देवी एवं तिरूपति के तीर्थ स्थानों पर शुरू करेंगे। साथ ही साथ, जेएमडीसी आपूर्तिकर्ताओं के साथ लागत बंटवारा आधार पर स्वतंत्र दुकानों के विकल्प की भी जांच करेगी। इस खुदरा पहल से ब्रांड छवि में सुधार आएगा और पटसन उत्पादों की दृश्यता और बिक्री में वृद्धि होगी।

IV. व्यापक संवर्द्धन अभियान

इस व्यापक प्रचार योजना को अगले 100 दिनों में लागू किया जाएगा और उसे क्रियाशील बनाया जाएगा।

V. ''खोये हुए बाजार'' के लिए पहल

अगले 100 दिनों में यह प्रस्ताव है कि (क) बाजार विकास और (ख) भारतीय पटसन पर लगाए गए शुल्क और गैर-शुल्क प्रतिबंधों से संबंधित मसलों को लैटिन अमरीकी देशों के साथ हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

12. रेशम उत्पादन

I. रेशम मार्क योजना को लोकप्रिय बनाना

अगले 100 दिनों में तीन प्रमुख रेशम मार्क एक्सपो का आयोजन किया जाएगा।

II. असम में एरी रेशम मिल का उद्घाटन

इस एरी स्पन रेशम मिल को आने वाले 100 दिनों में चालू किया जाएगा और उसका उदघाटन किया जाएगा।

13. विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र

I. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत मार्जिन मनी योजनाएं अगले 100 दिनों में मंत्रालय इस योजना के तहत 250 करोड़ रु. की परियोजना लागत से 250 नई परियोजनाएं स्वीकृत करेगा।

II. संशोधित समूह कार्यगृह योजना

अगले 100 दिनों में मंत्रालय 300 विद्युतकरघों और उससे जुड़ी अन्य मशीनरियों की संस्थापना के लिए 6 परियोजनाएं स्वीकृत करेगा।

III. संशोधित समूह बीमा योजना

अगले 100 दिनों में मंत्रालय इस योजना के तहत 25000 बुनकरों को शामिल करेगा।

IV. विद्युतकरघा कलस्टर के विकास के लिए एकीकृत योजना

अगले 100 दिनों में मंत्रालय इस योजना के तहत 300 विद्युतकरघा बुनरकरों को उच्चतर प्रौद्योगिकी से परिचित कराने के लिए 5 क्रेता व विक्रेता बैठकों और अनुभव दौरों की व्यवस्था करेगा।

14. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम

भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा की ऑनलाइन बिक्री में बढ़ोतरी कराने के लिए ई-विपणन सुविधाएं अगले 100 दिनों में शुरू की जाएगी जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्पाद प्रोफाइल को प्रदर्शित करेंगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप प्राप्त किया जाएगा और उत्पादों की आपूर्ति के लिए निर्धारित समय के भीतर उचित लिकेंज विकसित किया जाएगा।

15. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

अतिरिक्त संख्या के नामांकन के मामले में, निफ्ट को 2010 तक 729 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस लक्ष्य की तुलना में निफ्ट अगस्त, 2009 तक सभी केन्द्रों में ओबीसी श्रेणी के 630 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देगा।

अगले 100 दिनों में निफ्ट के वेबसाइट पर डिजाइनरों का पूल और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डाले जाएगें।

रेलवे जोनों/मंडलों का गठन

1685. श्री ए. सम्पत :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे मंडलों के गठन हेतु कोई मानदंड/दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने रेलवे मंडलों के गठन संबंधी मानदंडों/दिशा-निर्देशों के विपरीत किसी रेल मंडल के गठन को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे अन्य राज्यों सहित एक नए रेल जोन के गठन संबंधी केरल की काफी समय से लंबित मांग पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) रेल सुधार समिति और इस प्रयोजन के लिए गठित सलाहकार समिति के अनुसार नए जोनों और मंडलों का गठन अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं और कार्यकुशलता के अनुरूप आकार, कार्यभार, उपगम्यता, यातायात के स्वरूप और अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्षेत्रीय आधार पर नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण से नियंत्रण हटाना

1686. श्री मनीष तिवारी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1 अप्रैल, 2002 को अधिसूचित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण से नियंत्रण हटाने संबंधी नीति को अक्षरश: लागू करने का है; और

(ख) वर्ष 2004-2009 के बीच उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सही बनाए रखने के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु प्रशास्ति मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) को अनौपचारिक या अर्द्ध-औपचारिक रूप से पुन: लागू करने के संबंध में सरकार का क्या अनुभव रहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने 01 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) समाप्त कर दी थी और निर्णय लिया था कि पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों को मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा तय किया जाएगा। पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को वहनीय मूल्यों पर मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने राजसहायता योजनाएं बनाई थी जो अप्रैल, 2002 से लागू हैं।

तथापि, सरकार उपभोक्ता तथा अर्थव्यवस्था को तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की अस्थिरता और अनिश्चितता से बचाने के लिए चार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामत: पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा रही है।

चूंकि तेल मूल्यों में वृद्धि का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने से घरेलू मूल्यों में भारी वृद्धि हुई होती और स्फीतिकारी दशाएं बढ़ी होती। इससे निपटने के लिए सरकार ने समान बोझ हिस्सेदारी के सिद्धांत को अपनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्प वसूलियों का भार सभी पणधारकों नामत: सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के बीच समान रूप से बंटे। इस अवधारणा को अपनाते हुए, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इससे न केवल उपभोक्ता उच्च तेल मूल्यों के उतार-चढ़ाव से बचेंगे, बल्कि तेल कंपनियों को भी यथोचित लाभ होगा।

सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित मूल्य निर्धारण निर्णय लेना जारी रखेगी।

चालू रेल परियोजनाएं

1687. श्री बलीराम जाधव :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही एवं नई रेल परियोजनाओं की राज्य-वार क्या स्थिति है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि और खर्च की गई धनराशि का परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोल्डन रॉक रेलवे कालोनी

1688. श्री पी. कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्डन रॉक स्टॉफ क्वार्टर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और विद्यमान भवन के नवीकरण और नए भवनों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों विशेषत: त्रिचि मंडल के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कमर्शियल शॉपिंग काम्पलेक्स की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे ने विद्यमान रेलवे कालोनी के नवीकरण, गोल्डन रॉक रेलवे कालोनी में नए आवासीय भवनों और कमर्शियल शॉपिंग काम्पलेक्स के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) त्रिची में गोल्डन रॉक कालोनी में कुछ ऐसे क्वार्टर हैं, जिनका आयु-एवं हालात के आधार पर पुनर्निर्माण किया जाना है। इस प्रकार के क्वार्टरों का बदलाव चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के 64 क्वार्टरों के पुनर्निर्माण संबंधी कार्य को 2008-09 तथा 2009-10 में अनुमोदन दिया जा चुका है। विभागीय अनुरक्षण कार्यों तथा जोनल ठेकों के लिए जरिए क्वार्टरों की छोटी-मोटी तथा तात्कालिक मरम्मतें की जाती हैं। कालोनी में वाणिज्यिक शॉपिंग परिसर की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

यात्रियों की संख्या में वृद्धि

1689. श्री गणेश सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान विमान यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में ले जाए गए यात्रियों का ब्यौरा इस प्रकार हैं:–

वर्ष	ले जाए गए यात्री (मिलियन में)	
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
2007	43.3	26.34
2008	41.3	28.82

(ग) नैसिल जो कि, 1 अप्रैल, 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विलय के बाद बनी थी, को वर्ष 2007-08 के दौरान 2226 करोड़ रुपये की हानि हुई है तथा वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 5200 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।

गोरखपुर में सड़क उपरि पुल

1690. योगी आदित्यनाथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न रेल समपारों पर उपरि पुलों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन स्थानों पर उक्त उपरि पुलों के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से निम्नलिखित चार ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें स्वीकृत किया गया है और तत्संबंधी स्थिति नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गई है:—

क्र. सं.	लोकेशन (समपार संख्या)	खंड	लागत (रेल का हिस्सा) करोड़ में	वर्तमान स्थिति
1.	158	गोरखपुर-गोरखपुर कैंट	6.72	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमान अनुमोदित, पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
2.	161	गोरखपुर-डोमिनगढ़	10.66	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित, राज्य सरकार से अनुमान प्राप्त हो गए हैं। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
3.	163	गोरखपुर-डोमिनगढ़	8.6	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित, राज्य सरकार में अनुमान प्राप्त हो गए हैं, संयुक्त अनुमान स्वीकृत होने के बाद वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होगा।
4.	169	सहजनवा-मगहर	5.53	उपरी सड़क पुल 2008-09 (पूरक मांगें) में स्वीकृत हुआ था। रेलवे के हिस्से का नक्शा बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है। संयुक्त सामान्य आरेखण व्यवस्था राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

अजमेर शरीफ के लिए विशेष ट्रेनें

1691. श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अजमेर शरीफ में उर्स में भाग लेने के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर शरीफ और देश के अन्य राज्यों विशेषकर झारखंड के बीच ट्रेनें चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की स्थिति के अनुसार त्यौहारों तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए चलाई गई ट्रेनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त विशेष ट्रेनों के माध्यम से सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष में होने वाले उर्स त्यौहारों के अवसर पर तीर्थयात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिए हैदराबाद, काचेगुड़ा, ओंगल, निजामाबाद, सियालदह, हावड़ा, बरौनी, छपरा, भागलपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मुम्बई, बांद्रा तथा दिल्ली से अजमेर के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं।

(ग) विशेष गाड़ियों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, विगत तीन वर्षों के दौरान चलाई गई विशेष गाड़ियों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:—

2006-07	—	16249 फेरे
2007-08	—	21750 फेरे
2008-09	—	33908 फेरे

चालू वर्ष के दौरान, ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ के निकासी के लिए जून तक विशेष गाड़ियों की अभी तक अनुमानत: 7500 फेरे लगाए जा चुके हैं।

(घ) विभिन्न अवसरों पर चलाई गई विशेष गाड़ियों से अर्जित राजस्व के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विनियामक प्राधिकरण

1692. श्री एल. राजगोपाल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनियामक प्राधिकरण की स्थापना से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के मानकों में सुधार लाने में कितनी सहायता मिलेगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 अधिसूचित किया है जिसमें खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने का उल्लेख है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की संकल्पना, स्वरूप निर्धारण तथा संसद के पटल पर रखने का कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। तथापि, सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के प्रशासन तथा कार्यान्वियन का दायित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

नाफ्था आधारित पेट्रोलियम तेल शोधनशालाओं की स्थापना

1693. डॉ. भोला सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नाफ्था आधारित पेट्रोलियम तेल शोधनशाला की स्थापना के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) रिफाइनरी क्षेत्र को जून 1998 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। तब से, उसकी व्यवहार्यता पर प्रोन्नायक के आकलन पर, देश में कहीं भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र उद्यम द्वारा किसी रिफाइनरी की स्थापना की जा सकती है।

किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ने नाफ्था आधारित किसी पेट्रोलियम रिफाइनरी को स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

पेट्रोल में मिलावट

1694. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अधिकांश पेट्रोप पंप ठेके पर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोल में मिलावट और पेट्रोल मापने में अनियमितता को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसे रोका नहीं जा सका है तथा उपभोक्ताओं से मिलावटी पेट्रोल के कारण कार-इंजनों के खराब होने की अनेक शिकायतें मिल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोल की मिलावट में लिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू करने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली राज्यों में खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) का लगभग 3% इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के हैं और लगभग 1% खुदरा बिक्री केन्द्र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के हैं जिन्हें संविदा आधार पर कंपनी-स्वामित्व-कंपनी-प्रचालित (सीओसीओ) आरओ के रूप में चलाया जा रहा है।

(ख) पेट्रोल/डीजल के बीच मूल्य में भारी अंतर तथा बाजार में उपलब्ध अनेक अपमिश्रकों और पेट्रोल/डीजल के साथ इन उत्पादों के आसानी से मिल जाने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल की मिलावट की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि उनके ग्राहकों को बेचे जा रहे मिलावटी पेट्रोल के कारण कार-इंजनों के खराब होने का कोई प्रमाणित मामला नहीं है।

(ग) और (घ) ओएमसीज आरओज का नियमित और अचानक निरीक्षण करती हैं और साथ ही विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) तथा डीलरशिप करारों के अधीन मिलावट और कदाचार में लिप्त आरओज के विरुद्ध कार्रवाई भी करती हैं। एमडीजी में मिलावट करने, सील तोड़ने तथा डिस्पेसिंग यूनिटों में अनधिकृत फिटिंग्स/गीयर्स जैसे गंभीर कदाचारों के लिए प्रथम बार में ही डीलरशिप रद्द करने का प्रावधान है।

मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने अनेक अतिरिक्त उपाय आरंभ किए हैं जैसे आरओज को स्वचालित करना, आरओज का तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के आवागमन की निगरानी करना, एमडीजी का संशोधन, स्मार्ट कार्ड आरंभ करना आदि।

[हिन्दी]

वस्त्र पार्क

1695. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में 15 नए वस्त्र पार्कों की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त पार्कों के अंतर्गत कितनी वस्त्र इकाइयों की स्थापना किए जाने का अनुमान है; और

(ङ) उक्त पार्कों की स्थापना हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एमआईटीपी) स्थान विशिष्ट नहीं है। मुख्य रूप से यह एक मांग आधारित योजना है और उद्योग संघ/उद्यमी समूह वस्त्र पार्क के प्रमुख प्रवर्तक हैं। अत: आमतौर पर परम्परागत वस्त्र केन्द्रों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। गैर प्रतिनिधित्व वाले राज्यों से प्राप्त उन परियोजनाओं जो संभावित रूप से अर्थक्षम हों, के प्रस्तावों को, योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अध्यधीन 11वीं योजना के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) सरकार द्वारा, इस योजना के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के समग्र परिव्यय में से कुल 450 करोड़ रु. (लगभग) का व्यय किए जाने की आशा है।

(घ) उक्त पार्कों के तहत संभावित रूप से स्थापित किए जाने वाले वस्त्र एककों की संख्या परियोजनाओं के आकार परियोजनाओं के प्रकार, अर्थात हथकरघा अथवा हस्तशिल्प पार्क, पर भी निर्भर करती है।

(ङ) पार्कों की प्रकृति और आकार के अनुसार परियोजना के पूरा होने में अनुमोदन की तारीख से 30-36 महीने लगते हैं। नई परियोजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

न्यायाधीशों के लिए वेतन आयोग

1696. श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त नए न्यायिक वेतन आयोग को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने न्यायाधीशों के लिए छठा वेतन आयोग लागू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों को अवधारित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्यांक

1022/1989-आल इंडिया जजेज एसोशिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में आई.ए. संख्यांक 244 में पारित अपने तारीख 28.04.2009 के आदेश में, अन्य बातों के साथ श्री न्यायमूर्ति ई. पदमनाभन, सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय न्यायाधीश को समिति के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में यह उल्लेख है कि उक्त समिति न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों और भत्ते तथा अन्य परिलब्धियों के संबंध में न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग द्वारा पहले से की गई सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने समिति से यह अनुरोध किया है कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र और 20 जुलाई, 2009 के पश्चात् प्रस्तुत करे।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि

1697. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दवाओं के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भेषज कंपनियों द्वारा सरकार से किसी दवाई के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन दवाओं के क्या नाम हैं जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन दवाओं के मूल्य कम किए गए है, उनका ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (डीपीसीओ, 1995) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उनपर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य डीपीसीओ 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य, उत्पादन लागत, विपणन/विक्रय व्यय, आर एंड डी व्यय, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवोन्मेष, उत्पादन गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर विनिर्माता द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जहां जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, वहां सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

एनपीपीए, ओआरजी आईएमएस की रिपोर्टों और व्यक्तिगत विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों की निगरानी करता है। जहां मूल्य में 10% प्रतिवर्ष से अधिक की बढ़ोतरी (1.4.2007 से पहले 20%) पायी जाती है, विनिर्माताओं को स्वैच्छिक रूप से मूल्य घटाने के लिए कहा जाता है और ऐसा न होने पर जनहित में फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण के लिए डीपीसीओ, 1995 के अनुच्छेद 10 (ख) के शर्ताधीन मूल्य निर्धारण की कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की निगरानी के आधार पर, एनपीपीए ने अनुच्छेद 10(ख) के अधीन 27 गैर-अनुसूचित फार्मूलेशन पैकों के मूल्य निर्धारित किए हैं और 60 फार्मूलेशन पैकों के मामले में कंपनियों ने स्वेच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार, कुल मिलाकर, एनपीपीए के हस्तक्षेप के फलस्वरूप गैर-अनुसूचित औषधों के 87 पैकों के मूल्य घटे हैं।

ओआरजी-आईएमएस आंकड़ों के आधार पर फरवरी, 2009, 2008 एवं 2007 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्यों के उतार-चढ़ाव का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

माह के दौरान मूल्य परिवर्तन	फरवरी, 2009		फरवरी, 2008		फरवरी, 2007	
	दवाओं की संख्या (पैक)	कुल का % (57,249)	दवाओं की संख्या (पैक)	कुल का % (54,374)	दवाओं की संख्या (पैक)	कुल का % (51,390)
1	2	3	4	5	6	7
क. मूल्य घटे	19	0.03%	19	0.03%	117	0.23%
ख. मूल्य बढ़े	11	0.02%	21	0.03%	305	0.68%
(क) 5% तक	4	0.01%	19	0.03%	167	0.32%

1	2	3	4	5	6	7
(ख) 5% से अधिक और 10% तक	5	0.01%	2	0.00%	67	0.13%
(ग) 10% से अधिक और 20% तक	2	0.00%	—	—	48	0.09%
(घ) 20% से अधिक	—	—	—	—	23	0.04%
ग. मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं	57219	99.95%	54334	99.93%	50968	99.18%

[अनुवाद]

रामगंज मंडी-झालावाड़-भोपाल रेल लाइन

1698. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगंज मंडी-झालावाड़-भोपाल रेल लाइनों के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि की कमी के कारण इस रेल लाइन के लिए अभी तक मात्र 723 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रेल लाइन के लिए धनराशि के आबंटन सहित कार्य की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजना प्रगति पर है। राजगंजमंडी-झालावाड़ खंड का कार्य मार्च, 2011 तक पूरा हो जाने की संभावना है। 31.03.2009 तक इस परियोजना पर किया गया खर्च 19.60 करोड़ रु. है और वर्ष 2009-10 के दौरान इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

मतदाताओं की संख्या

1699. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने मतदाता हैं;

(ख) देश में राज्यवार कितने मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र मिल चुके हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ खर्च की जाने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राज्यों को जारी कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

1700. शेख सैदुल हक : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर एलॉय इस्पात संयंत्र, पश्चिम बंगाल के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) मिश्र इस्पात संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का आधुनिकीकरण एक चल रही प्रक्रिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अनेक योजनाओं को पहले ही कार्यान्वित कर चुका है जिनमें रिफाइनिंग कनवर्टर (आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बुराइजेशन) की स्थापना, इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस का प्रतिस्थापन, 25 एमवीए ट्रांसफार्मर की अधिप्राप्ति और बिल्ड-ऑन-आपरेट (बीओओ) आधार पर ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना शामिल हैं। इसके अलावा लैडल फर्नेस की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

मुम्बई से डॉल्टनगंज के बीच रेल संपर्क

1701. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डॉल्टनगंज को मुम्बई सहित देश के विभिन्न शहरों से जोड़ने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे पालामउ के विभिन्न ब्लॉकों को देश के शेष भागों से जोड़ने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे को इस संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) डाल्टनगंज पहले ही बड़ी लाइन नेटवर्क पर है। डाल्टनगंज को अन्य शहरों से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, गया से डाल्टनगंज तक नई लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विगत में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

झारखंड के लिए विमान संपर्क

1702. श्री अर्जुन मुंडा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में विमान संपर्क कम है; और

(ख) यदि हां, तो जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद को विमान सेवा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। इस समय तीन अनुसूचित वाणिज्यिक एयरलाइनें जैसे एयर इंडिया, किंगफिशर तथा एमडीएलआर झारखंड को देश के अन्य दूसरे भागों से जोड़ती हैं।

झारखंड राज्य में अनुसूचित हवाई सेवाओं को विवरण निम्न प्रकार से है:–

नैसिल

मुंबई-दिल्ली-रांची और वापसी	–	दैनिक

किंगाफिशर एयरलाइन्स

कोलकाता-रांची-कोलकाता	–	दैनिक
कोलकाता-जमशेदपुर-कोलकाता	–	दैनिक
दिल्ली-रांची-पटना-दिल्ली	–	दैनिक
मुंबई-पटना-रांची-मुंबई	–	दैनिक

एमडीएलआर एयरलाइन्स

दिल्ली-रांची-जमशेदपुर और वापसी	–	दैनिक

(ख) किंगाफिशर और एमडीएलआर पहले से ही जमशेदपुर से हवाई सेवा प्रदान कर रहे हैं। जहां तक बोकारो और धनबाद का संबंध है, सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हवाई यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई यातायात सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, एयरलाइनें, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और यातायात मांग के आधार पर कहीं भी हवाई सेवा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार, सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों का अनुपालन करके, एयरलाइनें, देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस का उत्पादन

1703. श्री संजय धोत्रे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी-6 क्षेत्र की गैस वितरण नेटवर्क के लिए भेजी जाने लगी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है तथा किस मूल्य पर इसे वितरित किया जाना है;

(ग) के जी-6 बेसिन के प्राकृतिक गैस उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है; और

(घ) अन्वेषण हेतु के जी-6 का अधिकतम जीवनकाल कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी हां। केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन अप्रैल, 2009 से आरंभ हो गया है।

(ख) केजी-6 ब्लाक से वर्तमान गैस उत्पादन 31 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) है और इसकी बिक्री, शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह (ईजीओएम) द्वारा अनुमोदित मूल्य फार्मूले के अनुसार, खरीददारों और विक्रेताओं के बीच केजी-6 से गैस के गैस बिक्री और खरीद करारों के अनुसार की जा रही है जिसमें कच्चे तेल के 60 अमरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक अथवा उसके बराबर मूल्य पर 4.2 अमरीकी डालर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) के लिए प्रावधान है।

(ग) वर्ष 2009-10 के लिए केजी डी-6 बेसिन में वार्षिक उत्पादन 21.9 (बिलियन घन मीटर) बीसीएम होने की संभावना है।

(घ) इस क्षेत्र का संभावित जीवन तेरह वर्ष होने की आशा है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा कार्य बल को युक्तिसंगत बनाना

1704. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपने कार्य बल को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) एक नवरत्न कंपनी है जिसकी जनशक्ति दिनांक 1.4.2009 की स्थिति के अनुसार 121295 है। प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सेल सतत् आधार पर अपनी जनशक्ति को युक्तिसंगत बना रहा है। जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने से क्लस्टर सिस्टम ऑफ वर्किंग, तैनाती में नम्यता, ऑटोमेटेड वर्किंग जैसे प्रणाली से जुड़े अनेक बदलावों और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां अपनाने को बढ़ावा दिया गया है जिससे दक्षता में सुधार हुआ है और कार्य संस्कृति बेहतर हुई है। तथापि, जनशक्ति को मुख्यत: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों की सामान्य अधिवर्षिता और साथ ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं के जरिए युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

पूर्व-मध्य रेलवे

1705. श्री मंगनी लाल मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत सकरी से झंझारपुर, झंझारपुर से निर्मली और झंझारपुर से लोकाहा तक आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या निर्मली में कोसी नदी पर रेल उपरि पुल के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है तथा इन पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सकरी-झंझारपुर-निर्मली पर मिट्टी संबंधी छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य के ठेके दे दिए गए है और कार्य प्रारंभ हो गया है। झंझारपुर-लोकहा बाजार के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।

(ख) और (ग) निधियों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति कर रहा है। इस बड़े पुल के लिए किए मिट्टी संबंधी पर्यवेक्षण तथा आवश्यक मॉडल अध्ययन में कुछ अतिरिक्त समय लगा और जून, 2007 तक पूरा हुआ। पुल के उपसंरचना तथा अधिसंरचना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

कोसी पुल की अनुमानित लागत 341.41 करोड़ रु. है और 31.03.2009 तक 66.95 करोड़ रु. व्यय कर लिया गया है। सकरी-निर्मली, झंझारपुर-लौकहा बाजार तथा सहरसा-फरबिसगंज आमान

परिवर्तन परियोजना की अनुमानित लागत 355.81 करोड़ रु. है तथा 31.03.2009 तक किया गया खर्च 5 करोड़ रु. है।

राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति

1706. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 अपनाई है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा उन किसानों के समुचित पुनर्वास हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिनकी भूमि का हाजीपुर, सुगौली, छपरा और मुजफ्फरपुर से रेल लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2007 रेलों से संबंधित परियोजनाओं एवं लोगों के अस्वैच्छिक विस्थापन के साथ-साथ सभी परियोजनाओं पर लागू है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान तथा अधिसूचित विशेष रेलवे परियोजना संबंधी रेल अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से रेलों द्वारा भूमि अधिगृहीत की जाती है। हाजीपुर-सगौली, छपरा-मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन सहित इन सभी मामलों में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना

1707. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैस आधारित उद्योगों की भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना करने हेतु विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों की ओर से राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि कुछ राज्यों की सरकारों की ओर से अपने-अपने राज्य में पाइपलाइन क्नेक्टिविटी के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) देश में प्राकृतिक गैस परिवहन नेटवर्क मौजूद है। इस नेटवर्क में 9,000 कि.मी से अधिक की ट्रंक पाइपलाइन हैं। इन पाइपलाइनों के स्वामी और प्रचालक केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कंपनियां हैं।

इसके अतिरिक्त ग्राहकों को प्राकृतिक गैस के विभिन्न स्रोतों से जोड़ते हुए विभिन्न कंपनियों द्वारा देश में ट्रंक गैस पाइपलाइनों का एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है। दाहेज-उरान पाइपलाइन (डीयूपीएल) और दाभोल-पनवेल पाइपलाइन (डीपीपीएल), जगोती-पीतमपुर, विजयपुर-कोटा और केलारस-मालानपुर पाइपलाइन गेल द्वारा क्रमशः जुलाई, 2007, मार्च, 2007, जनवरी, 2007 और जुलाई, 2006 में चालू कर दीं गई थीं। 2009 में रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजीटीआईएल) ने देश के अन्य भागों में ग्राहकों को के.जी. बेसिन से गैस का परिवहन करने के लिए काकीनाड़ा-हैदराबाद-उरान-अहमदाबाद पाइपलाइन (1385 कि.मी.) चालू कर दी है। दादरी-पानीपत पाइपलाइन (133 कि.मी.) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) द्वारा क्रियान्वयनाधीन है।

गेल को दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन, चैंसा-गुड़गांव-झज्जर-हिसार पाइपलाइन, जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन, दाभोल-बंगलौर पाइपलाइन और कोच्चि-कांजीरकोड-बंगलौर/मंगलौर पाइपलाइन के लिए प्राधिकार जारी कर दिए गए हैं। रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरीटीआईएल) को काकीनाड़ा-वासुदेबपुर हावड़ा पाइपलाइन, विजयवाड़ा-नेल्लूर-चेन्नई पाइपलाइन, चेन्नई-तूतीकोरिन पाइपलाइन और चेन्नई-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन के लिए प्राधिकार प्रदान कर दिए गए हैं।

इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और बिना किसी भेदभाव के इसे विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 अधिनियमित किया है।

डिस्पोजेबल बेडरोल्स

1708. श्री संजय निरुपम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार कुछ चुनिंदा श्रेणियों/रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए डिस्पोजेबल बेडरोल्स शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए जैव अपघटनीय बेडरोल्स की आपूर्ति के लिए कौन-कौन सी ऐजेंसियों को चुना गया है; और

(घ) सभी यात्रियों को ये नए बेडरोल्स कब तक उपलब्ध हो जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं, यद्यपि किसी एक गाड़ी के प्रथम वातानुकूल सवारी डिब्बों में यात्रियों की मांग पर डिस्पोजेबल/बायो-डिस्पोजेबल बेंडरोल्स की आपूर्ति के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे, परन्तु इसे माना नहीं गया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में बैठने की व्यवस्था

1709. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को निजामुद्दीन से जयनगर के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी में क्षमता से अधिक सीटों के कारण यात्रियों को हो रही असुविधा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या रेलवे ने जयनगर-मधुबनी-दरभंगा मार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए राजधानी सहित रेलगाड़ियां आरंभ की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) 2569/2570 निजामुद्दीन-जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस में बैठने की व्यवस्था के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। 2008-09 में निम्नलिखित नई गाड़ियां चलाई गई हैं जो दरभंगा-मधुबनी-जयनगर खंड के यात्रियों को भी सेवित करेंगी:-

1.	2569/2570	निजामुद्दीन-जयनगर गरीबरथ एक्सप्रेस
2.	5283/5284	जयनगर-सहरसा जानकी एक्सप्रेस
3.	377/378	जयनगर-दरभंगा पैसेंजर
4.	379/380	जयनगर-दरभंगा पैसेंजर

छत्तीसगढ़ में चल रही/लंबित रेल परियोजनाएं

1710. श्री चंदूलाल साहू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं सहित कराए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महासमुद से संबलपुर (उड़ीसा) वाया पिथौरा सराईपाली रेल लाइन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस परियोजना को कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्ष के दौरान पूरे किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	सर्वेक्षण का नाम
1.	अभानपुर-राजिम सहित रायपुर-धमतारी का आमान परिवर्तन
2.	झारसुगुडा-चाम्पा तीसरी लाइन

छत्तीसगढ़ में चालू कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	योजना शीर्ष	परियोजना का नाम	(किमी. में अनुमानित लम्बाई)
1.	नई लाइन	दल्लीराजहरा-जगदलपुर	235.00
2.	दोहरीकरण	भिलाई-दुर्ग तीसरी लाइन	13.16
3.	दोहरीकरण	बिलासपुर-सल्का रोड	39.40
4.	दोहरीकरण	बिलासपुर-उरकुरा	110.00
5.	दोहरीकरण	अन्नुपुर पर बॉयपास	6.00
6.	दोहरीकरण	चम्पा पर बॉयपास	14.00
7.	दोहरीकरण	चम्पाझरसुगुडा तीसरी लाइन	165.00
8.	दोहरीकरण	बिलासपुर पर फ्लाईओवर सहित खोदी-अनुपपुर	61.60
9.	दोहरीकरण	रायपुर-टिटलागढ़	203.00
10.	दोहरीकरण	सल्का रोड-खोंगसरा	26.00

(ख) और (ग) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब और ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण बिलासपुर-उरकुरु देहरीकरण परियोजना निर्धारित समय से पिछड़ रही है। इस कार्य में व्यस्त विद्युतीकृत मार्ग पर महत्वपूर्ण यार्ड संबंधी कार्य अंतर्ग्रस्त है जिसमें अत्यधिक समय लग रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुणे-नासिक-सूरत रेल लाइन

1711. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे-नासिक-सूरत नई रेल लाइन बिछाने का रेलवे का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस परियोजना को कोंकण रेलवे की तर्ज पर पूरा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल यात्रियों का उत्पीड़न

1712. श्रीमती जयाप्रदा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा रेल यात्रियों से दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ तथा उत्पीड़न के दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दोषी टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा रेलयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ और उत्पीड़न के संबंध में 92 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 20 मामलों को अपराधिक मामलों के रूप में दर्ज किया गया, 44 मामलों में कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गई, 24 मामले साबित नहीं हो पाए, 2 मामलों में शिकायत वापस ले ली गई और दो मामले टिकट जांच कर्मचारियों की पहचान करने के लिए जांचाधीन है। कुल 92 मामलों में से छेड़छाड़ के दो अपराधिक मामले संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज किए गए। एक मामले में चल टिकट परीक्षक को दोषी ठहराया गया और दूसरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, फिलहाल चल टिकट परीक्षक को निलंबित रखा गया है। गत तीन वर्षों यथा 2006, 2007, 2008 तथा 2009 (30 जून तक) में यात्रा के दौरान टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यव्हार, छेड़छाड़ और उत्पीड़न के दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रतिवेदित/दर्ज मामलों की सं.			दोषी टिकट जांच कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई
	दुर्व्यव्यहार	छेड़छाड़	उत्पीड़न	
2006	10	1	–	(i) 2 मामलों में टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस केस दर्ज किया गया। (ii) 5 मामलों में टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। (iii) 3 मामलें साबित नहीं हो पाए। (iv) 1 मामला वापिस ले लिया गया।
2007	25	1	4	(i) 7 मामलों में टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस केस दर्ज किया गया। (ii) 14 मामलों में टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। (iii) 9 मामले साबित नहीं हो पाए।
2008	30	–	4	(i) 6 मामलों में टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस केस दर्ज किया गया। (ii) 17 मामलों में टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। (iii) 10 मामले साबित नहीं हो पाए। (iv) 1 मामला वापिस ले लिया गया।
2009 (जून तक)	16	–	1	(i) 5 मामलों में टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस केस दर्ज किया गया। (ii) 8 मामलो में टिकट जांच कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। (iii) 2 मामले साबित नहीं हो पाए। (iv) दोषी कर्मचारियों की पहचान करने के लिए दो मामले जांचाधीन है।
कुल	81	2	9	

[हिन्दी]

जालौर में आमान परिवर्तन कार्य

1713. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालौर मुख्यालय में आमान परिवर्तन कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जालौर में निर्माण के लिए प्रस्तावित सड़क अधोगामी पुलों (आरयूबी) तथा सड़क ऊपरि पुलों (आरओबी) का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं। जालोर का आमान परिवर्तन भिलड़ी-समदड़ी आमान परिवर्तन कार्य का हिस्सा है। यह कार्य बेहतर ढंग से प्रगति कर रहा है और 2009-10 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जालोर में किसी निचले/ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह का पुनर्गठन

1714. श्री उमाशंकर सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस आवंटन के संदर्भ में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह का पुनर्गठन करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ एक पैनल गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) गैस आबंटन के संदर्भ में मंत्रियों के शक्ति प्रदत्त समूह का पुनर्गठन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त डिब्बे

1715. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना राजधानी एक्सप्रेस में केवल बारह ही डिब्बे होते हैं, जिसके कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है और उनके टिकट बहुत कम बार ही पुष्ट हो पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या को बारह से बढ़ाकर सोलह करने का है जिससे कि यात्रियों को आसानी से आरक्षण मिल सके;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) जी, नहीं। 2309/2310 पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की संरचना में तेरह सवारी डिब्बे हैं जिन्हें मौजूदा यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। बहरहाल, व्यस्त अवधि के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े जाते हैं।

जयपुर-लोहारू, चुरू-सीकर के बीच आमान-परिवर्तन

1716. श्री शीश राम ओला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल बजट 2007-08 में की गई घोषणा के बावजूद राजस्थान में जयपुर से लोहारू, चुरू से सीकर के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) 2007-08 के बजट भाषण में यह उल्लेख किया गया था कि उन परियोजनाओं के निष्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी जो नेटवर्क पर वैकल्पिक मार्गों के रूप में सेवित करेंगी। जयपुर-सीकर-चुरू-झुंझनु इन वर्णित वैकल्पिक मार्गों में से एक था। तत्पश्चात, जयपुर-रिंगस-चुरु और सीकर-लोहारू के आमान परिवर्तन कार्य को 2008-09 के रेल बजट में शामिल किया गया। परियोजना के लिए विस्तृत अनुमान तैयार हो गए हैं। जयपुर-रिंगस और सीकर-लोहारू के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। परियोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगी।

न्यायाधीशों की परिसंपत्तियां तथा देनदारियां

1717. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए अपनी-अपनी परिसंपत्तियों तथा देनदारियों को घोषित करना अनिवार्य बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) जी, हां।

(ख) तत्संबंधी ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

1718. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बहुत से मामले पिछले 15 वर्षों से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त लंबित मामलों को शीघ्र निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) सेल के लिए लागू नेशनल ज्वाइंट कमेटी फार स्टील इंडस्ट्री (एनजेसीएस) वेज एग्रीमेंट में यह सहमति है कि ''रोजगार के कारण और रोजगार के दौरान दुर्घटना की वजह से कर्मचारी की स्थाई विकलांगता होने अथवा मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रितों में से एक को रोजगार प्रदान किया जाएगा''।

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में उस पूर्व कर्मचारी के एक आश्रित को अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान किया जाता है जिसका नाम निम्न कारणों की वजह से कंपनी के रोल से हटाया गया हो:-

(i) घातक कारखाना दुर्घटना।

(ii) ड्यूटी आरंभ होने के एक घंटे पहले या समाप्त होने के एक घंटे के भीतर आवास से कार्य स्थल तक जाने या वापस लौटने में यात्रा के दौरान घातक सड़क दुर्घटना होने पर बशर्ते कार्य स्थल तक जाने वाले सामान्य मार्ग में दुर्घटना हुई हो।

(iii) कारखाना दुर्घटना अथवा सड़क दुर्घटना जैसे की ऊपर क्रम सं. (ii) में उल्लेख है, के कारण स्थाई रूप से पूर्ण विकलांगता होने।

(iv) स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थाई अयोग्यता।

क्रम सं. (i) और (iii) से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। क्रम सं. (ii) के अंतर्गत एक मामले (एक कर्मचारी जिसकी दिनांक 16.10.2008 को सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी) पर कार्रवाई चल रही है।

जहां तक क्रम सं. (iv) का संबंध है, बीएसपी में स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्यता के मामले में रोजगार प्रदान करने वाली विद्यमान नीति दिनांक 6.9.2005 से लागू की गई थी। इस नीति में कैंसर और गुर्दे की बीमारी के कारण स्वास्थ्यगत अयोग्यता आ जाने पर रोजगार प्रदान किया जाता है। कुछ शर्तों के अधीन लकवा और दिल की बीमारियों के मामलों पर भी शामिल करते हुए इस नीति का मई, 2009 में विस्तार किया गया था। कैंसर और गुर्दे की बीमारियों के संबंध में सभी पात्र आवेदकों को रोजगार प्रदान कर दिए गए हैं। कुल 78 लंबित आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है।

गत 15 वर्षों (1994-2009) के दौरान बीएसपी में अनुकंपा आधार पर कुल मिलाकर 512 नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास का निर्यात

1719. श्री जगदीश शर्मा :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ख) क्या चालू वर्ष में कपास के निर्यात में कमी आई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान कपास निर्यात उद्योग को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी कौन-कौन हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार कपास के निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। कपास का निर्यात मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में भारतीय कपास के मूल्यों पर निर्भर करता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात की गई कपास का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

कपास वर्ष (अक्टूबर-सितम्बर)	निर्यात की मात्रा (लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2005-06	47.00	3951.35
2006-07	58.00	5267.08
2007-08	85.00	8365.98
2008-09*	50.00	उपलब्ध नहीं

*अनुमानित

स्रोत: मात्रा के लिए कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी)। लगभग मूल्य डीजीसीआईएस कोलकाता के अनुसार।

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान, जैसा कि स्पष्ट है, कपास के निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में कपास के घरेलू मूल्यों में असमानता और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण कपास की कम खपत के कारण कमी आई है।

(ग) और (घ) वर्तमान में कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति नहीं है। तथापि, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के तहत कच्ची कपास के निर्यात के एफओबी मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से शुल्क मुक्त स्क्रिप 1 अप्रैल, 2008 से 30 जून, 2009 तक लागू थी। यह प्रोत्साहन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कपास की घरेलू उपलब्धता में अंतर को दूर करने के लिए दिया गया था।

(ङ) इस योजना में ऐसे निर्यातकों को 1 अप्रैल, 2011 तक वापसी का प्रावधान है। तदनुसार, पूरी सूची उसके बाद उपलब्ध हो सकती है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा उत्पादन

1720. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एंव प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने सौर और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में हिस्सेदारी पाने के लिए अवसर खोजने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी की परमाणु आवश्यकताओं के लिए राष्ट्र की अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त किए जाने की संभावना है और इसने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में उद्यम के लिए भारतीय यूरेनियम निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी व्यापक स्तर पर सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए सौर ऊर्जा वाले प्रमुख देशों के भी संपर्क में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सौर और नाभिकीय विद्युत सहित ऊर्जा जुटाने के लिए अन्य स्रोतों की खोज करने का निर्णय लिया है। भारत और

विदेश में यूरेनियम की खोज और उसके दोहन के लिए ओएनजीसी ने यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) ओएनजीसी ऐसी बहुत-सी कम्पनियों के सम्पर्क में है जिनके पास सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव और प्रौद्योगिकियां हैं जिनमें 10 मेगावाट (एम डब्ल्यू) का एक सौर फार्म (फोटो वॉल्टेइक) बनाने और सौर ऊष्मा और सौर चिमनी प्रौद्योगिकियों आदि का प्रयोग सम्मिलित हैं।

कपास का उत्पादन

1721. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मौसम में कपास के कितने उत्पादन का अनुमान है;

(ख) देश में विशेषकर हथकरघा क्षेत्र में कपास की कितनी आवश्यकता का अनुमान है;

(ग) क्या विश्व स्तर पर उत्पादन के प्राक्कलन के अनुसार इसमें कोई कमी है; और

(घ) यदि हां, तो आगामी मौसम में इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) ने कपास मौसम 2008-09 के दौरान प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की 290 लाख गांठ कपास उत्पादन का अनुमान लगाया है।

(ख) देश में कपास की समग्र अनुमानित आवश्यकता 230 लाख गांठ हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 में हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकता 33.82 लाख गांठ (575 मिलियन कि.ग्रा.) है।

(ग) विश्व स्तर पर उत्पादन में कोई कमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) के अनुसार विश्व का कपास उत्पादन 23.52 मिलियन मी. टन है। पिछले वर्ष के उत्पादन अर्थात 26.21 मिलियन मी. टन की तुलना में 10% की कमी का मुख्य कारण विश्व कपास क्षेत्र में कमी है जो वैकल्पिक फसलों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर-मीराज मेल में वातानुकूलित डिब्बे

1722. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेन सं. 6589 और 6590 (मीराज-बंगलौर और बंगलौर-मीराज मेल) में कोई प्रथम श्रेणी और प्रथम वातानुकूलित डिब्बे नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का इन ट्रेनों में एक प्रथम श्रेणी और एक प्रथम वातानुकूलित डिब्बा शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन ट्रनों में ये डिब्बे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) जी नहीं। 6589 और 6590 बंगलौर-मिराज-कोल्हापुर एक्सप्रेस दोनों ही गाड़ियों की संरचना में प्रथम श्रेणी का एक-एक वातानुकूलित सवारी डिब्बा है। बहरहाल, इस गाड़ी में प्रथम श्रेणी का कोई सवारी डिब्बा नहीं है।

नीति के तौर पर, प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बों का विनिर्माण बंद किया गया है।

विमान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

1723. श्री नृपेन्द्र नाथ राय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया या किसी निजी विमान कंपनी ने हाल ही में अप्रशिक्षित केबिन क्रू को विमान में अनुमति देकर विमान सुरक्षा नियमों और केबिन क्रू सुरक्षा नियमावली का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या

कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लि. अथवा किसी निजी विमान कंपनी द्वारा नियमित रूप से केबिन सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन नागर विमानन महानिदेशालय की जानकारी में आया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमान यातायात नियंत्रण पर अधिक भार

1724. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों से प्रचालनरत अनेक उड़ानें विमानपत्तनों पर विमान यातायात नियंत्रण की क्षमता से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विमान यातायात नियंत्रण 30 से 35 विमानों की अपनी संचालन क्षमता की तुलना में 40 से अधिक विमानों का संचालन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी विमान कंपनियां विमान यातायात नियंत्रण पर दबाव डालकर अपने विमानों की संख्या में वृद्धि कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यात्रियों को सुरक्षित विमान यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) हवाईअड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्षमता से परे उड़ानों का प्रचालन नहीं किया जा रहा है। तथापि, दो रनवे प्रचालनों के साथ, दिल्ली हवाईअड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाया गया है और यह प्रति घंटे 50 से 55 विमानों को हैंडल कर सकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं– (i) दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पर नए उच्च गति एक्जिट टैक्सी वे के निर्माण किए गए हैं (ii) अधिक उड़ानों को शामिल करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर तीसरे रनवे का निर्माण किया गया है (iii) दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों पर उन्नत एटीसी प्रक्रियाएं तैयारी की गई हैं तथा एटीसी स्वचालन प्रणाली का स्तरोन्नयन किया गया है (iv) मुंबई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर क्लियरेंस डिलीवरी पोजीशन स्थापित की गई है (v) दिल्ली हवाई अड्डे पर एडवान्स्ड मूवमेंट गाइडेन्स एंड कंट्रोल सिस्टम (एएसएमजीसीएस) सहित सर्फेस मूवमेंट राडार स्थापित किया गया है तथा प्रचालन में है (vi) स्लाट्स आवंटन अनुसूची के समय आगमन और प्रस्थान को इस प्रकार से बांटा जाना चाहिए कि जमघट के कारण उड़ानों में विलंब न हो (vii) उपलब्ध रनवे/टर्मिनल भवन क्षमता के अनुसार मुंबई तथा दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचलन घंटों की संख्या को समिति कर दिया गया है (viii) अंतर्राष्टीय विशेषज्ञों की सहायता से एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट प्रणाली को विकसित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विमानन क्षेत्र पर मंदी का प्रभाव

1725. श्री नवीन जिंदल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की आर्थिक मंदी से नागर विमानन क्षेत्र का विस्तार प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विस्तार योजनाओं में किसी अन्य कारण से भी बाधा पहुंची है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विस्तार कार्यक्रम के पुनरूद्धार और इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी हां। विश्वभर में एयरलाइनें वर्ष 2008 के पूर्वार्ध के महीनों में आकाश को छूती तेल की कीमतों से तथा इसके बाद वर्ष 2008 के उत्तरार्ध के महीनों में वैश्विक मंदी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल वैगनों की खरीद

1726. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों की खरीद में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी के कारण क्या प्रभाव, यदि कोई हो, पड़ रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल टिकटों की ऑनलाइन नीलामी

1727. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का रेल टिकटों की ''ऑनलाइन नीलामी'' का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल टिकटों की ऑनलाइन बोली से इसके किराये में कमी आने की संभावना है और ऑनलाइन टिकट प्रणाली से वंचित लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) रेलवे टिकटों की ऑनलाइन नीलामी का प्रस्ताव फिलहाल विचारधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नवरत्न और मिनिरत्न कम्पनियों में उच्चस्तरीय रिक्त पद

1728. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवरत्न और मिनिरत्न कम्पनियों में निदेशक मण्डल के अनेक पद लम्बे समय से रिक्त हैं जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित उपक्रमों के कार्यकरण और उत्पादन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) सरकार ने रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 77 नवरत्न एवं मिनीरत्न उद्यमों में 2 मुख्य कार्यपालकों सहित कार्यकारी निदेशकों के सिर्फ 22 पद 3 माह से अधिक की अवधि से रिक्त है। इन 22 रिक्त पदों में से 10 पदों के मामले में लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी ई एस बी) की अनुशंसाएं अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को पहले ही भेज दी गई हैं और शेष 12 पदों के मामले में पी ई एस बी द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। सरकार ने मुख्य कार्यपालकों सहित कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के संबंध में मार्गनिर्देश भी जारी कर दिये हैं।

निजी क्षेत्र की रुग्ण इस्पात इकाइयों का अधिग्रहण

1729. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने हाल ही में देश की निजी क्षेत्र की रूग्ण इस्पात इकायों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप श्रेणीवार कितने लोगों को आमेलित किया गया;

(ग) क्या देश में और रूग्ण इस्पात इकाइयों के अधिग्रहण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के द्वारा हाल ही में किसी निजी क्षेत्र की इकाई का अधिग्रहण नहीं किया गया है। तथापि, सेल ने जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित उषा (इंडिया) लिमिटेड के एक डिवीजन तत्कालीन मैसर्स मालविका स्टील लिमिटेड की परिसंपत्तियों को डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी)-1, दिल्ली द्वारा की गई नीलामी के जरिए खरीद लिया गया है। सेल ने मैसर्स मालविका स्टील लिमिटेड के किसी कार्मिक को आमेलित नहीं किया है।

(ग) और (घ) इस समय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक धारक कंपनी मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (भाटट भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की एक सहायक कंपनी) के सेलम कारखानें का अधिग्रहण करने के एक प्रस्ताव पर सेल द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विधि महाविद्यालय

1730. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में अत्यधिक संख्या में विधि महाविद्यालयों को खोले जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विधि महाविद्यालयों के स्तरों में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद् विधिक शिक्षा का संवर्धन करती है और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारतीय विश्विविद्यालयों और राज्य विधिज्ञ परिषदों के परामर्श से ऐसी शिक्षा के मानक अधिकथित करती है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद्, ऐसे विश्वविद्यालयों को भी मान्यता प्रदान करती है जिनकी विधि में डिग्री अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हता होगी और उस प्रयोजन के लिए वह विश्वविद्यालयों का दौरा और निरीक्षण भी करती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् की विधिक शिक्षा समिति भारत में विधि महाविद्यालयों के स्तरों में सुधार लाने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण है। विधिक शिक्षा समिति द्वारा नए नियमों की विरचना की गई है जिन्हें देश भर में पहले ही शैक्षिक स्तर 2009-10 से कार्यान्वित कर दिया गया है।

शिरडी में यात्री निवास

1731. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की महाराष्ट्र स्थित शिरडी में एक यात्री निवास के निर्माण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) उक्त यात्री निवास के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(घ) क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) जी, नहीं। बहरहाल, बहु प्रयोजनीय परिसर की स्थापना के लिए शिरडी की पहचान की गई है जिसमें पर्यटकों के लिए पी सी ओ, भूमिगत पार्किंग, दवाइयां, बुक स्टॉल, फूड स्टॉल और शॉपिंग कॉम्पलैक्स आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं सहित बहट होटल शामिल होंगे।

ईरान से एलएनजी की आपूर्ति

1732. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ईरान से प्रतिवर्ष पांच मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति से जुड़े मूल्य निर्धारण के मुद्दे के समाधान के लिए किसी नए फार्मूले का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर ईरानियन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या नेशनल ईरानियन ऑयल ने भारत सरकार द्वारा सुझाए गए फार्मूले से सहमति जताई है; और

(ङ) यदि हां, तो नया फार्मूला कब तक लागू होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा बोनांजा की घोषणा

1733. श्री राजैया सिरिसिल्ला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने नियमित विमान यात्रियों के लिए किसी बोनांजा की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे बोनांजा की कब तक घोषणा की जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एअर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम के तहत अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर सदस्यों के लिए नियमित रूप से अल्पावधि बोनांजा/विशेष ऑफरों की घोषणा करती है। ये ऑफर एअर इंडिया के साथ-साथ उसकी साझेदार एयरलाइनों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी हैं। हाल ही में फ्रीक्वेंट फ्लायरों के लिए निम्नलिखित प्रमोशनल योजनाएं आरंभ की गई हैं:

(i) एफएफपी सदस्यों के लिए 500 माइलेज प्वाइंट का बोनस, जिन्होंने एआई तथा आईसी कोड फ्लाइटों पर ऑन लाइन बुकिंग (केवल स्वयं के लिए) कराई है; (ii) अपने मित्रों को वापसी उड़ानों के लिए रिकमेंड करके एफएफपी सदस्य को 500 बोनस प्वाइंट मिलेंगे; (iii) घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों में एफएफपी सदस्य वापसी उड़ानों पर अपने माइलेज प्वाइंटों को टिकट श्रेणी की अगली उच्चतर श्रेणी में स्तरोन्नयन के लिए प्रयोग कर सकते हैं; (iv) एफएफपी सदस्य आईटीडीसी के होटलों में रहने के लिए 35-50 प्रतिशत तथा भोजन एवं बिवरेज पर 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं; और (v) एफएफपी सदस्य प्रमुख भारतीय शहरों में चुनिंदा रेस्टोरेंटों में विशिष्ट छूट प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम क्षेत्र की लंबित योजनाएं/परियोजनाएं

1734. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त पेट्रोलियम क्षेत्रों से संबंधित अनेक योजनाएं अथवा परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक उक्त परियोजना का प्रस्ताव किस तिथि को प्राप्त हुआ और इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृत करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं अथवा प्रस्तावों के शीघ्र अनुमोदन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नही।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन में गैस भंडार

1735. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कावेरी बेसिन में उपलब्ध गैस संसाधनों के स्वदेशी प्रयोजन के लिए उपयोग की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के इर्द-गिर्द गैस पाइपलाइन अवसंरचना बिछाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-सी नोडल एजेंसी ऐसी परियोजनाओं को चलाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) कावेरी बेसिन से उत्पादित गैस स्वदेश में ही इस्तेमाल की जानी है। तद्नुसार, के.जी. बेसिन से वर्तमान में होने वाले उत्पादन का देश के भीतर इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) और (घ) देश में प्राकृतिक गैस परिवहन का नेटवर्क मौजूद है। इस नेटवर्क में 9,000 किलो मीटर से अधिक की ट्रंक पाइपलाइनें हैं। ये पाइपलाइनें केन्द्रीय और राज्यीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कम्पनियों के स्वामित्व की हैं और उनके द्वारा प्रचालित हैं। ट्रंक पाइपलाइन संरचना की वृद्धि उसी प्रकार कार्यान्वित की जाएगी ताकि स्वदेशी गैस के नए स्रोतों और पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) से नए क्षेत्रों/राज्यों के ग्राहकों को जोड़ा जा सके। चूंकि प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइन बिछाने से प्राकृतिक गैस आधारित उद्योगों का विकास होता है इसलिए उस क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से होता है। इसलिए देश में प्राकृतिक गैस परिवहन नेटवर्क को अधिक विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अब की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है।

नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति

1736. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र-गोवा बार काउंसिल से अनापत्ति प्राप्त होने के बाद नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) महाराष्ट्र में नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति के संबंध में हर प्रकार से पूर्ण लंबित फाइलों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) जी नहीं। नोटेरियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में, नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 (संलग्न विवरण) द्वारा नोटेरी नियम, 1956 में संशोधन करके 01.03.2009 से कतिपय परिवर्तन किए गए हैं। नई प्रक्रिया के अनुसार, आवेदकों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, जो कि लंबित फाइलों/अभ्यावेदनों के लिए भी लागू है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य में नोटेरियों की नियुक्ति के संबंध में लगभग 85 फाइलें, जो सभी प्रकार से पूर्ण हैं, लंबित हैं। इन आवेदकों को नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित नोटेरी नियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार शीघ्र ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनके मामले में संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् से 'अनापत्ति' प्राप्त हो गई है और जो सभी प्रकार से पूर्ण हैं, शीघ्र ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

विवरण

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग 2-खण्ड 3-उप-खण्ड (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 98 नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/ फाल्गुन 5, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 114(अ)-केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये 1 मार्च, 2009 को प्रवृत होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

''(1) कोई व्यक्ति नोटेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आवेदक'' कहा गया है) के रूप में नियुक्ति के लिए कोई आवेदन उस न्यायालय या अधिकरण के संबद्ध जिला न्यायाधीश या पीठासीन अधिकारी के माध्यम से जहां वह किसी अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता है, एक ज्ञापन प्ररूप में, समुचित सरकार के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''सक्षम प्राधिकारी'' कहा गया है) को जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अभिहित करे, संबोधित करके, आवेदन कर सकेगा।'';

3. उक्त नियमों के नियम 6 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

''सक्षम प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की परीक्षा करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन सभी बाबत पूर्ण नहीं है या आवेदक नियम 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं नहीं रखता है या यह कि नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदक का कोई पूर्व आवेदन इस आवेदन की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर अस्वीकृत कर दिया गया था इसे संक्षेप्त: अस्वीकृत कर देगा और आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।'';

4. उक्त नियमों के नियम 7 उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

''(1) सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन नियत समय के भीतर आवेदक को आक्षेपों यदि कोई हों, के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देने के पश्चात् समुचित सरकार को यह सिफारिश करते हुए कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात किया जाए, रिपोर्ट देगा।'';

5. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

''7क. साक्षात्कार बोर्ड का गठन.-(1) समुचित सरकार अनुज्ञात करती है कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने के लिए कहा जाए, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सूचित करेगा कि वह साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नोटेरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदक की सक्षमता का निर्णय करने के लिए नियत तारीख, समय और स्थान पर उपसंजात होगा। साक्षात्कार बोर्ड समुचित सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार द्वारा विधिक कार्य से संबंधित अपने अधिकारियों में से एक तीन सदस्यीय साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। साक्षात्कार बोर्ड का अध्यक्ष उस सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का नहीं होगा।

7ख संक्रमणकालीन उपबंध,-(1) 28 फरवरी, 2009 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी ज्ञापन और वे जो लंबित हैं, पर कार्रवाई/परीक्षा नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी;

(2) नए ज्ञापन केवल 1 जुलाई, 2009 को या उसके पश्चात् प्रस्तुत किए जाएंगे।''।

6. उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) में ''सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समुचित सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और निम्नलिखित कार्रवाई करेगी -'', शब्दों के स्थान पर ''साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने पर, समुचित सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और निम्नलिखित कार्रवाई करेगी-'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 5(271)2000-एन.सी.]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में सं.का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 370 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547 (अ) तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17 (अ) तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262 (अ) तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630 (अ) तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172 (अ) तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460 (अ) तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464 (अ) तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296 (अ) तारीख

19 मई, 2006, सा.का.नि. 501 (अ) तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73 (अ) तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित, सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 1 मई, 2007 सा.का.नि. 686 (अ) तारीख 31 अक्तूबर, 2007, सा.का.नि. 51 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 2008 और सा.का.नि. 764 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 2008 द्वारा उनका संशोधन किया गया।

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग 2–खण्ड 3–उप–खण्ड (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 157] नई दिल्ली, बुधवार मार्च 18, 2009/ फाल्गुन 27, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, तारीख 18 मार्च, 2009

सा.का.नि. 176(अ)–

* * * * *

[फा.सं. 5(271)/2000–एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

*हिन्दी पाठ में शुद्धिपत्र की आवश्यकता नहीं है।

न्यूक्लियर फॉरजिंग्स का उत्पादन

1737. डॉ. के.एस. राव : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में स्थापित किए जाने वाले नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की मांग की पूर्ति के लिए उपलब्ध न्यूक्लियर फॉरजिंग्स की क्षमता और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए उपयुक्त तकनीक से युक्त क्षमता निर्माण विनिर्माण इकाई के सृजन के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयात पर निर्भरता को कम करने तथा बड़े आकार की नाभिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारी फॉरजिंग की विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने हेतु विदेशी कंपनियों के साथ समन्वय और सहयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा राजस्व में योगदान

1738. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चतुर्वेदी पैनेल रिपोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), रिलायंस इंडस्ट्रीज और केर्न इंडिया जैसे कच्चे तेल उत्पादकों के लाभों को सीमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकारी एवं निजी तेल क्षेत्र की कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) गत वर्ष जब तेल की कीमतें 140 डॉलर प्रति बैरल की कीमतें छू रही थीं तब जिन कंपनियों ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया था उन कंपनियों से सरकार किस तरह उक्त लाभ की वसूली करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) वर्तमान में इस बारे में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बद्दी से चंडीगढ़ तक रेल लाइन

1739. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले रेल बजट में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित बद्दी औद्योगिक क्षेत्र को चंडीगढ़ से जोड़ने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में उक्त रेल लाइन हेतु भूमि के अधिग्रहण में समस्याओं के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बद्दी-घनौली लाइन बिछाने तथा इसे सरहिंद नांगल रेल लाइन से जोड़ने हेतु तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा वित्तीय क्षमता के लिए संचालन सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना की स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) चंडीगढ़ से बद्दी तक 33.23 कि.मी. लम्बी लाइन के निर्माण को वर्ष 2007-08 के रेल बजट में स्वीकृत किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) घनौली से बद्दी तक वैकल्पिक सरेखण के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है।

[अनुवाद]

सूरत-हजारिया, भरूच-दाहेज रेलवे लाइन

1740. श्री हरिन पाठक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सामुद्रिक बोर्ड (जीएमबी) दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड, अदानी पत्तन और आरवीएनएल के बीच भरूच-दाहेज रेल लाइन में आमान परिवर्तन हेतु किसी पणधारिता समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार दिल्ली-मुंबई के बीच समर्पित मालभाड़ा गलियारे के साथ भरूच-दाहेज और सूरत-हजारिया खण्ड के समेकन का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) विशेष प्रयोजन योजना (एस.पी.वी.) के सृजन द्वारा भरूच-दाहेज के आमान परिवर्तन के कार्य को निष्पादित करने के लिए निम्नांकित पार्टियों के बीच एक शेयरहोल्डर्स करार पर दिनांक 12.01.2007 को हस्ताक्षर किए गए थे:

1. रेल विकास निगम लिमिटेड
2. गुजरात मेरीटाइम बोर्ड
3. दाहेज (सेज) लिमिटेड
4. अदानी पैट्रोनेट (दाहेज) पोर्ट बीटी. लिमिटेड
5. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स कं. लिमिटेड

तत्पश्चात, विशेष प्रयोजन योजना के सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए 16.06.2008 को निम्नलिखित पक्षों द्वारा एक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे:

1. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट: बिरला कॉपर)
2. जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(ग) और (घ) भरूच-दाहेज और सूरत-हजीरा रेल लाइन की पहचान पश्चिमी समर्पित माल गलियारे (डी.एफ.सी.) के फीडर मार्गों के रूप में की गई है। उपर्युक्त मार्गों को क्रमश: भरूच (संभवत: दयादरा स्टेशन के नजदीक) और सूरत (संभवत: गोथनगाम स्टेशन पर) के नजदीक डी.एफ.सी. सरेखण से जोड़ा जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कसानी नदी पर रेल पुल

1741. श्री प्रबोध पांडा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर-मेदनीपुर खण्ड के बीच कसानी नदी पर रेल पुल के निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना की निर्माण गति को तेज करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) इस कार्य को 2007-08 के रेल बजट में शामिल किया गया था। मिट्टी की जांच, डिजाइन आदि जैसी प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है। पुल के निर्माण के लिए निविदा 9.7.2009 को पुन: खोली गई है। ठेके को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कार्य की प्रगति में तेजी आएगी। लक्ष्य तिथि 31.3.2012 निर्धारित की गई है।

झारसुगुडा हवाईअड्डे का विकास

1742. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ हवाईअड्डों के विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा में झारसुगुडा हवाईअड्डे के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य को कब तक पूरा किया जाना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा तथा नए हवाईअड्डों के विकास के लिए सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

(ख) पेक्योंग, सिक्किम में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण की लागत का 90 प्रतिशत वित्त पोषण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ग) मैसर्स राईट्स द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय आरंभिक तौर पर एटीआर प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण की झारसुगुडा हवाईअड्डे के विकास की योजना है। बहरहाल, इस हवाईअड्डे के भावी विकास संबंधी कार्रवाई, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान के अनुसार नि:शुल्क तथा सभी दायित्वों से मुक्त अतिरिक्त 815 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात, आरंभ की जाएगी।

(घ) और (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बजट प्राक्कलन 2009-10 में 2.19 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आगे और निधियों का प्रावधान ऊपर उल्लिखित कार्य के आरंभ किए जाने के बाद किया जाएगा। परियोजना का कार्य तभी पूरा किया जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा 815 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्काई मार्शल्स

1743. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हवाई जहाजों में सुरक्षा बढ़ाने हेतु स्काई मार्शलों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्काई मार्शलों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन और विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। स्काई मार्शल के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार आवश्यक विस्तार एवं स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

न्यायपालिका में आरक्षण

1744. श्री यशवंत लागुरी :
श्री टी.आर. बालू :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के उपबंधों के अनुसार की जाती है, जो किसी जाति, पंथ या वर्ग के आधार पर किसी आरक्षण के लिए उपबंध नहीं करते हैं। अत:, इस संबंध में सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों तथा उपयुक्त महिलाओं की पहचान करने का अनुरोध करती रही है।

राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के परामर्श से नियम और विनियम विरचित करती है। राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य इन नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं। अत:, जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की सेवा-शर्तें, जिनके अंतर्गत नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण आदि हैं, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शासित होती हैं। इस संबंध में, केंद्रीय सरकार किसी भी कृत्य से संबंध नहीं रखती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानन विश्वविद्यालय

1745. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विमानन क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-से अन्य कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गोंदिया महाराष्ट्र में विश्व स्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नागर विमानन मंत्रालय के तत्वावधान में एक विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) रिन्युअल तथा इंडोर्समेंट टेस्ट, सिमुलेटर प्रशिक्षण कोर्स, मल्टीइंजन इंडोर्समेंट तथा उपकरण रेटिंग कोर्स, उड़ान क्लबों के प्रमुख उड़ान अनुदेशकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स तथा भावी उड़ान अनुदेशकों के लिए ग्राउंड ट्रेनिंग सहित वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध कराती है। विमान अनुरक्षण इंजीनियर प्रशिक्षण तथा विमानन प्रबंधन कोर्स उपलब्ध कराने के लिए गोंदिया में राष्ट्रीय विमानन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए भी कदम उठाए हैं।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मैसर्स सीएई एसोसिएट कंपनी, इंटरनेशनल फ्लाइट स्कूल (मॉरिशस) लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में गोंदिया, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है तथा वहां प्रशिक्षण आरंभ हो गया है।

रेल नेटवर्क

1746. श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राजस्थान सहित प्रत्येक राज्य में रेल नेटवर्क का किलोमीटर में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सर्वेक्षण समाप्ति के बाद आमान परिवर्तन की स्वीकृति हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में आमान परिवर्तन हेतु रेलवे की क्या कार्य-योजना है;

(घ) विभिन्न राज्यों में नयी रेलगाड़ियों के चलाने संबंधी सरकार के पास लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) 31.03.2008 को रेलवे लाइनों के राज्य-वार मार्ग किमी. से संबंधित आंकड़े भारतीय रेलवे वार्षिकी 2007-08 जिनकी आपूर्ति बजट प्रलेखों के साथ कर दी गई है, में उपलब्ध हैं।

(ख) आमान परिवर्तन को शुरू करने हेतु मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

(i) इन मार्गों पर मौजूदा बड़ी आमान वाली लाइनों के दोहरीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े आमान वैकल्पिक मार्गों के विकास हेतु लाइनों के आमान परिवर्तन के कार्य को शुरू करना।

(ii) अन्य बड़ी आमान वाली लाइनों से जुड़े स्टेशनों के बीच नए बड़े आमान का संपर्क स्थापित करने के लिए।

(iii) पत्तनों, औद्योगिक केन्द्रों और विकास की संभावना वाले स्थलों को बड़े आमान का संपर्क स्थापित करने के लिए।

(iv) सामरिक आधार पर अपेक्षित लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य आरंभ करना।

(v) यानान्तरण में लगने वाले समय को न्यूनतम करने तथा यानान्तरण बिन्दुओं में लगने वाले समय में कमी करके माल डिब्बा फेरों में सुधार लाने के लिए।

आमान परिवर्तन संबंधी कार्य पिछड़े इलाकों के विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के आधार पर भी शुरू किए जाते हैं।

(ग) पूरे देश भर में विभिन्न मार्गों के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है। 01.04.2009 को 51 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और इन कार्यों के पूरा हो जाने पर मीटर आमान/छोटी आमान लाइनों के 6935 किमी. का बड़े आमान वाली लाइनों में आमान परिवर्तन हो जाएगा। पत्तन संपर्कता तथा इसके भीतरी प्रदेशों से संबंधित आमान परिवर्तन की कुछ परियोजनाओं की राष्ट्रीय रेल विकास योजना के भाग के रूप में पहचान की गई थी।

(घ) और (ङ) पिछले रेल बजट में घोषित 10 जोड़ी नई गाड़ियों को विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्यों जैसे आमान परिवर्तन, नई लाइनों इत्यादि के पूरा न होने और परिचालनिक तंगियों के कारण नहीं चलाया जा सका। इनमें से एक जोड़ी गाड़ी सेवा शुरू होने वाली है।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी वस्त्र इकाइयों का बंद होना

1747. श्री तथागत सत्पथी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुखी वस्त्र इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसी बंद हुई इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों को सरकार द्वारा क्या कोई राहत पैकेज/प्रोत्साहन दिया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण एनटीसी मिलों की भूमि

1748. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सहित देश में एनटीसी मिलों के बंद होने के कारण बेकार पड़ी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त भूमि का संभावित बाजार मूल्य इकाई-वार क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त भूमि की बिक्री से होने वाली आमदनी से बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों का पुनर्वास करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बेशी भूमि की बिक्री से प्राप्त हुई धनराशि में से 2193.38 करोड़ रु. की राशि का भुगतान राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के उन 60665 कर्मचारियों को कर दिया गया था जिन्होंने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (एमवीआरएस) के तहत सेवानिवृति ली थी।

विवरण

एन.टी.सी. मिलों के बंद होने के कारण बेकार पड़ी जमीन और अनुमानित बाजार मूल्य का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/मिल का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	जिला पदाधिकारी के दिशानिर्देश दरों के अनुसार अनुमानित बाजार मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	अदोनी मिल्स, अदोनी	7.17	0.73
2.	अनंतपुर मिल्स, टाडापत्री	45.50	1.51
	कर्नाटक		
3.	मैसूर मिल्स, बंगलौर	4.05	83.82
4.	एमएसके मिल्स, गुलबर्ग	42.52	55.57
5.	श्री येल्लमा तोलाहंसे	138.36	18.08
	पंजाब		
6.	खरार टेक्सटाइल मिल्स, खरार	45.31	114.58
7.	श्री विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर	15.29	17.22
8.	सूरज टेक्सटाइल मिल, मालआउट	24.28	17.45
9.	दयालबाग स्पि, एंड विवि. मिल	9.84	लीजहोल्ड भूमि और मुकद्दमे के अधीन
	गुजरात		
10.	अहमदाबाद न्यू टैक्स, मिल्स	11.19	38.44
11.	न्यू मानक चौक, अहमदाबाद	8.11	22.97
12.	महालक्ष्मी मिल्स, भावनगर	15.03	7.32
13.	पेटलेट टेक्सटाइल्स, पेटसलेट	30.18	10.38
14.	विरंगम टेक्सटाइल, विरंगम	14.05	3.80
15.	राजनगर नं. 2 (राजनगर मिल नं. 1 को पुनर्वासित किया जा रहा है।	8.62	20.60
	उत्तरी महाराष्ट्र		
16.	इन्दु मिल्स नं. 6, मुंबई	11.96	299.99
17.	जाम मिल्स, मुंबई	7.99	141.06
18.	इन्दु मिल नं. 4, मुंबई	7.79	126.21
19.	सीताराम मिल्स, मुंबई	8.43	143.69
20. और 21	कोहिनूर मिल्स नं. 1 और 2, मुंबई	13.64	271.11
	दक्षिणी महाराष्ट्र		
22.	मधुसूदन मिल्स, मुंबई	11.72	544.67
23.	भारत मिल्स, मुंबई	8.37	388.82
24.	दिग्विजय मिल्स, मुंबई	9.33	142.13
25.	पोद्दार प्रोसेस, मुंबई	2.39	111.02

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश		
26.	इंदौर मालवा, इंदौर	84.21	177.70
27.	हीरा मिल्स, उज्जैन	96.45	35.47
28.	कल्याण मिल्स, इंदौर	33.63	100.00
29.	बंगाल नागपुर मिल्स	52.10	12.50
	तमिलनाडु		
30.	कालेश्वरार ए मिल्स (स्थान सं. 2)	13.27	107.45
31.	सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	6.87	55.63
	उत्तर प्रदेश		
32.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	6.19	17.53
33.	बिजली कॉटन मिल्स, हाथरस	1.74	2.90
34.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	45.06	437.56
35.	लॉर्ड कृष्णा मिल्स, सहारनपुर	24.70	29.99
36.	अर्थटन मिल्स, कानपुर	23.47	170.95
37.	लक्ष्मी रतन मिल्स, कानपुर	13.80	100.92
38.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	29.64	360.09
39.	मूर मिल्स, कानपुर	49.20	597.32
40.	श्री विक्रम मिल्स, लखनऊ	9.66	20.35
41.	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	30.42	लीजहोल्ड भूमि
	पश्चिम बंगाल		
42.	बंगाल फाईन टेक्स. मिल नं. 2, कटगंज	19.44	9.00
43.	मनिन्द्रा बी.टी. टेक्स. मिल्स, कासिमबाजार	6.07	3.00
	असम		
44.	एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज, चंद्रपुर	50.00	1.03
	बिहार		
45.	बिहार कोआपरेटिव टेक्स. मिल्स, मोकमेह	30.55	0.18
	कुल	1127.59 एकड़	4820.74 करोड़ रु.

रुग्ण कपास मिलें

1749. श्री निशिकांत दुबे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितनी कपास मिलें चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी कपास मिलें बंद हुई/रुग्ण घोषित की गईं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रुग्ण/बंद कपास मिलों के पूर्व कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं तथा इस अवधि के दौरान आज की तारीख तक कितने कर्मचारियों का पुनर्वास किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.4.2009 की स्थिति के अनुसार 1422 कॉटन/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर लघु उद्योग) प्रचालन में थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं। 52 कॉटन/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर लघु उद्योग) मई 2006 से अप्रैल 2009 के दौरान बंद की गई थीं। 30.4.2009 की स्थिति के अनुसार इन 52 मिलों में से 16 वस्त्र मिलों के मामले बीआईएफआर में पंजीकृत किए गए थे। उद्योग में रुग्णता/बंदी के प्रमुख कारण अधिक क्षमता, आधुनिकीकरण की कमी के कारण मशीन और श्रम दोनों की कम उत्पादकता, स्थिर मांग और निर्यात बाजार में उनकी (रुग्ण इकाइयां) पहुंच की कमी, इनपुट्स विशेषकर श्रम और बिजली लागत में वृद्धि, समय पर और पर्याप्त कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई,

आंतरिक कारण, कमजोर प्रबंधन आदि जैसे पहलुओं को माना जा सकता है।

(ग) वस्त्र इकाइयों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को पुनर्वासित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष नीति तैयार नहीं की गई है। तथापि, किसी वस्त्र इकाई के विशेष भाग अथवा पूरी वस्त्र इकाई के स्थाई रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने 15.9.1986 से वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र कामगारों को केवल उन्हें किसी अन्य रोजगार में लगने से सक्षम बनाने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी कामगार इस योजना का लाभ लेने का पात्र होगा बशर्ते वह बंद हुई वस्त्र इकाई में इसके बंद होने की तारीख को पांच वर्षों अथवा इससे अधिक समय से लगातार कार्यरत रहा हो और 6.6.1985 से 1.4.93 के बीच बंद हुए मिलों के लिए 2500 रु. प्रति माह के बराबर अथवा इससे कम और उसके बाद बंद हुए मिलों की स्थिति में 3500 रु. अथवा इससे कम वेतन प्राप्त कर रहा हो। वे संबंधित राज्य के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा चालू भविष्य निधि में योगदान करते रहे हों 31.5.2009 की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत 70 बंद मिलों के 1,02,711 कामगारों को 262.01 करोड़ रु. की राहत दी गई है।

विवरण

30.4.2009 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत कॉटन/मानव निर्मित वस्त्र मिलों (गैर लघु उद्योग) का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	88
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	छत्तीसगढ़	0
5.	दादर नगर हवेली	10
6.	दमन व दीव	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	49
9.	हरियाणा	37
10.	हिमाचल प्रदेश	18
11.	जम्मू कश्मीर	1
12.	झारखंड	1
13.	कर्नाटक	27
14.	केरल	25
15.	मध्य प्रदेश	42
16.	महाराष्ट्र	141
17.	मणिपुर	0
18.	उड़ीसा	2
19.	पांडिचेरी	10
20.	पंजाब	78
21.	राजस्थान	35
22.	तमिलनाडु	807
23.	उत्तर प्रदेश	24
24.	उत्तरांचल	5
25.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	1422

[हिन्दी]

पर्यटन पैकेज

1750. श्री महेश जोशी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेलवे की सहायता और सहयोग सहित पर्यटन पैकेज हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) मंत्रालय में कुछ राज्य सरकारों से आरामदेह पर्यटक गाड़ियों के परिचालन के रूप में पर्यटन पैकेजों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रेलवे पहले से ही राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य सरकारों के सहयोग से इन गाड़ियों का परिचालन कर रहा है और इसी तरह का पंजाब सरकार का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। राज्य पर्यटन निगमों द्वारा मूल्य संवर्धित पर्यटन पैकेजों के परिचालन के लिए कतिपय गाड़ियों में सीटें निर्धारित करने के लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य पर्यटन निगम सामान्य पद्धतियों का अनुसरण करके सीटें आरक्षित कर सकते हैं।

[अनुवाद]

पुरानी गैस विनियमन प्रणाली

1751. श्री ए. सम्पत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की पुरानी गैस विनियमन प्रणाली अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख बाधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) नई अन्वेषण लाइसंसिंग नीति (एनईएलपी) के अन्तर्गत और पूर्व-एनईएलपी संयुक्त उद्यमों के द्वारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन और सम्बद्ध मामले, दोनों सरकार और संबंधित ठेकेदार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006' अधिनियमित किया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिस्पर्द्धी बाजारों को बढ़ावा दिया जा सके और प्राकृतिक गैस से जुडे कार्यकलापों वाली कम्पनियों के हितों की और उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की जा सके। पीएनजीआरबी ने इसी उद्देश्य से विनियमों को अधिसूचित किया है।

उपर्युक्त से अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों को बढ़ावा देने में और मिडस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों से कार्यकलापों में भी मदद मिली है। इस प्रकार आर्थिक विकास तेजी से हुआ है।

श्रीरंगम रेलवे स्टेशन पर ठहराव

1752. श्री पी. कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीरंगम रेलवे स्टेशन का उन्नयन करने और वहां एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) श्रीरंगम स्टेशन का हाल ही में 1.23 करोड़ रु. की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है। इस स्टेशन पर मुहैया कराई गई विभिन्न सुविधाओं में प्लेटफार्म सं. 1, 2 और 3 की सतह को ऊंचा करना, द्वीप प्लेटफार्म को स्टेशन प्रवेश द्वार से जोड़ने के लिए सबवे, प्लेटफार्म सं. 1 परिचलन क्षेत्र में सुधार और रिवर्स ओमोसिस प्रणाली के जरिए पीने के स्वच्छ पानी की सप्लाई शामिल हैं।

इस समय इस स्टेशन पर निम्नलिखित एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं:

6177/6178 रॉकफोर्ट एक्सप्रेस

6107/6108 चेन्नै एग्मोर-मंगलौर एक्सप्रेस

6127/6128 चेन्नै एग्मोर-गुरूवायूर एक्सप्रेस

6713/6714 चेन्नै एग्मोर-रामेश्वरम एक्सप्रेस

6351/6352 मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल-नागरकोइल एक्स.

2605/2606 पलवल एक्सप्रेस

2663/2664 हावड़ा-तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस

2665/2666 हावड़ा-कन्याकुमारी एक्सप्रेस

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के उत्पादन में कमी

1753. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कई उपक्रमों के उत्पादन में कमी आई है और उनका नुकसान बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की पहचान की है और उन्हें उत्पादन बढ़ाने और मुनाफा दर्शाने के अनुदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किन उपक्रमों की पहचान की गयी है;

(ङ) क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) संसद में 25.2.2009 को प्रस्तुत किये गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 2007-08 के अनुसार, वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 56 उद्यमों ने कुल कारोबार के संदर्भ में अपने उत्पादन में कमी दर्ज की है। इस अवधि के दौरान इन 56 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 15 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के घाटे में वृद्धि हुई है। इन 15 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

घाटे में वृद्धि के कारण उद्यम विशिष्ट के अनुसार हैं। तथापि, कुछ सामान्य कारणों में उच्च लागत, पुरानी तकनीक, उच्च उपरिव्यय, संसाधनों में कमी, क्षमता का कम उपयोग, ब्याज भार और कमजोर बाजार कार्यनीतियां आदि शामिल हैं।

(ग) से (च) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 64 उद्यमों की रुग्ण उद्यमों के रूप में पहचान की है जिन्हें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एवं घाटा उठाने वाले उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन हेतु दिसम्बर, 2004 में गठित सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया है। सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने 54 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार और 02 को बन्द करने की सिफारिश की है। इनमें से सरकार ने 35 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार और 02 को बन्द करने को अनुमोदित कर दिया है। इन उद्यमों हेतु नकद और गैर-नकद अनुमोदित सहायता सहित ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जिनके वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 के दौरान कुल कारोबार में कमी तथा घाटे में वृद्धि हुई

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम	कुल कारोबार		निलव लाभ/घाटा(-)	
		2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, वन और बागान विकास कॉरपोरेशन लि.	337	392	-3193	-1340
2.	असम अशोक होटल कार्पो. लि.	356	1095	-208	-33
3.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	4346	5281	-1069	-469
4.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि.	25379	28479	-10584	-6237

1	2	3	4	5	6
5.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि.	631	1407	-1396	-1340
6.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	318761	351821	-100405	11060
7.	हिंदुस्तान केबल्स लि.	208	223	-43500	-31068
8.	एचएमटी बीयरिंग्स लि.	1529	3000	-2072	-716
9.	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	152	284	-4904	-3991
10.	एचएमटी लि.	17486	22729	-7351	5430
11.	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	5577	6079	-2497	-1271
12.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	114006	121066	-134858	-11478
13.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पो. लि.	71159	72180	-2959	440
14.	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लि. (धारक कंपनी)	48398	50204	-151467	-53580
15.	उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	0	2	-121	-119

विवरण-II

31.05.2009 के अनुसार बीआरपीएसई द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों के मामले में सरकार द्वारा अनुमोदित नकद और गैर-नकद सहायता से संबंधित विवरण

क्र.सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के नाम	सहायता (करोड़ रुपये में)		
		नकद #	गैर-नकद @	कुल
1	2	3	4	5
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	73.30	77.58
2.	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि. और उनकी सहायक	39.23	-	39.23
3.	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92
4.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन क. लि.	-	54.61	54.61
5.	एचएमटी बियरिंरस लि.	7.40	43.97	51.37
6.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	209.71	214.71
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	4.00	280.21	284.21

1	2	3	4	5
8.	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि.	47.35	–	47.35
9.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	73.60	280.00	353.60
10.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.	102.00	1116.30	1218.30
11.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	184.29	1267.95	1452.24
12.	रिचर्डसन और क्रूडास लि.	–	–	–
13.	हिंदुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
14.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	250.00	एनए	250.00
15.	फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	–	670.37	670.37
16.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि.	–	–	–
17.	भारत आप्थालमिक ग्लास लि.##	9.80	–	9.80
18.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	–	267.29	267.29
19.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि.	–	104.64	104.64
20.	सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	–	6.02	6.02
21.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–*	–*	–*
22.	भारत पम्प्स और कम्प्रेसर्स लि.	3.37$	153.15	156.52$
23.	बंगाल केमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स लि.	207.19	233.41	440.60
24.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	723.00	157.80	880.80
25.	मेकॉन लि.	93.00**	23.08	116.08
26.	एण्ड्रयू यूले एंड क. लि.	–&	457.14	457.14
27.	हिंदुस्तान कॉपर लि.	–	612.94	612.94
28.	भारत यंत्र निगम लि.##	3.82	7.55	11.37
29.	भारत हैवी प्लेट और वेसल्स लि.	–	–	–$$
30.	स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	21.21	124.42	145.63
31.	भारत रिफ्रेक्टोरीज लि.	–	479.16	479.16
32.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	–	1018.45	1018.45&&

1	2	3	4	5
33.	नेपा लि.	–	–	–@@
34.	भारत वेगन्स एंड इंजीनियरिंग क. लि.	50.49	253.73	304.22
35.	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि.	857.05	3222.46	4079.51
36.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि.	–	219.43***	219.43***
37.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	48.36	549.36	597.72$$$
	कुल	2932.03*	12196.94*	15128.97*

\# नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता शामिल है।

@ नकद भिन्न सहायता में ब्याज/पेनल ब्याज/भारत सरकार का ऋण/गारण्टी शुल्क की छूट, ऋण को इक्विटी/ऋण-पत्र में बदलना शामिल है।

सरकार द्वारा कुछ केंद्रीय सरकारी उद्यमों को बंद/परिसमास कर देने का अनुमोदन कर दिया है।

& भारत सरकार या संयुक्त उद्यम या किसी महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा निधियों के निवेश के संबंध में निर्णय वित मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

* सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरूद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 2470.77 करोड़ रुपये की नकद-भिन्न सहायता और कोल इंडिया लिमिटेड से वर्ष 2004-05 से 14 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के सेवा प्रभार की छूट शामिल है।

$ इसके अलावा ओएनजीसी और बीएचईएल क्रमशः 150 करोड़ रु. और 20 करोड़ रुपये की नकद सहायता प्रदान करेंगे।

** वीआरएस ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज सहायता अधिकतम 6.50 करोड़ रु. प्रतिवर्ष जारी रखे जाने को छोड़कर

$$ मंत्रिमंडल ने बीएचपीवी का बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण करने को सिद्धांत रूप में इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया है कि बीएचपीवी का मूल्य निर्धारण स्थापित सिद्धांतों के आधार पर विवेकसम्मत ढंग से किया जाएगा और यदि अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो मामले को पुनः मंत्रिमंडल के सम्मुख लाया जाए।

&& संसद ने कंपनी का सरकारी उद्यम स्वरूप बदलने के लिए टायर कार्पो. आफ इंडिया लि. (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक 2007 अनुमोदित कर दिया है। तुलन पत्र संतुलित करने के बाद विनिवेश।

@@ नेपा लि. का निजी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के माध्यम से पुनरूद्धार करने तथा ऐसे संयुक्त उद्यम को आरंभ करने के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है।

*** इसके अतिरिक्त सरकार ने आज की तारीख तक भारत सरकार के ऋणों पर देय एवं संचित ब्याज को इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करने तथा मूल्य के 10% का पुनः अवलेखन करने का भी अनुमोदन कर दिया है।

$$$ प्रौद्योगिकी उन्नयन और परिवर्तन हेतु बीएचईएल से ब्याजमुक्त अग्रिम लेना जिसका बीएचईएल के क्रय आदेशों की आपूर्ति के एवज में भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2008-09 से अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के आरंभ से बीएचईएल से आई एल के को 25 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त अग्रिम राशि जिसका इसी वर्ष बीएचईएल को आपूर्ति के एवज में समावेश किया जाएगा।

नवरत्न कम्पनियों हेतु नए दिशानिर्देश

1754. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दैनिक प्रकार्यों के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नवरत्न कम्पनियों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने हेतु नए दिशानिर्देश तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो नई योजना के अंतर्गत कवर होने वाली नवरत्न कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) नए दिशानिर्देश को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को और ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा हज यात्रियों को लाना ले जाना

1755. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछली हज यात्रा के दौरान हज उड़ानों के कुप्रबंधन, अनावश्यक विलंब, सामान खोने और हज यात्रियों के साथ एयर इंडिया कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) हज यात्रा 2009 के दौरान इस वर्ष इस प्रकार के कुप्रबंधन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। जेद्दाह में अनावश्यक विलंब, सामान की सुपुर्दगी में विलंब तथा एअर इंडिया स्टाफ के अशिष्ट व्यवहार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। बहरहाल, हज 2008 प्रचालनों के लिए एअर इंडिया द्वारा की गई समग्र प्रबंध व्यवस्था की भारतीय हज समिति तथा विभिन्न राज्य हज समितियों द्वारा प्रशंसा की गई थी।

(ख) हालांकि, हज यात्रियों को असुविधा मुख्य रूप से प्रचालनिक दिक्कतों के कारण हुई, एअर इंडिया ने सभी यात्रियों की अच्छी तरह से देखरेख की थी तथा समय-समय पर उन्हें उड़ान संबंधी विलंबों के बारे में भी सूचित किया था। हवाईअड्डों पर हज यात्रियों को जलपान उपलब्ध कराया गया था और बाद में उड़ान कार्यक्रम में परिवर्तन का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात उन्हें होटलों में शिफ्ट किया गया था।

(ग) जेद्दाह और मदीना में तैनात किए जाने वाले एअर इंडिया के कार्मिकों का चयन पहले ही कर लिया जाएगा तथा उन्हें हज उड़ानों और हज यात्रियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

[हिन्दी]

ऐथानॉल मिश्रित पेट्रोल

1756. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ 'ललन सिंह' :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐथानॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की स्थिति क्या है;

(ख) ऐथानॉल को घोषित वस्तुओं का दर्जा न दिए जाने के कारण क्या हैं ताकि एलपीजी की तरह सभी राज्यों द्वारा इस पर भी 4% की समान दर से कर लगाया जा सके;

(ग) क्या पहचाने गए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईबीपी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है;

(घ) ईबीपी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐथानॉल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) देश में 10% ईबीपी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क), (ग) और (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

ने दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की अपनी अधिसूचना द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को 5% ऐथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) की 01 नवम्बर, 2006 से उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के अलावा भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देशों के अनुसार संपूर्ण देश में बिक्री के लिए निदेश दिया है, बशर्ते कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता हो।

वर्तमान में ईबीपी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पता लगाए गए 20 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में से 16 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में 50% ईबीपी कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। ओएमसीज ने इन सभी राज्यों में ऐथनॉल के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है। तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐथनॉल की आवश्यकता 180 करोड़ लीटर है। ओएमसीज 146.6 करोड़ लीटर के लिए संविदा करने में समर्थ हो गई हैं। उन्होंने अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत (30.06.2009 को) 56.5 करोड़ लीटर प्रापण कर लिया है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखण्ड तथा पुडुचेरी को छोड़कर, सभी राज्यों में ईबीपी शुरू कर दिया गया है।

ऐथनॉल के संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया/ कराधान नीति में कोई एकरूपता नहीं है। साथ ही, ऐथनॉल की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं है। इससे कतिपय राज्यों में ईबीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा है। इस मामले को भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में मिलाए जाने वाले ऐथनॉल पर शुल्कों और करों को कम करने/समाप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने ऐथनॉल को अपनी ओर से जैव-ईंधन के रूप में बढ़ावा देने तथा ऐथनॉल को ''घोषित सामग्री'' (अथवा) ''विशेष महत्व की सामग्री'' की सूची में शामिल करने के लिए नीति तैयार करने के संबंध में वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जो राज्यों द्वारा 4% से अनधिक दर पर बिक्री कर/वैट की लेवी का प्रयोजन पूरा करेगा। राज्यों में पूर्व कर प्रणालियों के स्थान पर मूल्य-वर्धित कराधान आधारित प्रणाली आरंभ करने सहित बिक्री कर प्रणालियों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की एक शक्तिप्रदत्त समिति का गठन किया गया था। यद्यपि घोषित सामग्री की सूची में एथेनॉल को शामिल करने से राज्यों के लिए राजस्व की कठिनाइयां हो जातीं, इसलिए इस प्रस्ताव को विचार के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की शक्तिप्रदत्त समिति को अग्रेषित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि यदि राज्यों द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में कोई संशोधन करना व्यवहार्य नहीं होगा।

(ङ) गैसोलीन वाहनों में 10% ऐथनॉल मिश्रण की उपयुक्तता और मूल्यांकन का आकलन दो स्थानों अर्थात् उत्तर प्रदेश में अनोला तथा कर्नाटक में देसुर में किया जा रहा है और इस प्रायोगिक परियोजना अध्ययन संबंधी एक अंतिम रिपोर्ट सितम्बर, 2009 में प्राप्त होने की संभावना है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा मामले पर कार्रवाई किए जाने के बाद राज्य सरकारों द्वारा सूचित एथेनॉल पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/ कराधान के संबंध में प्रगति के ब्यौरे

(i) **उड़ीसा** – आयात शुल्क में 25 पैसे प्रति बल्क लीटर की कमी की।

(ii) **उत्तर प्रदेश** – सरकार 1 रुपया 15 पैसे की दर से निर्यात शुल्क लगा रही है जो काफी कम है।

(iii) **छत्तीसगढ़** – एथेनोल के संचालन पर निर्यात/आयात शुल्क को पूर्ण रूप से समाप्त करने की शुरूआत की।

(iv) **पश्चिम बंगाल** – आयात शुल्क में 25 पैसे प्रति बल्क लीटर तक की कमी की।

(v) **गुजरात** – सरकार 3 रुपए प्रति लीटर की दर से आयात शुल्क लगा रही है। तथापि, यह जन हित में आयात शुल्क पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार कर रही है। अब एक वर्ष के लिए परिवहन पास/आयात पास जारी किया जा रहा है।

(vi) **महाराष्ट्र** – परमिटों/प्राधिकारों की अवधि को दो माह से एक वर्ष तक बढ़ा दिया और साथ ही साथ ऐसे प्राधिकार बहु पक्षकारों को दिए गए। राज्य परिवहन शुल्कों की व्यवस्था को पुनः लागू करने और राष्ट्र हित में आवश्यक उपायों की शुरूआत करने की इच्छुक है।

(vii) **हिमाचल प्रदेश** – कोई निर्यात शुल्क नहीं वसूला जा

रहा है। प्रति बल्क लीटर पर 1 रुपया 25 पैसे की दर से आयात शुल्क नाममात्र है।

(viii) राजस्थान – आयात शुल्क 6 रुपए प्रति लीटर से घटा कर 1 रुपया प्रति लीटर कर दिया गया। एथेनोल के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए जारी किया जाना है। निर्बाध आयात के लिए उत्पाद आयुक्त स्वयं निगरानी रखते हैं।

(ix) मध्य प्रदेश – आयात शुल्क 2 रुपए से कम करके 1 रुपया प्रति लीटर कर दिया गया है।

(x) बिहार – आयात शुल्क में 50 पैसे प्रति बल्क लीटर की कमी।

(xi) केरल – राज्य में ईबीपी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए केरल राज्य द्वारा कथित रूप से निम्नलिखित उपाय किए गए:–

(क) तेल विपणन कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) प्रत्येक आयात/परिवहन परमिट के लिए 1000 रुपए का शुल्क वसूला गया है।

(ग) प्रत्येक परमिट के वैधता अवधि 6 माह के लिए निर्धारित की गई है।

(xii) कर्नाटक – कोई निर्यात/आयात शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। तथापि, कोई पुष्टि पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(xiii) आन्ध्र प्रदेश – कोई निर्यात/आयात शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। परमिट 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

(xiv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – कोई निर्यात/आयात शुल्क नहीं।

(xv) हरियाणा – उत्पाद नीति, 2008-09 में एथेनोल पर 1 रुपया प्रति बीएल का परमिट शुल्क समाप्त कर दिया गया और राज्य में ऑटोमोबाइल ईंधन हेतु प्रयोग किए जाने वाले एथेनोल के आयात पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन

1757. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में आबंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में और ज्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना की है।

(ख) और (ग) साझी उद्योग विपणन योजना के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 42 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों सहित राज्य में 144 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित किए जाने के कार्य विभिन्न चरणों पर हैं।

तथापि, यह बता पाना संभव नहीं है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में कितनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित हो जाएंगी।

[अनुवाद]

लोको शेड्स का आधुनिकीकरण

1758. शेख सैदुल हक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास देश के विभिन्न भागों में लोको शेड्स का विस्तार/आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व और पूर्वोत्तर सहित देश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। रेलवे की जरूरतों के अनुसार लोको शेडो का विस्तार/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू किए जा रहे विभिन्न विस्तार कार्य नीचे लिखे अनुसार हैं:

रेलवे	स्थल	विवरण
पूर्व	आसनसोल	उपलब्धता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए रेलइंजनों की अद्यतन श्रेणी के अनुरूप बिजली रेल इंजनों में निरीक्षण गर्त, फर्श और अन्य सुविधाओं का नवीकरण
पूर्व	आसनसोल	एमईएमयू रेक के लिए 12 सवारीडिब्बों के स्थापन हेतु अतिरिक्त अनुरक्षण सुविधाएं
पूर्व	आसनसोल	एमईएमयू शेड और बिजली लोको शेड के लिए संपूर्ण जलनिकासी व्यवस्था।
पूर्व	बर्धमान	डीजल शेड-बर्धमान डीजल शेड के ढांचे में परिवर्तन
पूर्व	बर्धमान	डीजल शेड-बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास (चरण-I).
पूर्व	हवड़ा	डीजल शेड-हावड़ा डीजल शेड की अनुरक्षण सुविधाओं का संवर्धन, बीएमजी शेड का विस्तार
पूर्व	जमालपुर	डीजल शेड में डीईएमयू और डीजल इंजनों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं का सृजन
पूर्वोत्तर सीमा	माल्दा	डीजल शेड-गहरे नलकूप और शिरोपरि (ओवरहैड) टंकी की व्यवस्था
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू गुवाहाटी	डीजल शेड-अम्लरोधी टीम ग्रिब फर्श की व्यवस्था के साथ अद्यतन दिशानिर्देश के अनुसार बैटरी कक्ष का नवीकरण
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू गुवाहाटी	डीजल शेड-लोको पायलट और डीजल शेड की निगरानी के लिए सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधा विकसित करना
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू गुवाहाटी	सफाई सुविधा में सुधार और बिजली एवं अन्य नाजुक पुर्जों के लिए धूल मुक्त वातावरण की व्यवस्था
पूर्वोत्तर सीमा	सिलीगुडी	डीजल शेड-डीजल शेड में बैटरी सेक्शन का नवीकरण
पूर्वोत्तर सीमा	सिलीगुडी	डीजल शेड-बला इंजनों की मध्यवर्ती ओवरहाल गतिविधियों को साध्य बनाने के लिए सुधार
पूर्वोत्तर सीमा	सिलीगुडी	50 इंजनों को खड़ा करने के लिए बलस डीजल लोको शेड
दक्षिण पूर्व	बोंडामुंडा	डीजल लोको शेड में डीजल इंजनों की भारी मरम्मत के लिए सुविधाओं का संवर्धन
दक्षिण पूर्व	खड़गपुर	डीईएमयू अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना
दक्षिण पूर्व	संतरागाझी	50 इंजनों को खड़ा करने के लिए बिजली लोको शेड का विस्तार

झारखंड में लोहरदग्गा से तोरी स्टेशन तक रेल लाइन

1759. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में लोहरादग्गा से तोरी स्टेशन तक रेल लाइन का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रेल लाइन के निर्माण पर होने वाले व्यय का 80% भाग का वहन झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस रेल लाइन का काम पूरा होने में हुई अनावश्यक देरी के कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त रेल लाइन का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। झारखंड सरकार द्वारा इस परियोजना की मात्र 2/3 लागत वहन की जा रही है। नई लाइन का यह हिस्सा रांची-लोहारदग्गा आमान परिवर्तन और इसके तोरी तक विस्तार का हिस्सा है। रांची-लोहारदग्गा आमान परिवर्तन कार्य पूरा कर लिया गया है। इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण परियोजना कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्षित तिथि निर्धारित नहीं है। कार्य में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति हो रही है।

किंगफिशर एयरलाइन को ऋण देने से इंकार

1760. श्री रुद्रमाधव राय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन-प्राधिकरण (एएआई) ने किंगफिशर एयरलाइन को ऋण देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार किंगफिशर, एयर इंडिया तथा अन्य विमान कंपनियों पर वर्तमान में कितना बकाया है; और

(घ) सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राजस्व संकट से उबारने के लिए क्या योजना बना रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस को, अपने देयों को 30.06.2009 तक सुरक्षा डिपॉजिट के स्तर तक कम कर देने और ऐसा न करने पर उनके प्रचालन को ''कैश एंड कैरी आधार'' पर कर दिया जाएगा, के आशय का नोटिस दिया गया था। मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस ने 16 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया तथा 31 करोड़ रुपए के लम्बित टीडीएस प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध करा दिए हैं। पार्टी द्वारा किए गए भुगतानों/प्रतिबद्धताओं के दृष्टिगत, क्रेडिट सुविधा जारी रखी गई थी।

(ग) 30.06.2009 की स्थिति के अनुसार किंगफिशर, एयर इंडिया तथा अन्य प्रमुख घरेलू एयरलाइनों की देय राशियां (लाख रुपए में) निम्नानुसार हैं:

नैसिल (एयर इंडिया)-15378.23 रुपए, नैसिल (इंडियन एयरलाइंस)-44211.62 रुपए, नैसिल (एलाएंस एयर)-2464.95 रुपए, गो एयरलाइंस-1335.82 रुपए, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड-989.91 रुपए, जेट एयरवेज-3309.12 रुपए, जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड-1418.42 रुपए, किंगफिशर एयरलाइंस-14968.70 रुपए, पैरामाउंट एयरवेज-1300.76 रुपए तथा स्पाइस जेट लिमिटेड-1655.28 रुपए।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने खराब वित्तीय स्थिति से उभरने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं जिनमें: (1) राजस्व व्ययों को नियंत्रित/कम करने के लिए किफायती उपाए आरंभ करना; (2) नई परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की समीक्षा; (3) बांड जारी करके निधियां जुटाना; और (4) बकाया देयों की वसूली पर बल देना शामिल हैं।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. कनेक्शनों की उपलब्धता

1761. श्री संजय सिंह चौहान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 75 प्रतिशत परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विजन दस्तावेज-2015 जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गैस कनेक्शन मुहैया कराने के लिए कोई योजना लागू की गयी है और देश में इस समय कितने प्रतिशत परिवारों के पास गैस कनेक्शन हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने रिपोर्ट दी है कि दिनांक 01.06.2009 की स्थिति के अनुसार, वे देशभर में अपने 9678 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से 1067 लाख एलपीजी ग्राहकों को गैस दे रहे हैं, जिसमें लगभग 50% परिवार शामिल हैं।

सरकार ने तेल विपणन कंपनियों के लिए लंबी अवधि के लक्ष्य/कार्रवाई योजना निर्धारित करने के विचार से, तेल क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण-2015 को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्पना है कि:-

नए एलपीजी क्नेक्शनों की गति को तेजी से बढ़ाया जाए। 50% से 75% तक जनसंख्या को शामिल करने के लिए 2015 तक 5.5 करोड़ नए कनेक्शन जारी किए जाएं। चूंकि शहरी क्षेत्रों में अधिकतर कनेक्शन दिए जा चुके हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश नए कनेक्शन जारी करने से एलपीजी ग्राहकों की कुल संख्या 16 करोड़ तक हो जाएगी। उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जहां एलपीजी का विस्तार कम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन में वृद्धि करने के उद्देश्य से और दूर दराज़ और कम संभावना वाले क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने के लिए एक नई योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। योजना के ब्यौरे शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में सड़क उपरि पुल

1762. श्री घनश्याम अनुरागी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के ओरई स्टेशन के निकट समपार संख्या 182-183 पर सड़क उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई नागर विमानन नीति

1763. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय नागर विमानन नीति तैयार कर ली है/करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस नीति को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने नई नागर विमानन नीति के सृजन का प्रस्ताव रखा था। बहरहाल, प्रस्तावित राष्ट्रीय नागर विमानन नीति में निर्धारित अधिकतर मामलों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है:

(i) हवाईअड्डों के लिए संशोधित एफडीआई नीति निर्धारित कर दी गई है जिसके तहत ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।

(ii) नागर विमानन के एयर ट्रांसपोट साइड के लिए एफडीआई की आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है तथा विभिन्न सेक्टरों जैसे कार्गो, एयरलाइनों, गैर अनुसूचित प्रचालकों, एमआरक्यू आदि के संबंध में पृथक सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(iii) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति घोषित की गई है, जिसमें नए हवाईअड्डों की स्थापना के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(iv) 'निजी प्रयोग' के लिए निजी हवाईअड्डे की स्थापना हेतु उदार प्रक्रिया की घोषणा की गई है।

(v) हवाईअड्डों के लिए आर्थिक विनियामक यथा विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की अधिसूचना संसद में पास की गई है तथा इसे 05.12.2008 को अधिसूचित किया गया है।

(vi) निजी घरेलू एयरलाइनों को विशिष्ट दिशा-निर्देशों के आधार पर विदेशी मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करारों को धीरे-धीरे उदार किया गया है। इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्कता में व्यापक सुधार हो पाया है।

(vii) एक सुदृढ़ एवं कुशल राष्ट्रीय वाहक के निर्माण के लिए एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का विलय किया गया है।

(viii) गोंदिया, महाराष्ट्र में एक नए उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की पुनर्संरचना की गई है। इन उपायों से विमानन क्षेत्र में तकनीकी कार्मिकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

बीएसपी के अंतर्गत पट्टा योजना का छठा चरण

1764. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत पट्टा योजना के छठे चरण का शीघ्र क्रियान्वयन करने का कोई उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता का मानदण्ड क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की हाउसलीजिंग स्कीम वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। अपना परिवीक्षा काल पूरा करने वाले सेल के नियमित कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी और मृत कर्मचारियों के जीवन साथी, उनके कानूनी वारिस इस योजना के अंतर्गत पात्र थे। यह योजना विभिन्न चरणों में वर्ष 2003 तक जारी रही और विभिन्न श्रेणियों में कुल 17500 (लगभग) मकान पट्टे पर दिए गए थे।

इसके बाद कंपनी के मकान पट्टे पर देने के लिए कोई योजना नहीं रही है। जुलाई, 2008 में सेल के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि पहले पट्टे पर दिए गए मकानों में अनाधिकृत निर्माण को निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियमित कर दिया जाए।

[अनुवाद]

हुबली विमानपत्तन का विकास

1765. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में हुबली विमानपत्तन के विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दिल्ली विमानपत्तन के निर्माण कार्य हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों को वापिस ले रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कर्नाटक में हुबली हवाई अड्डे पर निम्नलिखित विकास कार्य पूरे किए हैं:

(i) रात्रि अवतरण सुविधाओं के स्तरोन्नयन के साथ-साथ एटीआर-72 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का सुदृढ़ीकरण।

(ii) एक बार में 100 यात्रियों की हैंडलिंग के लिए मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार एवं सुधार।

(iii) 3 एटीआर-72 तथा 2 सुपर किंग श्रेणी के विमानों

की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एबी-230 विमानों के प्रचालनों के लिए रनवे के विस्तार तथा नए टर्मिनल भवन व एप्रन के निर्माण की योजना बनाई है जिसके लिए कर्नाटक सरकार की ओर से नि:शुल्क 615 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस आशय का एक समझौता-ज्ञापन का मसौदा कर्नाटक सरकार की सहमति के लिए भेज दिया गया है, जिसकी अभी तक प्रतीक्षा है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हुबली डीवीओआर उपस्कर नांदेड हवाई अड्डे में तथा आईएलएस उपस्कर आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली में डाईवर्ट कर दिए हैं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नांदेड तथा आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली की प्रचालनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये उपस्कर हुबली हवाई अड्डे से डाईवर्ट किए हैं। हुबली हवाई अड्डे पर इन उपस्करों की प्रतिस्थापन व्यवस्था की जाएगी।

रेलवे सुरक्षा बल की भर्ती

1766. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) की मंडलवार और श्रेणीवार विद्यमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेलवे के पास बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भर्ती करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भर्ती हाने वाले नए कर्मचारियों की सेवा में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) रेल सुरक्षा बल की मंडलवार और कोटिवार वर्तमान जनशक्ति नीचे लिखे अनुसार है:-

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	मंडल	अजा	अजजा	अपिव	अना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर रेलवे	दिल्ली-I	208	104	375	701	1388
	दिल्ली-II	111	56	200	373	740
	फिरोजपुर	209	104	375	702	1390
	अंबाला	101	50	181	340	672
	लखनऊ	184	92	330	618	1224
	मुरादाबाद	123	61	220	413	817
	रेल डिब्बा कारखाना	25	12	45	83	165
	पटियाला कारखाना	8	4	15	27	54
	मुख्यालय इकाई	17	9	32	57	115
	अकादमी/लखनऊ	23	11	41	77	152
उत्तर मध्य रेलवे	इलाहाबाद/मुख्यालय	8	1	11	10	30
	इलाहाबाद मंडल	232	53	282	769	1336

1	2	3	4	5	6	7
	झांसी	161	31	159	374	725
	आगरा	41	38	42	358	479
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	दपूमरे/मुख्यालय	11	11	10	49	81
	बिलासपुर	92	112	76	252	532
	रायपुर	53	54	61	239	407
	नागपुर	80	67	76	207	430
दक्षिण रेलवे	चेन्नै/मुख्यालय	45	2	31	129	207
	चेन्नै मंडल	436	105	126	765	1432
	त्रिची	170	25	97	295	587
	मदुरै	59	7	27	270	363
	पलक्काड़	26	5	58	132	221
	त्रिवेंद्रम	21	20	11	336	388
	सेलम	74	15	29	181	299
	त्रिची/टीसी	18	6	10	45	79
	सडिका/पेरम्बूर	73	19	100	140	332
दक्षिण मध्य रेलवे	मुख्यालय/इकाई	16	3	8	141	168
	हैदराबाद	51	31	68	161	311
	गुंटूर	42	17	20	115	194
	विजयवाड़ा	109	39	76	476	700
	गुंतकल	75	34	56	287	452
	सिकंदराबाद	97	36	98	370	601
	नांदेड़	37	15	17	129	198
	टीसी/मौलाअली	26	9	8	86	129

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण पश्चिम रेलवे	बेंगलुरू	100	42	52	281	475
	हुबली	107	46	28	270	451
	मैसूर	77	30	25	218	350
	रेपका	14	6	3	25	48
	मुख्यालय/हुबली	3	3	6	26	38
पश्चिम रेलवे	मुख्यालय/चर्चगेट	11	2	6	61	80
	मुंबई सेंट्रल	213	122	50	856	1241
	वड़ोदरा	100	108	63	239	510
	रतलाम	106	130	135	307	678
	अहमदाबाद	137	121	79	479	816
	राजकोट	56	17	40	162	275
	भावनगर	70	33	79	128	310
	वालसाड़/टीसी	7	4	4	33	48
पश्चिम मध्य रेलवे	मुख्यालय/जबलपुर	14	7	12	61	94
	जबलपुर मंडल	60	29	56	247	392
	भोपाल	82	41	78	344	545
	कोटा	80	40	77	333	530
मध्य रेलवे	मुख्यालय इकाई	8	4	6	259	277
	मुंबई	509	208	231	1046	1994
	भुसावल	137	74	112	377	700
	सोलापुर	5	42	37	200	284
	नागपुर	87	70	55	291	503
	पुणे	107	27	50	249	433

1	2	3	4	5	6	7
	टीसी/छिखिल्ल	13	3	8	30	54
	नासिक रोड	11	1	5	14	31
पूर्वोत्तर रेलवे	क्षेत्रीय मुख्यालय	77	11	109	230	427
	इज्जत नगर	100	31	122	206	459
	लखनऊ जं.	152	16	402	473	1043
	वाराणसी	124	9	211	355	699
	डीरेका/वाराणसी	40	0	60	103	203
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	मालीगांव/मुख्यालय	22	13	4	60	99
	कटिहार	155	67	116	482	820
	अलीपुरद्वार	112	100	61	217	490
	रंगिया	90	147	91	412	740
	लमडिंग	128	126	100	479	833
	तिनसुकिया	36	82	73	135	326
	डोमोहानी/टीसी	14	6	1	27	48
उत्तर पश्चिम रेलवे	मुख्यालय/जयपुर	12	8	8	79	107
	जयपुर मंडल	50	76	127	228	481
	बांदीकुई/टीसी	5	5	10	21	41
	अजमेर	83	76	111	212	482
	जोधपुर	45	54	45	130	274
	बीकानेर	79	46	78	230	433
पूर्व तट रेलवे	मुख्यालय/भुवनेश्वर	22	9	23	123	177
	विशाखापत्तनम	117	64	133	353	667
	खोरधा रोड	119	41	82	434	676
	सम्बलपुर	67	35	66	132	300

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण पूर्व रेलवे	खड़गपुर	262	213	64	1142	1681
	आद्रा	106	77	55	389	627
	रांची	37	84	41	199	361
	चक्रधरपुर	47	153	27	514	741
	मुख्यालय-इकाई	19	3	1	78	101
पूर्व रेलवे	मुख्यालय इकाई	17	3	1	77	98
	हावड़ा-I	280	94	106	908	1388
	सियालदाह	403	81	135	799	1418
	आसनसोल	140	70	95	617	922
	हावड़ा-II	262	127	64	559	1012
	माल्दा टाउन	69	30	73	244	416
	चिरेका-चित्तरंचन	106	68	82	217	473
	जमालपुर	32	6	88	91	217
	कांचड़ापाड़ा	176	46	78	356	656
	टीसी/कांचड़ापाड़ा	13	0	2	21	36
	लिलुआ	48	17	31	150	246
	कोलकाता मेट्रो	69	17	22	161	269
पूर्व मध्य रेलवे	दानापुर	80	16	131	406	633
	सोनपुर	76	35	117	274	502
	समस्तीपुर	42	21	76	253	392
	धनबाद	88	126	202	241	657
	मुगलसराय	91	47	208	249	595
	टीसी/मोकामा	9	1	30	23	46
	मुख्यालय/हाजीपुर	16	9	26	64	115

(ख) और (ग) 2008-2009 के दौरान सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित रिक्तियों को भरा गया है:

उपनिरीक्षक	सिपाही	आनुषंगिक
1027	6201	337

सिपाहियों की 503 रिक्तियां भरने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी हैं।

(घ) वह समय जिस तक नए भर्ती कार्मिकों की सेवा में प्रवेश करने की संभावना है:-

उपनिरीक्षक: मार्च, 2010 के अंत तक

सिपाही: फरवरी, 2010 के अंत तक

आनुषंगिक: अक्तूबर, 2009 तक सेवा में प्रदेश कर रहे हैं।

कोयला आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना

1767. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में गैस और कोयला आधारित कुल कितने यूरिया संयंत्र हैं और इन संयंत्रों में उत्पादित यूरिया राज्य-वार विशेषकर गुजरात के कौन से क्षेत्रों में बेचा जाता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार देश में नए कोयला आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) देश में यूरिया संयंत्रों की कुल संख्या इस प्रकार है:

यूरिया इकाइयां	इकाइयों की संख्या	क्षेत्र जहां यूरिया की बिक्री की जाती है
1	2	3
गैस आधारित	21	अखिल भारत
कोयला आधारित	0	
गैस आधारित के अलावा	8	अखिल भारत
योग	29	

कोयला आधारित इकाइयों के संबंध में वर्तमान में देश में कोई भी यूरिया इकाई कोयला फीडस्टाक पर आधारित नहीं है। तथापि, छह यूरिया इकाइयां वाष्प/विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा इन संयंत्रों का कुल उत्पादन और इन संयंत्रों में उत्पादित यूरिया की बिक्री का ब्यौरा संलग्न विवरण में राज्य वार दर्शाया गया है।

(ख) से (घ) देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति में बढ़ते अंतर को देखते हुए सरकार देश में नए यूरिया संयंत्र लगाने हेतु उत्पादन कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है तथा इस उद्देश्य के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा 4 सितंबर 2008 को एक नई मूल्य-निर्धारण नीति की घोषणा भी की गई है। देश में यूरिया के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में कोयला गैस और कोयला आधारित मीथेन को मान्यता दी गई है। तथापि, देश में नई इकाई/संयंत्र लगाने संबंधी निर्णय पूर्ण रूप से निवेशकों के आकलन पर निर्भर होगा जो मांग और उत्पादन के बीच बढ़ते अंतर और आकर्षक निवेश नीति को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं।संघ सरकार द्वारा देश में कोयला आधारित नए संयंत्र लगाने का प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के लिए यूरिया का राज्य-वार, संयंत्र-वार, फीडस्टॉक-वार उत्पादन

क्रम सं.	राज्य/कंपनी/इकाई	फीडस्टॉक	उत्पादन (000' मी. टन) 2008-09
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	एनएफसीएल: काकीनाड़ा-I	गैस	768.9

1	2	3	4
2.	एनएफसीएल: काकीनाड़ा-II	नेफ्था	609.1
	योग		1378.0
	असम		
3.	बीवीएफसीएल: नामरूप-II	गैस	60.7
4.	बीवीएफसीएल: नामरूप-III	गैस	128.5
	योग		189.2
	गुजरात		
5.	जीएसएफसी: वदोदरा	गैस	236.3
6.	इफको: कलोल	गैस	559.8
7.	कृभको: हजीरा	गैस	1743.2
8.	जीएनएफसी: भरूच	ईंधन तेल/ एलएसएचएस	592.3
	योग		3131.6
	गोवा		
9.	जैडआईएल: गोवा	नेफ्था	412.4
	योग		402.5
	हरियाणा		
10.	एनएफएल: पानीपत	ईंधन तेल/ एलएसएचएस	488.3
	योग		508.7
	कर्नाटक		
11.	एमसीएफएल: मंगलौर	नेफ्था	379.3
	योग		370.1
	महाराष्ट्र		
12.	आरसीएफ: थाल	गैस	1903.4
13.	आरसीएफ: ट्राम्बे-V	गैस	0.0
	योग		1903.4
	मध्य प्रदेश		
14.	एनएफएल: विजयपुर	गैस	865.5
15.	एनएफएल: विजयपुर विस्तार	गैस	937.4
	योग		1802.9
	पंजाब		
16.	एनएफएल: नंगल-II	ईंधन तेल/ एलएसएचएस	514.5
17.	एनएफएल: भठिण्डा	ईंधन तेल/ एलएसएचएस	537.5
	योग		1052.0
	राजस्थान		
18.	सीएफसीएल: गडेपान-I	गैस	909.8
19.	सीएफसीएल: गडेपान-II	गैस	1008.4
20.	एसएफसी: कोटा	गैस	395.5
	योग		2313.7
	उत्तर प्रदेश		
21.	इफको: आंवला	गैस	986.8
22.	इफको: आंवला विस्तार	गैस	1018.1
23.	इफको: फूलपुर-I	गैस	662.6

1	2	3	4
24.	इफको: फूलपुर-II	गैस	840.5
25.	इण्डोगल्फ: जगदीशपुर	गैस	1068.6
26.	टीसीएल: बबराला	गैस	1023.8
27.	केएसएफएल: शाहजहांपुर	गैस	864.4
	योग		6464.8

1	2	3	4
	तमिलनाडु		
28.	एमएफएल: चेन्नई	नेफ्था	405.7
29.	एसपीआईसी: तूतीकोरिन	नेफ्था	0.0
	योग		405.7
	सकल योग		19922.6

खरीफ 2009 से जुलाई, 2009 तक सभी संयंत्र – बंदरगाहों के यूरिया हेतु आपूर्ति योजना

कंपनी	राज्य	स्वदेशी		आयातित		योग
		ईसीए	गैर ईसीए	ईसीए	गैर ईसीए	
1	2	3	4	5	6	7
बीवीएफसीएल-नामरूप-II	अरुणाचल प्रदेश	57.000	.000	.000	.000	57.000
	असम	6,953.000	13,952.000	.000	.000	20,905.000
	मणिपुर	3,001.000	.000	.000	.000	3,001.000
	मेघालय	540.000	.000	.000	.000	540.000
	मिजोरम	500.000	.000	.000	.000	500.000
	नागालैण्ड	53.000	.000	.000	.000	53.000
	त्रिपुरा	1,827.000	.000	.000	.000	1,827.000
	पश्चिम बंगाल	1,260.000	.000	.000	.000	1,260.000
बीवीएफसीएल-नामरूप-II	योग	14,191.000	13,952.000	.000	.000	28,143.000
बीवीएफसीएल-नामरूप-III	अरुणालय प्रदेश	152.000	.000	.000	.000	152.000
	असम	4,880.000	48,069.000	.000	.000	52,949.000
	मणिपुर	17,906.000	.000	.000	.000	17,906.000
	मेघालय	780.000	.000	.000	.000	780.000
	मिजोरम	500.000	.000	.000	.000	500.000

1	2	3	4	5	6	7
	नागालैण्ड	71.000	.000	.000	.000	71.000
	त्रिपुरा	3,173.000	.000	.000	.000	3,173.000
	पश्चिम बंगाल	1,354.000	.000	.000	.000	1,354.000
बीवीएफसीएल-नामरूप-III	योग	28,816.000	48,069.000	.000	.000	76,885.000
सीएससीएल-गड़ेपन-I	बिहार	.000	5,400.000	.000	.000	5,400.000
	छत्तीसगढ़	9,984.000	16,105.900	.000	.000	26,090.700
	गुजरात	.000	16,046.750	.000	.000	16,046.750
	हरियाणा	21,410.550	15,392.900	.000	.000	36,803.450
	मध्य प्रदेश	7,000.000	11,532.350	.000	.000	18,532.350
	पंजाब	74,398.950	11,468.000	.000	.000	85,866.950
	राजस्थान	42,811.720	27,475.200	.000	.000	70,286.920
	उत्तर प्रदेश	18,527.800	35,031.000	.000	.000	53,558.800
	उत्तरांचल	.000	5,370.600	.000	.000	5,370.600
सीएससीएल-गड़ेपन-I	योग	174,133.820	143,822.700	.000	.000	317,956.520
सीएससीएल-गड़ेपन-II	छत्तीसगढ़	.000	2,700.000	.000	.000	2,700.000
	गुजरात	.000	5,238.400	.000	.000	5,238.400
	हरियाणा	43,692.900	29,882.250	.000	.000	73,575.150
	जम्मू और कश्मीर	13,383.250	2,582.600	.000	.000	15,965.850
	मध्य प्रदेश	5,873.200	9,716.450	.000	.000	15,589.650
	पंजाब	47,171.400	21,289.300	.000	.000	68,460.700
	राजस्थान	10,400.000	35,178.920	.000	.000	45,578.920
	उत्तर प्रदेश	17,845.800	32,047.500	.000	.000	49,893.300
	उत्तरांचल	.000	1,309.800	.000	.000	1,309.800
सीएससीएल-गड़ेपन-II	योग	138,366.550	139,945.220	.000	.000	278,311.770

1	2	3	4	5	6	7
जीएनएफसी-भरूच	आन्ध्र प्रदेश	15,370.700	.000	.000	.000	15,370.700
	छत्तीसगढ़	11,365.400	.000	.000	.000	11,365.400
	गुजरात	25,500.000	81,656.000	.000	.000	107,156.000
	हरियाणा	10,360.750	.000	.000	.000	10,360.750
	मध्य प्रदेश	16,799.550	.000	.000	.000	16,799.550
	महाराष्ट्र	23,004.400	.000	.000	.000	23,004.400
	पंजाब	12,249.950	.000	.000	.000	12,249.950
	राजस्थान	10,979.400	.000	.000	.000	10,979.400
	उत्तर प्रदेश	26,835.000	.000	.000	.000	26,835.000
जीएनएफसी-भरूच	योग	152,465.150	81,656.000	.000	.000	234,121.150
जीएसएफसी-वडोदरा	आंध्र प्रदेश	2,226.400	.000	.000	.000	2,226.400
	छत्तीसगढ़	.000	472.000	.000	.000	472.000
	दादर और नगर हवेली	470.000	.000	.000	.000	470.000
	दमन एंड द्वीप	100.000	.000	.000	.000	100.000
	गुजरात	15,500.000	56,413.300	.000	.000	71,913.300
	मध्य प्रदेश	6,920.000	.000	.000	.000	6,920.000
	महाराष्ट्र	7,217.400	.000	.000	.000	7,217.400
	राजस्थान	7,592.150	.000	.000	.000	7,592.150
	उत्तर प्रदेश	6,626.200	.000	.000	.000	6,626.200
जीएसएफसी-वडोदरा	योग	46,652.150	56,885.300	.000	.000	103,537.450
इफको-अनोला	हरियाणा	32,787.150	4,493.250	.000	.000	37,280.400
	हिमाचल प्रदेश	5,450.000	.000	.000	.000	5,450.000
	जम्मू और कश्मीर	11,422.550	.000	.000	.000	11,422.550

1	2	3	4	5	6	7
	पंजाब	50,942.450	.000	.000	.000	50,942.450
	उत्तर प्रदेश	37,842.500	120,700.150	.000	.000	158,542.650
	उत्तरांचल	5,994.500	24,032.000	.000	.000	30,026.500
इफको-अनोला	योग	144,439.150	149,225.400	.000	.000	293,664.550
इफको-आंवला विस्तार	हरियाणा	21,608.500	14,873.250	.000	.000	36,481.750
	हिमाचल प्रदेश	8,150.000	.000	.000	.000	8,150.000
	जम्मू और कश्मीर	4,575.350	.000	.000	.000	4,575.350
	पंजाब	51,198.200	.000	.000	.000	51,198.200
	राजस्थान	.000	2,653.500	.000	.000	2,653.500
	उत्तर प्रदेश	47,318.250	102,479.000	.000	.000	149,797.250
	उत्तरांचल	5,394.750	19,726.000	.000	.000	25,120.750
इफको-आंवला विस्तार	योग	138,245.050	139,731.750	.000	.000	277,976.800
इफको-आईएमपी	आंध्र प्रदेश	.000	.000	.000	4,444.900	4,444.900
	छत्तीसगढ़	.000	.000	.000	10,551.500	10,551.500
	गुजरात	.000	.000	30,700.000	.000	30,700.000
	हरियाणा	.000	.000	18,246.250	.000	18,246.250
	कर्नाटक	.000	.000	19,721.250	.000	19,721.250
	केरल	.000	.000	.000	10,161.000	10,161.000
	मध्य प्रदेश	.000	.000	.000	13,467.200	13,467.200
	महाराष्ट्र	.000	.000	.000	51,047.560	51,047.560
	पांडिचेरी	.000	.000	.000	278.000	278.000
	पंजाब	.000	.000	5,169.250	.000	5,169.250
	राजस्थान	.000	.000	7,804.000	.000	7,804.000

1	2	3	4	5	6	7
	तमिलनाडु	.000	.000	34,870.090	.000	34,870.090
	उत्तर प्रदेश	.000	.000	47,360.500	.000	47,360.500
इफको-आईएमपी	योग	.000	.000	163,871.340	89,950.160	253,821.500
इफको-कलोल	गुजरात	.000	105,170.000	.000	.000	105,170.000
	मध्य प्रदेश	42,561.100	.000	.000	.000	42,561.100
	महाराष्ट्र	31,624.100	.000	.000	.000	31,624.100
	राजस्थान	18,207.850	7,932.250	.000	.000	26,140.100
इफको-कलोल	योग	92,393.050	113,102.250	.000	.000	205,495.300
इफको-फूलपुर	असम	12,562.000	.000	.000	.000	12,562.000
	बिहार	24,865.250	.000	.000	.000	24,865.250
	छत्तीसगढ़	6,932.600	567.000	.000	.000	7,499.600
	झारखण्ड	5,283.750	.000	.000	.000	5,283.750
	मध्य प्रदेश	.000	5,277.750	.000	.000	5,277.750
	उड़ीसा	34,457.750	.000	.000	.000	34,457.750
	उत्तर प्रदेश	2,215.800	97,965.000	.000	.000	100,180.800
	पश्चिम बंगाल	16,123.250	.000	.000	.000	16,123.250
इफको-फूलपुर	योग	102,440.400	103,809.750	.000	.000	206,250.150
इफको-फूलपुर विस्तार	असम	8,590.000	.000	.000	.000	8,590.000
	बिहार	43,913.750	.000	.000	.000	43,913.750
	छत्तीसगढ़	7,807.000	5,695.500	.000	.000	13,502.500
	झारखण्ड	7,925.250	.000	.000	.000	7,925.250
	मध्य प्रदेश	.000	5,380.750	.000	.000	5,380.750
	उड़ीसा	40,366.750	.000	.000	.000	40,366.750

1	2	3	4	5	6	7
	उत्तर प्रदेश	425.600	137,296.200	.000	.000	137,721.800
	पश्चिम बंगाल	31,821.605	.000	.000	.000	31,821.605
इफको-फूलपुर विस्तार	योग	140,849.955	148,372.450	.000	.000	289,222.405
आईजीएफ-जगदीशपुर	बिहार	80,897.300	10,358.600	.000	.000	91,255.900
	झारखण्ड	7,843.550	.000	.000	.000	7,843.550
	उत्तर प्रदेश	3,859.600	140,320.800	.000	.000	144,180.400
	पश्चिम बंगाल	51,429.450	8,697.150	.000	.000	60,126.600
आईजीएफ-जगदीशपुर	योग	144,029.900	159,376.550	.000	.000	303,406.450
आईपीएल-आईएमपी	गुजरात	.000	.000	1,362.000	.000	1,362.000
	हरियाणा	.000	.000	9,576.650	.000	9,576.650
	मध्य प्रदेश	.000	.000	5,283.500	.000	5,283.500
	महाराष्ट्र	.000	.000	.000	2,528.000	2,528.000
	पंजाब	.000	.000	12,721.800	.000	12,721.800
	राजस्थान	.000	.000	.000	504.400	504.400
	उत्तर प्रदेश	.000	.000	18,282.000	.000	18,282.000
आईपीएल-आईएमपी	योग	.000	.000	47,225.950	3,032.400	50,258.350
कृभके-हजीरा	आंध्र प्रदेश	26,511.600	7,830.800	.000	.000	34,342.400
	बिहार	21,128.800	.000	.000	.000	21,128.800
	छत्तीसगढ़	.000	12,477.600	.000	.000	12,477.600
	गुजरात	.000	104,932.850	.000	.000	104,932.850
	हरियाणा	34,000.000	7,806.000	.000	.000	41,806.000
	कर्नाटक	7,801.600	20,141.200	.000	.000	27,942.800
	मध्य प्रदेश	18,409.200	25,130.500	.000	.000	43,539.700
	महाराष्ट्र	58,286.800	61,439.200	.000	.000	119,726.000

1	2	3	4	5	6	7
	पंजाब	48,919.000	.000	.000	.000	48,919.000
	राजस्थान	10,425.200	13,628.000	.000	.000	24,053.200
	उत्तर प्रदेश	66,000.000	.000	.000	.000	66,000.000
कृभको-हजीरा	योग	291,482.200	253,386.150	.000	.000	544,868.350
कृभको-आईएमपी	आंध्र प्रदेश	.000	.000	9,711.600	26,106.800	35,818.400
	छत्तीसगढ़	.000	.000	.000	17,835.400	17,835.400
	गुजरात	.000	.000	15,212.820	.000	15,212.820
	हरियाणा	.000	.000	4,780.550	.000	4,780.550
	कर्नाटक	.000	.000	39,963.800	.000	39,963.800
	केरल	.000	.000	.000	3,573.300	3,573.300
	महाराष्ट्र	.000	.000	32,112.900	7,593.200	39,706.100
	पांडिचेरी	.000	.000	439.000	.000	439.000
	पंजाब	.000	.000	7,900.000	.000	7,900.000
	तमिलनाडु	.000	.000	40,443.050	.000	40,443.050
कृभको-आईएमपी	योग	.000	.000	150,563.720	55,108.700	205,672.420
केएसएफएल-शाहजहांपुर	बिहार	57,285.200	.000	.000	.000	57,285.200
	छत्तीसगढ़	.000	5,200.000	.000	.000	5,200.000
	हरियाणा	5,229.400	5,200.000	.000	.000	10,429.400
	झारखण्ड	13,290.200	.000	.000	.000	13,290.200
	उड़ीसा	20,416.000	.000	.000	.000	20,416.000
	उत्तर प्रदेश	.000	161,066.000	.000	.000	161,066.000
	उत्तराखंड	7,090.000	.000	.000	.000	7,090.000
	पश्चिम बंगाल	39,280.000	.000	.000	.000	39,280.000
केएसएफएल-शाहजहांपुर	योग	142,590.800	171,466.000	.000	.000	314,056.800

1	2	3	4	5	6	7
एमसीएफ-मंगलौर	आंध्र प्रदेश	6,800.000	.000	.000	.000	6,800.000
	कर्नाटक	24,860.000	52,830.950	.000	.000	77,690.950
	केरल	15,099.300	.000	.000	.000	15,099.300
	महाराष्ट्र	.000	3,946.000	.000	.000	3,946.000
	तमिलनाडु	14,831.200	200.000	.000	.000	15,031.200
एमसीएफ-मंगलौर	योग	61,590.500	56,976.950	.000	.000	118,567.450
एमएफएल-चेन्नई	आंध्र प्रदेश	9,030.650	.000	.000	.000	9,030.650
	कर्नाटक	14,949.600	3,319.800	.000	.000	18,269.400
	केरल	4,468.000	67.000	.000	.000	4,535.000
	पांडिचेरी	3,086.000	4,639.000	.000	.000	7,725.000
	तमिलनाडु	13,433.200	52,263.600	.000	.000	65,696.800
एमएफएल-चेन्नई	योग	44,967.450	60,289.400	.000	.000	105.256.850
एनएफसीएल-काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	14,320.000	134,065.000	.000	.000	148,385.000
	बिहार	6,840.300	.000	.000	.000	6,840.300
	छत्तीसगढ़	7,699.600	8,896.450	.000	.000	16,596.050
	कर्नाटक	14,988.850	5,257.800	.000	.000	20,246.650
	महाराष्ट्र	5,200.000	1,363.150	.000	.000	6,563.150
	उड़ीसा	19,287.300	.000	.000	.000	19,287.300
	पांडिचेरी	8.950	.000	.000	.000	8.950
	तमिलनाडु	25,886.150	.000	.000	.000	25,886.150
	पश्चिम बंगाल	15,016.850	.000	.000	.000	15,016.850
एनएफसीएल-काकीनाडा	योग	109,248.000	149,582.400	.000	.000	258,830.400

1	2	3	4	5	6	7
एनएफसीएल-काकीनाडा विस्तार	आंध्र प्रदेश	14,320.000	121,572.800	.000	.000	135,892.800
	बिहार	6,080.300	.000	.000	.000	6,080.300
	छत्तीसगढ़	7,500.000	8,451.950	.000	.000	15,951.950
	कर्नाटक	15,214.350	3,234.200	.000	.000	18,448.550
	महाराष्ट्र	.000	1,204.450	.000	.000	1,204.450
	उड़ीसा	18,770.900	.000	.000	.000	18,770.900
	पांडिचेरी	8.050	.000	.000	.000	8.050
	तमिलनाडु	23,138.050	.000	.000	.000	23,138.050
	पश्चिम बंगाल	13,278.150	.000	.000	.000	13,278.150
एनएफसीएल-काकीनाडा विस्तार	योग	98,309.800	134,463.400	.000	.000	232,773.200
एनएफएल-भठिण्डा	हरियाणा	16,703.800	.000	.000	.000	16,703.800
	पंजाब	71,170.150	68,757.300	.000	.000	139,927.450
	राजस्थान	16,353.850	.000	.000	.000	16,353.850
एनएफएल-भठिण्डा	योग	104,227.800	68,757.300	.000	.000	172,985.100
एनएफएल-नांगल-II	हरियाणा	.000	12,834.800	.000	.000	12,834.800
	हिमाचल प्रदेश	15,206.000	.000	.000	.000	15,206.000
	जम्मू कश्मीर	9,748.300	3,132.150	.000	.000	12,880.450
	पंजाब	45,603.200	66,814.400	.000	.000	112,417.600
	उत्तर प्रदेश	.000	2,374.400	.000	.000	2,374.400
	उत्तराखंड	.000	186.400	.000	.000	186.400
एनएफएल-नांगल-II	योग	70,557.500	85,342.150	.000	.000	155,899.650

1	2	3	4	5	6	7
एनएफएल-पानीपत	बिहार	.000	10,348.800	.000	.000	10,348.800
	दिल्ली	90.000	.000	.000	.000	90.000
	हरियाणा	38,546.200	29,281.000	.000	.000	67,827.200
	पंजाब	17,346.000	2,681.400	.000	.000	20,027.400
	राजस्थान	.000	5,213.600	.000	.000	5,213.600
	उत्तर प्रदेश	.000	18,200.000	.000	.000	18,200.000
	उत्तराखंड	6,224.400	.000	.000	.000	6,224.400
एनएफएल-पानीपत	योग	62,206.600	65,724.800	.000	.000	127,931.400
एनएफएल-विजयपुर	आंध्र प्रदेश	.000	2,600.000	.000	.000	2,600.000
	बिहार	51,534.400	.000	.000	.000	51,534.400
	छत्तीसगढ़	49,121.200	.000	.000	.000	49,121.200
	हरियाणा	.000	2,617.600	.000	.000	2,617.600
	झारखण्ड	7,450.000	282.000	.000	.000	7,732.000
	मध्य प्रदेश	15,020.000	38,224.800	.000	.000	53,244.800
	महाराष्ट्र	32,639.200	.000	.000	.000	32,639.200
	उड़ीसा	.000	4,800.000	.000	.000	4,800.000
	पंजाब	2,548.800	.000	.000	.000	2,548.800
	राजस्थान	.000	2,354.000	.000	.000	2,354.000
	उत्तर प्रदेश	.000	68,073.400	.000	.000	68,073.400
	उत्तराखंड	.000	125.600	.000	.000	125.600
एनएफएल-विजयपुर	योग	158,313.600	119,077.400	.000	.000	277,391.000
एनएफएल-विजयपुर विस्तार	आंध्र प्रदेश	.000	5,200.000	.000	.000	5,200.000
	बिहार	50,392.400	.000	.000	.000	50,392.400

1	2	3	4	5	6	7
	छत्तीसगढ़	41,442.200	.000	.000	.000	41,442.200
	हरियाणा	.000	5,233.200	.000	.000	5,233.200
	झारखण्ड	8,691.600	.000	.000	.000	8,691.600
	मध्य प्रदेश	10,242.800	62,611.200	.000	.000	72,854.000
	महाराष्ट्र	16,041.200	10,041.400	.000	.000	26,082.600
	उड़ीसा	.000	5,200.000	.000	.000	5,200.000
	राजस्थान	.000	2,621.400	.000	.000	2,621.400
	उत्तर प्रदेश	10,244.996	59,678.200	.000	.000	69,923.196
	उत्तराखंड	.000	150.000	.000	.000	150.000
एनएफएल-विजयपुर विस्तार	योग	137,055.196	150,735.400	.000	.000	287,790.596
आरसीएफ-आईएमपी	गुजरात	.000	.000	948.000	.000	948.000
	मध्य प्रदेश	.000	.000	685.000	.000	685.000
	महाराष्ट्र	.000	.000	10,536.210	.000	10,536.210
	उत्तर प्रदेश	.000	.000	18,407.500	.000	18,407.500
आरसीएफ-आईएमपी	योग	.000	.000	30,576.710	.000	30,576.710
आरसीए-थाल	आंध्र प्रदेश	45,046.400	.000	.000	.000	45,046.400
	बिहार	17,601.600	.000	.000	.000	17,601.600
	छत्तीसगढ़	15,265.600	.000	.000	.000	15,265.600
	गोवा	27.000	43.000	.000	.000	70.000
	गुजरात	.000	16,913.700	.000	.000	16,913.700
	हरियाणा	7,500.000	.000	.000	.000	7,500.000
	झारखण्ड	7,548.800	.000	.000	.000	7,548.800
	कर्नाटक	57,491.870	.000	.000	.000	57,491.870

1	2	3	4	5	6	7
	मध्य प्रदेश	12,727.950	.000	.000	.000	12,727.950
	महाराष्ट्र	49,776.450	289,190.700	.000	.000	338,967.150
	पंजाब	5,000.000	.000	.000	.000	5,000.000
	राजस्थान	5,000.000	.000	.000	.000	5,000.000
	तमिलनाडु	.000	36,223.400	.000	.000	36,223.400
	उत्तर प्रदेश	22,915.200	.000	.000	.000	22,915.200
	पश्चिम बंगाल	.000	15,199.100	.000	.000	15,199.100
आरसीएफ-थाल	योग	245,900.870	357,569.900	.000	.000	603,470.770
आरसीएफ-ट्राम्बे	आंध्र प्रदेश	.000	684.800	.000	.000	684.800
	छत्तीसगढ़	494.400	.000	.000	.000	494.400
	कर्नाटक	2,268.000	.000	.000	.000	2,268.000
	महाराष्ट्र	12,324.400	12,324.400	.000	.000	24,648.800
	राजस्थान	.000	877.200	.000	.000	877.200
	पश्चिम बंगाल	.000	2,244.800	.000	.000	2,244.800
आरसीएफ-ट्राम्बे	योग	15,086.800	16,131.200	.000	.000	31,218.000
एसएफसी-कोटा	हरियाणा	11,335.950	6,810.350	.000	.000	18,146.300
	मध्य प्रदेश	6,000.000	9,845.200	.000	.000	15,845.200
	पंजाब	15,748.750	2,266.350	.000	.000	18,015.100
	राजस्थान	17,992.350	29,671.450	.000	.000	47,663.800
	उत्तर प्रदेश	7,937.300	1,851.750	.000	.000	9,789.050
	उत्तराखंड	700.000	.000	.000	.000	700.000
एसएफसी-कोटा	योग	59,714.350	50,445.100	.000	.000	110,159.450

1	2	3	4	5	6	7
टीसीएल-बबराला	बिहार	42,031.800	.000	.000	.000	42,031.800
	हरियाणा	65,408.900	7,793.850	.000	.000	73,202.750
	झारखण्ड	10,577.800	.000	.000	.000	10,577.800
	पंजाब	80,859.250	.000	.000	.000	80,859.250
	उत्तर प्रदेश	20,400.000	152,293.000	.000	.000	172,693.000
	उत्तराखंड	10,109.300	.000	.000	.000	10,109.300
	पश्चिम बंगाल	31,417.900	.000	.000	.000	31,417.900
टीसीएल-बबराला	योग	260,804.950	160,086.850	.000	.000	420,891.800
जेडआईएल-गोवा	आंध्र प्रदेश	12,904.000	.000	.000	.000	12,904.000
	गोवा	1,506.000	.000	.000	.000	1,506.000
	कर्नाटक	30,522.500	35,091.250	.000	.000	65,613.750
	केरल	820.000	.000	.000	.000	820.000
	महाराष्ट्र	27,660.000	32,341.500	.000	.000	60,001.500
	तमिलनाडु	3,269.500	.000	.000	.000	3,269.500
जेडआईएल-गोवा	योग	76,682.000	67,432.750	.000	.000	144,114.750

भारत को तेल की आपूर्ति

1768. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तुर्की से ऐसे संभावित अर्थक्षम विकल्प का नया प्रस्ताव मिला है जिससे मध्य एशिया और काकेशियन क्षेत्र से तेल को भारत तक पहुंचाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो पाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) तुर्की के विदेश मंत्री ने फरवरी 2008 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान, कैस्पियन क्षेत्र से भूमध्य सागर और लाल सागर के जरिए भारत में कच्चे तेल का परिवहन करने के लिए तुर्की, इजरायल और भारत के बीच सहयोग से संबंधित प्रस्ताव का मसौदा पेश किया था। इस परियोजना में तुर्की के सीहैन बन्दरगाह से भूमध्य सागर में इजरायल के आश्केलोन बन्दरगाह तक शुरू में कच्चे तेल के बहुत बड़े वाहकों के जरिए और अन्ततः उप समुद्री

पाइपलाइन बिछा कर कच्चे तेल के परिवहन की संकल्पना की गई है। उसके बाद कच्चे तेल का परिवहन इजरायल के मौजूदा आश्केलोन-ऐलाट पाइपलाइन से लाल सागर में ऐलाट बन्दरगाह के जरिए किया जाएगा। वहां से कच्चे तेल भारत/एशिया के अन्य भागों में ले जाया जा सकता है। इस परियोजना का विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने की जरूरत है ताकि इसकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता सिद्ध की जा सके।

(ग) से (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा है कि तुर्की और इजरायल अपनी ओर से व्यवहार्यता अध्ययन कराएं और ऐसी रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर, इस परियोजना की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर, उस परियोजना में भारत की भागीदारी का निर्णय किया जा सकता है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए नए आयोग की स्थापना

1769. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए दो नए आयोग स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पृथक रूप से उनकी संरचना तथा उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त आयोगों द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जीवनयापन, शिक्षा और कार्य-स्थान संबंधी विविधता और वंचित वर्ग के लिए समान अवसर संबंधी विषयों से निपटने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा दो विशेषज्ञ दलों का गठन किया गया था; एक दल का गठन समान अवसर आयोग की कार्यप्रणाली और संरचना की जांच और निर्धारण के लिए तथा दूसरे दल का गठन जीवनयापन, शिक्षा और कार्य स्थान संबंधी विविधता को उभारने हेतु उपयुक्त ''विविधता सूचकांक'' की अनुशंसा करने के लिए। इन दोनों विशेषज्ञ दलों की रिपोर्टें पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं तथा मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

जलपाईगुड़ी से बोंगाईगांव तक रेललाइन का दोहरीकरण

1770. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का नई जलपाईगुड़ी से बोंगाईगांव तक के सेक्टर के एकल रेल ट्रैक का उन्नयन कर इसका दोहरीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) समुकतला रोड-न्यू बोंगाईगांव के बीच दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है। समुकतला रोड तथा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच अलग संरेखण में दो इकहरी लाइने हैं। मौजूदा यातायात को देखते हुए न्यू जलपाईगुड़ी तथा समुकतला के बीच दोहरीकरण आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता

1771. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित दर पर जीवन-रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2005 में गठित कृतक बल की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) उचित मूल्य पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मूल्य नियंत्रण के विकल्प के इतर अन्य विकल्पों का पता लगाने के लिए 29.11.2004 को योजना आयोग

के प्रधान सलाहकार (पीपी) डा. प्रणव सेन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। इस समिति ने 20 सितम्बर, 2005 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और इसने बल्क औषध मूल्य निर्धारण की क्रियाविधि, सिर्फ फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण, सभी फार्मूलेशनों के लिए उच्चतम मूल्य सीमाएं, उत्पाद शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने, जेनरिक औषधों के प्रोत्साहन, बीपीएल परिवारों तक दवाओं की पहुंच बनाने जैसी व्यापक सिफारिशें कीं। औषध विनियामक तंत्र के सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूज्जीवन, अनुसूची-एम की अनुपालना हेतु लघु उद्योग इकाइयों के लिए अलग योजना निधि के सृजन, स्वास्थ्य बीमा आदि के लिए प्रावधान जैसी कार्यबल की कुछेक सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

इस कार्यबल की सिफारिशों और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से प्राप्त जानकारी और तदन्तर अन्य स्टेकधारकों से विचार-विमर्श के आधार पर इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय औषध नीति का प्रारूप तैयार किया गया था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप-2006 में कार्यबल की कतिपय सिफारिशों को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने 11.01.2007 को आयोजित अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले पर पहले मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। जीओएम का गठन किया जा चुका है और अब तक इसकी चार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। जीओएम की आखिरी बैठक 30.04.2008 को आयोजित की गई थी। जीओएम ने अभी तक मंत्रिमंडल को अपनी सिफारिशें नहीं भेजी हैं।

आयातित दवाओं की उच्च लागत

1772. डॉ. के.एस. राव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर जैसी कुछ बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली कतिपय आयातित दवाओं के मूल्य बहुत अधिक होते हैं तथा आम आदमी इस प्रकार की दवाओं की कीमत को वहन नहीं कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में आयातित दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित करने तथा आवश्यक दवाओं की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव आवश्यक दवाओं के आयात को नियंत्रित करने तथा वहनीय दर पर आम आदमी को आयातित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए विपणन तंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) विद्यमान औषध मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। आयातित औषधों सहित सभी अनुसूचित फार्मूलेशनों पर लागू हैं जबतक कि उन्हें अन्यथा छूट न हों। आयातित औषधों सहित गैर-अनुसूचित औषधों के मामले में एनपीपीए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ओआरजी-आईएमएस द्वारा उपलब्ध कराए गए मासिक आंकड़ों के आधार पर उनके मूल्यों में उतार-चढ़ाव पर नजर रखता है कि कतिपय शर्तों के अध्यधीन वार्षिक मूल्य वृद्धि को 10% (1.4.2007 से पूर्व 20%) से अधिक बढ़ने की अनुमति न दी जाए। कैंसर संबंधी दवाओं की कमी की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय औषध नीति 2006 का प्रारूप जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आम जनता को वाजिब मूल्यों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान शामिल है, को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11.01.2007 की अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया था कि इस पर पहले मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। जीओएम ने चार बैठकें की परन्तु अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दे पाया।

[हिन्दी]

कोयला तथा इथेनॉल से तेल का उत्पादन

1773. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के मद्देनजर कोयले तथा इथेनॉल से तेल का उत्पादन करने की परियोजनाओं पर पुन: काम आरंभ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) भारत सरकार ने दिनांक 12 जुलाई, 2007 की अधिसूचना के द्वारा निजी खनन नीति के तहत कोयला द्रवण को एक अन्त्य उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया है। ऐसा करने से सरकार कोयला द्रवण के कारोबार में प्रवेश करने वाले संभावित उद्यमियों को निजी ब्लाक आबंटित करने में समर्थ हुई है। तदनन्तर, सरकार ने मैसर्स स्ट्रेटजिक एनर्जी टैक्नोलोजिज सिस्टम्स लिमिटेड और मैसर्स जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को 27 फरवरी, 2009 को उनके प्रस्तावित कोयले से तरल (सीटीएल) परियोजनाओं के लिए 1500 मिलियन टन कोयले के भंडारों के दो-दो ब्लाक आबंटित किए हैं।

मैसर्स स्ट्रेटजिक एनर्जी टैक्नोलोजिज के प्रस्ताव में नाफ्था, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और अमोनिया, फेनोल आदि जैसे उपोत्पाद और 600 मैगावाट क्षमता के निजी विद्युत उत्पादन संयंत्र सहित 3.6 मिलियन टन प्रति वर्ष डीजल ईंधन का उत्पादन करने की संकल्पना है।

मैसर्स जेएसपीएल के प्रस्ताव में 4-4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष डीजल और तेल उत्पादों का उत्पादन करने, 1350 मैगावाट मध्यम श्रेणी के तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना करने और निर्यात के लिए, संसाधन से 160 मैगावाट की उत्पादन क्षमता स्थापित करने पर विचार किया गया है।

भारत सरकार ने दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की अपनी अधिसूचना के द्वारा निदेश दिया है कि 01 नवम्बर, 2006 से पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों और लक्षद्वीप को छोड़कर, समस्त देश में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशनों के अनुसार, वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) बेचें। यह कार्यक्रम, कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पहचाने गए 20 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तिरूवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को असुविधा

1774. श्री ए. सम्पत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए तिरूवनंतपुरम से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के समय का पुन: निर्धारण करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रैक का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो जाने के उपरांत इस खंड पर प्रत्येक आधे घंटे में कम से कम एक रेलगाड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय रेल पर गाड़ियों के समयक्रम का पुन: निर्धारण एक सतत् प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों को सीधे राजसहायता

1775. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों को उर्वरकों पर सीधे राजसहायता प्रदान कराने के लिए कोई अनुरोध/मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) किसानों को उर्वरकों पर सीधे राजसहायता देने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, चालू उर्वरक राजसहायता व्यवस्था की समीक्षा करने तथा किसानों को सीधे राजसहायता देने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए उद्योग सहित विभिन्न शेयरधारकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सरकार उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वर्तमान पोषकत्व आधारित मूल्य-

निर्धारण व्यवस्था की बजाय एक पोषक-तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था लागू करना चाहती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर प्रतिलाभ मिल सकता है। तथापि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

मिट्टी तेल पर राजसहायता

1776. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री पूर्णमासी राम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी तेल/रसोई गैस का मिलावट/वाणिज्यिक उपयोग हेतु विपथन कालाबाजारी की जा रही है और देश में किरोसीन/रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो मिट्टी तेल/घरेलू गैस के विपथन/कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित दर पर किरोसीन/रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मिट्टी तेल पर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कम मूल्य पर मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस वैकल्पिक तरीके को अंगीकार करने का प्रस्ताव किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा मिट्टी तेल/रसोई गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) अत्यधिक मूल्य अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा मिट्टी तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कालाबाजारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और मिट्टी तेल की समग्र रूप से कोई कमी नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मिट्टी तेल (प्रयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम मूल्य का निर्धारण) आदेश 1993 के प्रावधानों को जारी किया है जिनके द्वारा डीलरों को सरकार अथवा असेएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्य पर पीडीएस मिट्टी तेल बेचना होगा और पीडीएस मिट्टी तेल डीलरों को भण्डार के स्थान सहित व्यापार के ध्यानाकर्षी स्थान पर बोर्ड पर स्टाक एवं मूल्य लिखकर अवश्य दर्शाना चाहिए।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिट्टी तेल के विपथन तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नियंत्रण आदेशों के तहत, राज्य सरकारों को कालाबाजारी तथा अन्य अनियमितताओं में लिप्त सभी लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार की कार्रवाई, चूक करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध और साथ ही संगत नियंत्रण आदेशों के तहत की जाने की आवश्यकता है।

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन/काला बाजारी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज के वितरकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन/काला बाजारी वर्जित है।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज के अधिकारी वितरकों के गोदाम, सुपुर्दगी बिन्दुओं और मार्ग में भी औचक जांच करते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विपथन/कालाबाजारी न हो। एमडीजी के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर का विपथन/कालाबाजारी सिद्ध हो जाने के मामले में वितरक के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी नहीं। अभी मिट्टी तेल पर राजसहायता समाप्त करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उक्त (ग) के प्रत्युत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार द्वारा कम मूल्यों पर बीपीएल परिवारों के लिए मिट्टी तेल उपलब्ध कराने के लिए कोई वैकल्पिक विधि प्रस्तावित नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने दिसम्बर, 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त

आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से देश में मिट्टी तेल की मांग का एक विस्तृत अध्ययन कराया था। एनसीएईआर ने अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एनसीएईआर ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों के लिए ही सीमित की जाए। साथ ही, पेट्रोलियम उत्पादों की एक दीर्घावधि मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित डा. रंगराजन समिति ने भी पीडीएस एसकेओ राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों के लिए सीमित करने की सिफारिश की है। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ''सिद्धांत रूप में'' यह निर्णय लिया है कि पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों के लिए सीमित की जाए।

(च) ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक ओएमसीज की परिशोधन क्षमता 177.97 मि.मी.ट.प्र. वर्ष की मौजूदा क्षमता से बढ़कर 241 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (मि.मी.ट.प्र.व.) हो जाने का अनुमान है। इससे मिट्टी तेल/एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में तदनुरूपी वृद्धि होती है।

[हिन्दी]

कबाड़ की बिक्री

1777. श्री जगदीश शर्मा :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा बड़ी मात्रा में कबाड़ का सृजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा वर्ष भर में कितने कबाड़ का सृजन किया जाता है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कबाड़ की बिक्री से रेलवे को हुई आय का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्पन्न स्क्रैप की अनुमानित मात्रा और रेलों द्वारा अर्जित आय:

पटरियां एवं रेलपथ (मीटरिक टन)	अन्य लौह (मीटरिक टन)	अलौह (मीटरिक टन)	चल स्टॉक (संख्या में)			रेलों द्वारा अर्जित आय
			माल डिब्बे	सवारी डिब्बे	रेल इंजन	
2006-07						
556181	320656	16216	14073	1304	123	1832 करोड़ रु.
2007-08						
812673	333329	15467	19416	1492	150	2736.36 करोड़ रु.
2008-09						
740762	315598	15496	15453	1121	142	3004.72 करोड़ रु.

उर्वरक निवेश नीति

1778. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक निवेश नीति तैयार करने का है जिसके अंतर्गत उर्वरक क्षमता उत्पादन हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए कर छूट दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति से पेट्रो केन्द्रों की तरह क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने हेतु विभिन्न स्कीमों को बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो उक्त निवेश नीति के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त नीति से उर्वरकों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने में कितनी सहायता मिलेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया का कम किराये वाली विमान कंपनी बनना

1779. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कम किराये वाली विमान कंपनी बनने तथा घरेलू उड़ानों पर पूर्ण सेवा दर्जा का अभ्यर्पण करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या विमान कंपनियों को उपभोक्ता अनुकूल बनाने तथा सभी मदों को शामिल कर एक किराया अपनाने की चेतावनी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) अनुपालन न करने के मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एयर इंडिया घरेलू बाजार में पूर्ण सेवा वाहक कंपनी के रूप में अपना प्रचालन जारी रखेगी। बहरहाल, अन्य घरेलू कम किराये वाले वाहकों के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने तथा कम किराये के बाजार सैगमेंट का हिस्सा प्राप्त करने के लिए, एयर इंडिया कुछ घरेलू रूटों पर भी कम किराये वाली सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एयर इंडिया की सहायक कंपनी-एयर इंडिया एक्सप्रेस शॉर्ट हॉल अंतर्राष्ट्रीय मार्गों, जिनमें खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, पर कम किराये वाली सेवाएं प्रचालित कर रही हैं। बहरहाल, एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के संबंध में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार ने पाया था कि अनेक एयरलाइनें किरायों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दे रही है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए, वायुयान नियमावली में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार एयरलाइनों द्वारा एकरूपता के आधार पर अपने-अपने टैरिफ को दर्शाना होगा और साथ ही यात्रियों द्वारा देय कुल राशि, कुल राशि का ब्रेक डाउन, जिसमें किराया, कर, शुल्क या कोई अन्य प्रभार, यदि कोई हो को पृथक रूप से दर्शाना होगा।

गो एयरवेज को छोड़कर, शेष सभी घरेलू अनुसूचित एयरलाइनें अपनी-अपनी बेवसाइट पर देय कुल किराये को दर्शाने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन कर रहीं हैं। चूंकि गो एयर की बेवसाइट का रख-रखाव वाह्य एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, उन्होंने आवश्यक संशोधनों के बारे में समय मांगा है।

[हिन्दी]

रिंग रेल सेवा

1780. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का दिल्ली में रिंग रेल सेवा को अधिक सुव्यवस्थित तथा कार्यकुशल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली में रिंग रेल सेवा के विकास के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार दिल्ली में रिंग रेल सेवा से लाभान्वित होने वाले यात्रियों की संख्या क्या है; और

(च) रेलवे द्वारा उक्त सेवा के विकास के लिए तथा इसे अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) रेल सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। स्टेशनों के रख-रखाव के लिए वहन किए गए राजस्व व्यय के अलावा दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में रिंग रेल सेवाओं में 2 करोड़ रु. का पूंजी व्यय किया गया है।

नारायणा विहार, कीर्तिनगर और पटेलनगर की प्लेटफार्म सतह पर हार्डोनाइट फर्श की व्यवस्था करके मरम्मत कर दी गई है और शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज तथा प्रगति मैदान स्टेशनों पर प्रीकास्ट आर सी सी बैंच की व्यवस्था की गई है।

(ङ) और (च) रिंग रेलवे पर और यात्री सेवाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रिंग रेल सेवाओं से लाभान्वित होने वाले यात्रियों की संख्या नीचे दी गई है:–

वर्ष	यात्रियों की संख्या
2006-07	11,49,737
2007-08	12,88,181
2008-09	13,95,635
2009-10 (जून तक)	3,98,737

[अनुवाद]

एन.एम.डी.एफ.सी. का कार्यकरण

1781. श्री नवीन जिन्दल : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम देश के राज्यों विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में अल्पसंख्यको को ऋण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है कि उत्तर-पूर्व राज्यों में अल्पसंख्यकों को ऋण से कितनी मदद प्राप्त हुई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या एन.एम.डी.एफ.सी. योजना सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में चल रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ-साथ देशभर में प्रदान किए गए कुल ऋण के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल राशि	पूर्वोत्तर राज्य
2006-07	112.75	8.25
2007-08	144.12	12.82
2008-09	130.72	8.52

(ग) और (घ) एनएमडीएफसी द्वारा, दिनांक 1.04.2001 से 31.03.2006 तक की अवधि के दौरान वित्तपोषित योजनाओं का मूल्यांकन करा लिया गया था। अध्ययन के लिए देश के दस राज्यों से नमूने लिए गए जिसमें उत्तर-पूर्व में स्थित नागालैंड राज्य भी शामिल है। मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ है कि नागालैंड राज्य के लाभार्थियों में से 99.30% लाभार्थी दुगुनी गरीबी रेखा को पार कर गए हैं।

(ङ) और (च) एनएमडीएफसी द्वारा योजनाओं का वित्तपोषण मुख्यत: राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) द्वारा तथा शेष का गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। उत्तर-पूर्व में

एनएमडीएफसी योजनाओं का कार्यान्वयन असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। मणिपुर, मेघालय और सिक्किम राज्य में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को नामित नहीं किया गया है। एनएमडीएफसी द्वारा इन राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लघु-ऋण योजना के कार्यान्वयन के प्रयास किए जा रहे हैं।

नागर विमानन क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक

1782. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र के लिए कोई स्वतंत्र विनियामक नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विनियामक को कब तक नियुक्त किए जाने की सभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) विमानन सेक्टर के लिए स्वतंत्र विनियामक नियुक्त किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हवाई अड्डों के लिए आर्थिक विनियामक अर्थात विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) की स्थापना संबंधी अधिनियम संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और दिनांक 05.12.2008 को इसे अधिसूचित कर दिया गया है।

यूरिया उत्पादन हेतु परिव्यय

1783. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी सोसायटियों द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना तथा मौजूदा यूरिया परियोजनाओं के विस्तार के लिए कुल कितना परिव्यय किया गया था;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी सोसायटी-वार आज तक उपयोग/अप्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्ण राशि का उपयोग ना किए जाने, यदि कोई हो तो, का क्या कारण है;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी सोसायटियों की यूरिया परियोजनाओं की नई परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति में बढ़ते अंतर को देखते हुए सरकार कंपनियों को देश में नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 4 सितम्बर, 2008 को एक नई मूल्य निर्धारण नीति की घोषणा भी की गई है। देश में नई इकाई/संयत्र स्थापित करने के संबंध में निर्णय पूरी तरह से निवेशक के मूल्यांकन पर आधारित होगा जो बढ़ते मांग-उत्पादन अंतर तथा आकर्षक निवेश नीति को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं।

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), जो उर्वरक क्षेत्र का एक पीएसयू है, ने अपनी थाल इकाई के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी, जबकि कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको), जो एक सहकारी समिति है, ने विगत वर्ष 2008-09 के दौरान हजीरा संयंत्र के विस्तार के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी थी। कंपनियों द्वारा इन निधियों का आबंटन अपनी निजी निधियों से किया गया है। आरसीएफ ने विस्तार परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट का प्रारूप (डीएफआर) तैयार करने के लिए कराए जा रहे अध्ययन पर वर्ष 2008-09 के दौरान 5 लाख रुपए की राशि खर्च की है। उपर्युक्त राशि का इस्तेमाल डीएफआर तैयार करने पर खर्च किया जाएगा। कृभको ने वर्ष 2008-09 के दौरान हजीरा विस्तार परियोजना पर कोई खर्च नहीं किया है क्योंकि डीएफआर तैयार करने का कार्य योजना स्तर पर ही है।

(घ) और (ङ) सरकार ने आरसीएफ (थाल इकाई) और कृभको (हजीरा इकाई) की विस्तार परियोजनाओं के लिए ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन दे दिया है। कंपनियां डीएफआर और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही परियोजना के अंतिम अनुमोदन के लिए सरकार से संपर्क करेंगी।

रूसी तेल और गैस परियोजनाओं में नयी हिस्सेदारी

1784. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भविष्य में रूसी तेल और गैस परियोजनाओं में नई हिस्सेदारी प्राप्त करनी चाही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रूस की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) भारत ने रूस में तेल और गैस क्षेत्र में अन्वेषण और विकास परियोजनाओं में सहभागिता को और आगे बढ़ाने के लिए अभिरूचि प्रकट की है। रूसी सरकार ने भारत की अभिरूचि को भावी परियोजनाओं के लिए नोट कर लिया है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा पर भारत-रूस संयुक्त कार्यदल की व्यवस्था है जिसकी दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचार करने हेतु वार्षिक बैठक होती है।

मेगा फूड पार्क

1785. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मेगा फूड पार्कों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों पर नींव डाल दी गई है; और

(ख) प्रत्येक फूड पार्क की राज्य-वार मौजूदा स्थिति क्या है तथा इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) सैद्धांतिक रूप से, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर (असम), पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में 10 मेगा फूड पार्कों को स्थापित करने का अनुमोदन दिया गया था। मेगा फूड पार्कों की स्थापना करने हेतु निम्नलिखित स्थानों पर शिलान्यास किया गया:

क्रम सं.	स्थानों के नाम
1	2
1.	गेतलसुद, जिला रांची, झारखंड
2.	गांव पदार्थ, जिला हरिद्धार, उत्तराखंड
3.	गांव तिहू, जिला नालबाड़ी, असम
4.	शिरवाल, जिला सतारा, महाराष्ट्र
5.	गांव मोगिली, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश
6.	जांगीपुर, पश्चिम बंगाल

(ख) दिनांक 27.03.2009 को अंतर्मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आई.एम.ए.सी.) द्वारा उत्तराखंड के हरिद्धार जिले के पदार्थ गांव, झारखंड के रांची जिले के गेतलसुद, महाराष्ट्र के सतारा जिले के शिरवाल शिरवाल, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मोगिली गांव तथा असम के नालबाड़ी जिले के तिहू गांव में मेगा फूड पार्कों संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को स्वीकार कर लिया गया था तथा दिनांक 31.3.2009 को प्रत्येक मामले में 5.00 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त का पहला भाग जारी कर दिया गया था। चारदीवारी का निर्माण कार्य तथा/या भूमि विकास प्रगति पर है।

चिकमगलूर, कर्नाटक, जालंधर, पंजाब तथा धर्मपुरी, तमिलनाडु में मेगा फूड पार्कों के मामले में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई है तथा उनकी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के मामले में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

मेगा फूड पार्क स्कीम को पूरा करने की समय सीमा प्रथम किस्त के जारी करने की तिथि से 24 माह तक है।

अलीपुर द्वार जंक्शन से बामनहाट स्टेशन तक रेल लाइन बिछाना

1786. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीपुर द्वार जंक्शन से बामनहाट रेलवे स्टेशन तक के मार्ग पर कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की कुल लागत कितनी है और अब तक उस पर कितना व्यय हो चुका है;

(ग) कार्य के पूरा होने में विलम्ब के कारण यदि हों, क्या हैं; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) अलीपुरद्वार से बमनहाट तक शाखा पूरी हो चुकी है तथा 7.11.2007 को इसे यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) शाखा लाइनों के आमान परिवर्तन परियोजना सहित इस लाइन का आमान परिवर्तन न्यू जलपाइगुडी-सिलीगुडी-न्यू बोंगाईगांव का भाग है, जिसकी कुल लागत 970 करोड़ रु. है। इस परियोजना पर 31.3.2009 तक 948.28 करोड़ रु. (अनंतिम) खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों पर हाइटेक प्रौद्योगिकी का संस्थापन

1787. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों और सामान की संभलाई के लिए हाइटेक प्रौद्योगिकी संस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आधुनिक प्रौद्योगिकी पर कितनी राशि का निवेश किया जाएगा; और

(घ) इसे कब तक संस्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर 40 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (पीबीबी) संस्थापित कर रहा है। पहले चरण में, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज निम्नलिखित 15 हवाई अड्डों पर संस्थापित किए जा रहे हैं:- अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, गुवाहाटी, डिब्रूगढ, उदयपुर, कालीकट, अमृतसर, त्रिवेन्द्रम, मंगलौर, विजाग, त्रिची, श्रीनगर तथा जयपुर। दूसरे चरण में, एएआई निम्नलिखित हवाई अड्डों पर 16 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज मुहैया करा रहा है- चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, खुजराहो, मदुरै, वाराणसी, कोयम्बटूर, भोपाल, इन्दौर, रायपुर, चंडीगढ़, गोवा, भुवनेश्वर, रांची, पोर्ट ब्लेयर तथा लेह। सामान के लिए 8 हवाई अड्डों पर आधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम संस्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में श्रीनगर, कालीकट, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, उदयपुर, डिब्रूगढ तथा कोलकाता में दूसरे चरण में, नागपुर, विजाग, अमृतसर, औरंगाबाद, मंगलौर, लखनऊ, खुजराहो, मदुरै, वाराणसी, कोयम्बटूर, भोपाल, इन्दौर, रायपुर, चंड़ीगढ, गोवा, लेह, भुवनेश्वर, पोर्टब्लेयर तथा रांची स्थित 19 हवाई अड्डों पर बैगेज हैडलिंग सिस्टम मुहैया कराया जा रहा है। एएआई की विभिन्न हवाई अड्डों पर इन-लाइन एक्सरे बैगेज इस्पैक्शन सिस्टम संस्थापित करने की योजना भी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) का मार्च, 2010 में चालू होने वाने नए टर्मिनल-3 परिसर में इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) इन उच्च तकनीकी वाले उपस्करों की संस्थापना पर लगभग 450 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है।

(घ) तीन हवाईअड्डों अर्थात कालीकट, त्रिवेन्द्रम तथा अमृतसर हवाई अड्डों पर पहले ही पैसेन्जर बोर्डिंग ब्रिज (पीबीवी) संस्थापित किए जा चुके हैं। पहले चरण के 15 हवाई अड्डों में से शेष 12 हवाई अड्डों पर दिसम्बर, 2009 तक पीबीबी संस्थापित किए जाने अनुसूचित हैं। दूसरा चरण में पीबीबी की संस्थापना का कार्य दिसम्बर, 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा।

श्रीनगर, कालीकट, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, डिब्रूगढ़, तथा चेन्नई हवाई अड्डों पर लगेज हैंडलिंग सिस्टम संस्थापित किए जा चुके हैं। कोलकाता हवाई अड्डों पर इसकी संस्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसे अक्तूबर, 2009 तक चालू किए जाने की संभावना है। श्रीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई तथा कालीकट हवाई अड्डों अड्डों पर इन-लाइन एक्सबिस की संस्थापना का कार्य पूरा किया जा चुका है। कोलकाता हवाईअड्डे पर यह कार्य साइट के तैयार होने के बाद हाथ में लिया जाएगा। 17 अन्य हवाई अड्डों पर इसकी संस्थापना अगले एक वर्ष में पूरी कर लिए जाने की संभावना है।

विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

1788. डॉ. के.एस. राव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई औषधियों में अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता, आयात, नैदानिक जांच के लिए पशुओं के अनुरक्षण और उपयोग, नैदानिक जांच के लिए शीघ्र अनुमोदन और प्रयोग के संकलित आंकड़ों की संवीक्षा में सुधार लाने के लिए भारतीय औषधि विनिर्माता कंपनियों के लिए एक विनियामक प्राधिकरण गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय के पास, भारतीय औषध कंपनियों के लिए नए औषधों की खोज, आयात, नैदानिक परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर जानवरों के रखरखाव व उपयोग, नैदानिक परीक्षणों का तेजी से अनुमोदन एवं प्रयोगों से संग्रहीत आंकड़ों की जांच के लिए विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एल एच बी कोच के लिए जर्मन प्रौद्योगिकी

1789. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए जर्मन प्रौद्योगिकी आधारित एल एच बी कोच का विनिर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके विनिर्माण के लिए कोई कार्ययोजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधाओं के लिए एल एच बी कोच की सेवा आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए रेलवे द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला में वर्ष 2001-02 से एल एच बी (लिंक हॉफमैन बुश) सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है और मार्च, 2009 तक 597 एल एच बी सवारी डिब्बों का निर्माण किया गया है।

(ग) से (ङ) आरंभ में नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में एल एच बी सवारी डिब्बों को लगाया गया था और बाद में अन्य शताब्दी और राजधानी गाड़ियों में भी इनका इस्तेमाल किया गया। 2010-11 तक शेष सभी शताब्दी और राजधानी गाड़ियों में चरणबद्ध आधार पर एल एच बी डिब्बे लगाए जाएंगे।

[अनुवाद]

ग्राउंड हैडलिंग नीति

1790. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राउंड हैंडलिंग नीति के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) इस नीति को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं तथा प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं मुहैया कराने की आवश्यकता के साथ इनका संतुलन बनाए जाने की दृष्टि से सरकार ने हवाई अड्डों पर एक नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति क्रियान्वित करने का निर्णय लिया था। तथापि, एयरलाइन प्रचालकों द्वारा नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति के बारे में अपनी चिन्ताएं जताई गई। सरकार ने मामले की जांच की और यह निर्णय लिया है कि घरेलू एयरलाइनों सहित सभी अयोग्य (जो पात्र नहीं हैं) एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से एक व्यापक समीक्षा के बाद और अन्तर-मंत्रालयी परामर्श के बाद ही हटाया जाएगा।

[हिन्दी]

विमान की उड़ान से पहले जांच

1791. श्री जगदम्बिका पाल :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ान भरने से पहले यात्री विमानों की पूरी तरह जांच नहीं की जाती है और किसी तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद चालक को विमान उतारने के लिए बाध्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उड़ान से पहले विमान की समय पर और समुचित जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमान द्वारा उड़ान प्रचालित करने से पूर्व तथा पश्चात इसकी निरीक्षण संबंधी जांच की जाती है और उसमें कोई दोष या मरम्मत कार्य, यदि पाया जाए, तो उन्हें ठीक किया जाता है। उसके पश्चात, स्वीकृत अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार उपयुक्त लाइसेंसधारी विमान अनुरक्षण इंजीनियरों द्वारा इन विमानों का अनुरक्षण कार्य किया जाता है तथा इनको प्रामणीकृत किया जाता है। इसी प्रकार, विनिर्माताओं द्वारा यथा अपेक्षित तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित, यथा विमान में लगे विभिन्न कम्पोनेंट, प्रणालियों और एसेसरीज की समय पर निरीक्षण, ओवरहालिंग आशोधन तथा परीक्षण किए जाने की भी आवश्यकता होती है।

[अनुवाद]

भेल का विस्तार

1792. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा;

(घ) उस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) विद्युत उपस्करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) जी हां, 11वीं योजनावधि के दौरान और उसके बाद विद्युत उत्पादन उपकरण की मांग को पूरा करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) ने पावर प्लांट उपकरण की अपनी विनिर्माण क्षमता को 6000 मेगावाट से बढ़ाकर दिसम्बर, 07 तक 10000 मेगावाट कर लिया था। इस विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर दिसम्बर, 2009 तक 15000 मेगावाट प्रति वर्ष किया जा रहा है। दिसम्बर, 2011 तक यह क्षमता बढ़कर 2000 मेगावाट प्रति वर्ष हो जाएगी।

(घ) बीएचईएल के उक्त क्षमता विस्तार की अनुमानित लागत लगभग 5803 करोड़ रु. है।

(ङ) विद्युत उत्पादन उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

- बीएचईएल द्वारा ऐसे उपक्रमों, जिनके पास पावर प्लांट उपकरण और बैलेंस आफ प्लांट के विनिर्माण के लिए जरूरी क्षमता है, के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना और करार पर हस्ताक्षर;
- क्षमता निर्माण और वृद्धि के लिए मौजूदा कंपनियों को प्रोत्साहन देना;
- थर्मल प्लांट के लिए यूनिट रेटिंग, लेआऊट और विशिष्टियों का मानकीकरण जिससे अधिक उपकरणों का उत्पादन संभव हो पाएगा;
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कर बढ़ती विनिर्माण क्षमता की आवश्यकता के प्रति उद्योग को जागरूक करना और मुख्य प्लांट उपकरण और बैलेंस आफ प्लांट जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, जलशोधन संयंत्र आदि के लिए वेंडर बेस को विस्तृत करना।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय के निष्क्रिय खंडपीठ

1793. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च न्यायालय में कुछ खंडपीठ निष्क्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में उच्च न्यायालयों की कुछ और खंडपीठ स्थापित किए जाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) विभिन्न स्थानों में स्थित उच्च न्यायालयों की खंडपीठों की स्थापना के लिए समय-समय पर विभिन्न तबकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, उच्च न्यायालयों की प्रधान पीठों से दूर उनकी पीठों का गठन करने पर, राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर, जिसमें संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति ली गई हो, विचार किया जाता है। केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बाड़मेर संचोर बेसिन में अन्वेषण कार्य में देरी

1794. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्थानों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है जहां पेट्रोल के भंडार मिले हैं लेकिन उनके अन्वेषण में विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या बाड़मेर संचोर बेसिन में बहुत पहले पेट्रोल के भंडार का पता चल जाने के बाद भी वहां अभी तक अन्वेषण का काम शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या पेट्रोल भंडार में अन्वेषण के काम में विलम्ब होने से सरकार को भारी घाटा हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनका समय पर अन्वेषण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जिन स्थानों पर वाणिज्यिक हाइडोकार्बन/पेटोलियम भंडार मिले हैं वहां दोहन अथवा उत्पादन में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) बाड़मेर सांचोर बेसिन का ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 खोज के विकास चरण पर है और वाणिज्यिक उत्पादन इस वर्ष होने की संभावना है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

1795. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना की गई है जिसका शिलान्यास 10 नवम्बर, 2008 को आई.एम.टी., मानेसर, हरियाणा में किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना एक संपूर्ण विचारक-मंडल, क्षमता निर्माण, सेवा प्रदाता संस्थान के रूप में सह-क्रियात्मक ज्ञान प्रबंधन, वैश्विक भागीदारी एवं वास्तविक समय समाधान के माध्यम से कारपोरेट वृद्धि, सुधार तथा नियमन की सहायता के लिए की गई है। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत दिनांक 12.09.2008 को पंजीकृत किया गया है।

(ग) आईआईसीए ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन के अपने कार्यालय से कार्य करना शुरू कर दिया है।

पीसीपीआईआर गठन

1796. डॉ. के.एस. राव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोल, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुणवत्ता वाले उत्पादों का विनिर्माण, निर्यात में वृद्धि तथा विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक समूह विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ग) भारत सरकार की 2007 की पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के बाजारों के लिए देश को महत्वपूर्ण केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अनुसार पीसीपीआईआर, उच्च स्तरीय साझी अवसंरचना और सहायक सेवाओं के उपयोग के माध्यम से को-साइटिंग, नेटवर्किंग तथा अपेक्षाकृत बेहतर दक्षता का लाभ उठा पाएंगे जिससे अधिक व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे और विनिर्माण को बढ़ावा, निर्यात संवर्द्धन तथा रोजगार का सृजन हो सकेगा।

नीति के अनुसार, राज्य सरकार उपयुक्त स्थल की पहचान करेगी, प्रस्ताव तैयार करेगी और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करेगी। भारत सरकार, विधिवत विचार करने के उपरांत, व्यवहार्य प्रस्ताव पर तेजी से अनुमोदन देगी और पीसीपीआईआर को रेल, सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग), पत्तन, विमानपत्तन एवं दूरसंचार सहित वाह्य भौतिक अवसंरचना भी, जहां तक संभव हो, पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(ख) और (घ) भारत सरकार द्वारा पीसीपीआईआर की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया और 23 फरवरी, 2009 को अनुमोदित किया गया।

तीन राज्यों के लिए अनुमोदित पीसीपीआईआर का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	जिला	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	अवसंरचना की लागत* (रु. करोड़)	संभावित निवेश (रु. करोड़)	संभावित रोजगार (लाख में)
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम एवं पूर्व गोदावरी जिले	603	13964	343,000	11.98
गुजरात	वाग्रा एवं भरूच ब्लाकों को कवर करते हुए भरूच जिला	453	7749	50,000	8
पश्चिम बंगाल	नयाचार द्वीप सहित पूर्व मिदनापुर जिले में हल्दिया	250.19	18031	93,180	10

(*अवसंरचना में सड़क, रेल, हवाई सम्पर्क, पत्तन, विद्युत, दूरसंचार, जल शोधन, नि:स्सारी शोधन, ग्रीन बफर्स आदि शामिल हैं)

कर्नाटक, उड़ीसा एवं तमिलनाडु राज्यों से तीन और प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उनकी जांच की गई थी। तथापि, इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

स्टील पीएसयूज का विनिवेश

1797. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का विनिवेश करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित विनिवेश के लिए कंपनियों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के सक्षम इस मुद्दे को उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) से (च) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड में सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश के लिए इस्पात मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

एथनॉल पर बिक्री कर तथा मूल्य संवर्धित कर

1798. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश के किन-किन राज्यों में एथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या अलग-अलग राज्य एथनॉल पर अलग-अलग बिक्री कर तथा मूल्य संवर्धित कर लगा रहे हैं, जिससे देश में हरित-ईंधन का उत्पादन बाधित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभेदक कर दरों के कारण देश में उत्पादित एथनॉल का मूल्य आयातित एथनॉल से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास एथनॉल पर एक समान कर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) देश में अल्कोहल/एथेनोल के प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल हैं।

(ख) सूची-II (भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के अनुसार, किसी भी राज्य में माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाना राज्य का विषय है। एथेनोल की बिक्री पर कर का स्वरूप और दर निश्चित करने की शक्ति राज्यों के पास है। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्य कर/वैट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ राज्यों द्वारा करों/शुल्कों के लगाने से इन राज्यों में ईबीपी कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में एथेनोल का मूल्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें से कर की दरें एक है।

(घ) और (ङ) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपने स्तर पर जैव ईंधन के रूप में एथेनोल का संवर्धन करने के लिए और ''घोषित माल'' (या) ''विशेष महत्व का माल'' की सूची में एथेनोल को सम्मिलित करने के लिए जो राज्यों द्वारा 4% से अनधिक बिक्री कर/वैट लगाने का उद्देश्य पूरा करेगी, के संबंध में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था। राज्यों में बिक्री कर प्रणालियों जिनमें पूर्ववर्ती बिक्री कर प्रणालियों के स्थान पर मूल्य वर्धित कराधान आधारित प्रणाली लागू करना सम्मिलित है, से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक शक्ति प्रदत्त समिति गठित की गई थी। चूंकि घोषित माल की सूची में एथेनोल सम्मिलित करने से राज्यों के लिए राजस्व प्रभाव होते, इसलिए यह प्रस्ताव विचारार्थ राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्रदत्त समिति को अग्रेषित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि यदि राज्य उसका विरोध करेंगे तो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में कोई भी संशोधन करना व्यवहार्य नहीं होगा।

विवरण

एथेनोल पर विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर/वैट का ब्यौरा

वैट	– बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में 4%
	– गुजरात में 5%
	– तमिलनाडु में 8.5%
	– आंध्र प्रदेश में 12.5%।
अंतर्राज्यीय संचलन के लिए केन्द्रीय बिक्री कर 2 प्रतिशत की दर पर	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गोवा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।

यवतमाल से अचलपुर के बीच रेल लाइन

1799. श्री आनंदराव अडसुल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यवतमाल से मुर्तिजापुर-अचलपुर तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं; और

(घ) इस रेल लाइन पर निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) सचलपुर-मुर्तिजापुर-यावतमल तथा पुलगांव-अरवी के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 221 किमी. लम्बी लाइन के आमान परिवर्तन की लागत प्रतिफल की 5% ऋणात्मक दर सहित 462 करोड़ रु. आंकी गई है। अलाभप्रद प्राइवेट लाइन होने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपक्रमों का निजीकरण/विनिवेश

1800. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक मंत्रालय के अंतर्गत विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के उन उपक्रमों के नाम क्या है जिनका निजीकरण/विनिवेश कर दिया गया है;

(ख) इस सरकार द्वारा प्राप्त राशि का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उपक्रमों के निजीकरण/विनिवेश के दौरान किसी प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) मैसर्स पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल), जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक उपक्रम है, को सक्षम प्राधिकारी स्तर पर लिए गए निर्णय द्वारा वर्ष 2002 में विनिवेश किया गया था। मंत्रालय के अंतर्गत अन्य किसी उपक्रम का आज की तारीख तक निजीकरण/विनिवेश नहीं किया गया है। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल) की 74% इक्विटी की बिक्री करने पर सरकार को 151.70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न 12.00 बजे

लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

....(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएगें।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मै, श्री एम. वीरप्पा मोइली की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 114(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल.टी. 267/15/09]

(2) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिवेदन संख्या 210—ह्यूमनाइजेशन एण्ड डिक्रिमिनलाइजेशन आफ अटेम्प्ट टू स्यूसाइड-अक्तूबर, 2008।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल.टी. 268/15/09]

(दो) प्रतिवेदन संख्या 211-लॉज ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एण्ड डिवोर्स-ए प्रपोजल फॉर कंसोलिडेशन एण्ड रिफॉर्म-अक्तूबर, 2008।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 269/15/09]

(तीन) प्रतिवेदन संख्या 212-लॉज आफ सिविल मैरिजेज इन इंडिया-ए प्रोपोजल टू रिजॉल्व सर्टेन कन्फ्लिक्ट्स-अक्तूबर, 2008।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2701/15/09]

(चार) प्रतिवेदन संख्या 213-फास्ट ट्रैक मजिस्टिरियल कोर्ट्स फॉर डिस्ऑनर्ड चैक केसेस-नवम्बर, 2008।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 271/15/09]

(पांच) प्रतिवेदन संख्या 214-प्रपोजल फॉर रिकंसिडरेशन आफ जजेज केसेस I, II एण्ड III-एस.पी.गुप्ता वर्सेज यूओआई रिपोर्टेड इन एआईआर 1982 एससी 149, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन वर्सेज यूओआई रिपोर्टेड इन 199(4) एससीसी 441 एण्ड स्पेशल रेफरेंस 1 आफ 1998 रिपोर्टेड इन 1998 (7) एससीसी 739-नवम्बर, 2008।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 272/15/09]

(छह) प्रतिवेदन संख्या 215-एल. चन्द्र कुमार बि रिविजिटेड बाइ लार्जर बेंच आफ सुप्रीम कोर्ट-दिसम्बर, 2008।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 273/15/09]

(सात) प्रतिवेदन संख्या 216-नॉन-फिजिबलिटी आफ इंट्रोडक्शन आफ हिन्दी ऐज कम्पल्सरी लैंग्वेज इन द सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया-दिसम्बर, 2008।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 274/15/09]

(आठ) प्रतिवेदन संख्या 217-इरिंट्रिवेबल ब्रेकडाउन आफ मैरिज-अंडर ग्राउंड फॉर डिवोर्स-मार्च, 2009।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 275/15/09]

(नौ) प्रतिवेदन संख्या 218-नीड टू एक्सीड टू द हेग कन्वेंशन आन द सिविल आस्पेक्ट्स आफ इंटरनेशनल चाइल्ड एबडक्शन (1980)-मार्च, 2009।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 276/15/09]

(दस) प्रतिवेदन संख्या 219-नीड फॉर फैमिली लॉ लेजिस्लेशन्स फार नॉन-रेजिडेन्ट इंडियन्स-मार्च, 2009।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 277/15/09]

(ग्यारह) प्रतिवेदन संख्या 220-नीड टू फिक्स मैक्सिमम चार्जेबल कोर्ट-फीस इन सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स-मार्च, 2009।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 278/15/09]

(बारह) प्रतिवेदन संख्या 221-नीड फार स्पीडी जस्टिस-सम सजेशन्स-अप्रैल, 2009।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 279/15/09]

(तेरह) प्रतिवेदन संख्या 222-नीड फार जस्टिस-डिस्पेंशन थ्रू एडीआर एटसेट्रा-अप्रैल, 2009।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 280/15/09]

(चौदह) प्रतिवेदन संख्या 223-नीड फार एमेलियोरेटिंग द लॉट आफ द हैव-नॉट्स-सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट्स-अप्रैल, 2009।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 281/15/09]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 282/15/09]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 283/15/09]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 284/15/09]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में 52वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 285/15/09]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2009 जो 20 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 183 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2009 जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (भारतीय निक्षेप प्राप्तियों का निर्गमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 15 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 17 अप्रैल,, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 257(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 24 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 286/15/09]

(5) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 891 (अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2009 को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की उसमें उल्लिखित धाराओं के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

(दो) का.आ. 1323 (अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई, 2009 को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 धारा 55 से 58, दूसरी, अनुसूची,

तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 287/15/09]

(6) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधाराओं (1) और (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन नियम, 2009 जो 4 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 288/15/09]

(7) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 78 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ) जो 4 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 289/15/09]

(8) सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2009 के नियम 1 के उप-नियम (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1324(अ), जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मई, 2009 का सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 32 और 33 तथा नियम 38 से 40 के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 290/15/09]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 291/15/09]

(10) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 23 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 439(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 292/15/09]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 293/15/09]

(2) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 294/15/09]

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 295/15/09]

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 296/15/09]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 297/15/09]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 298/15/09]

(2) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 299/15/09]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 300/15/09]

(दो) बिक्को लॉरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 301/15/09]

(तीन) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 302/15/09]

(चार) तेल और गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 303/15/09]

(पांच) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 304/15/09]

(छह) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 305/15/09]

(सात) इंडिया ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 306/15/09]

(आठ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 307/15/09]

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2832(अ) जो 2 दिसंबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 8 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1110(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 308/15/09]

(3) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 586(अ) जो 2 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड के कंपनी सचिव की नियुक्ति कंपनी के संपदा अधिकारी के रूप में की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 309/15/09]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : महोदया, मै सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 310/15/09]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) राजस्थान इनेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 311/15/09]

(दो) नेपा लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 312/15/09]

(तीन) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 313/15/09]

(चार) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 314/15/09]

(पांच) इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 315/15/09]

(छह) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 316/15/09]

(सात) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 317/15/09]

(आठ) टायर कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 318/15/09]

(नौ) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 319/15/09]

(दस) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 320/15/09]

(ग्यारह) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 321/15/09]

(बारह) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 322/15/09]

(तेरह) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 323/15/09]

(चौदह) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 324/15/09]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय श्री गोरखनाथ पांडेय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01½ बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

''राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2009 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 जुलाई, 2009 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।''

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं।

...(व्यवधान)

(एक) वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : इन्टरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आर.पी.सी.सी.) की अद्यतन रिपोर्ट में जिन क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शन्स पर संक्षेप में विचार किया गया उसमें पता चलता है कि इक्कीसवीं शताब्दी में वैश्विक सतही तापमान में संभवत: 1.1 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड (2.0 से 11.5 डिग्री फारेंहाइट) की वृद्धि होगी। अधिकांश अध्ययन 2100 ई. की अवधि तक केन्द्रित है। तथापि, समुद्रों की व्यापक ताप क्षमता और वायुमंडल में कार्बनडाइआक्साइड

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

के लम्बे समय तक बने रहने के कारण विसर्जन रूक जाने के बाद भी 2100 ई. के आगे भी तापन की क्रिया जारी रहने की उम्मीद है।

वैश्विक ताप बढ़ने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तथा इससे अवक्षेषण की मात्रा और तरीके में बदलाव आएगा जिसमें संभवत: उपोषणकरी बंधीय मरूभूमि का विस्तार भी सम्मिलित है। विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र के प्रभावित होने के कारण ग्लेशियर्स, स्थायी तुषार भूमि और समुद्री बर्फ के और कम रहने की उम्मीद है। अन्य संभावित प्रभावों में अमेजन के वर्षा वन और बोरियल फारेस्ट का सिकुड़ना, मौसम की घटनाओं में सर्वाधिक तीव्रता, प्रजातियों का विलुप्त होना और कृषि उत्पादन में परिवर्तन सम्मिलित है।

औद्योगिक क्रांति के कारण मानव गतिविधियों के चलते वायुमंडल में ग्रीन हाऊस गैस की मात्रा बढ़ गई है जिससे कार्बन डाइआक्साइड, मिथेन, ट्रोपोस्फेयर, ओजोन और नाइट्स ऑक्साइड से रेडियेशन की मात्रा बढ़ गई है।

जीवाश्म ईंधन के उपयोग तथा भूमि उपयोग में बदलाव के कारण कार्बन-डाइऑक्साइड संकेन्द्रण में वृद्धि होना जारी है। विसर्जन परिदृश्य पर आई.पी.सी.सी. की विशेष रिपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भावी परिदृश्य के व्यापक दायरे को दर्शाया गया है। जो वर्ष 2100 के अंत तक 541 से 970 पी.पी.एम. हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन भंडार इस स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं और 2100 ई. के बाद भी विर्सजन जारी रह सकता है यदि कोयला, अलकतरा, बालू या मिथेन का बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता है।

केन्द्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए।

(दो) देश में पैदा किए जा रहे आनुवांशिक रूप से परिवर्धित खाद्यान्नों और सब्जियों के दुष्प्रभावों पर नियंत्रण लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व) : आनुवंशिक रूप से परिवर्धित खाद्य पदार्थों जो कि असंवर्धित जीव जैसे जीवाणु एवं जानवरों के जींस यानी आनुवंशिक गुणों के जीवाणु को हमारे दिन प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के पौधों जैसे बैंगन, टमाटर, भिण्डी, पत्तागोभी, आलू, लौकी इत्यादि, जो कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 56 प्रकार के पौधे हैं, की कोशिकाओं में कृत्रिम रूप से प्रत्यारोपित कर दिया जाता है जिससे उनकी पैदावार में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोत्तरी हो जाती है जो आर्थिक रूप से लाभप्रद हो जाता है। इनके सेवन से हमारे महत्वपूर्ण अंगों जैसे गुर्दे, लीवर और दिमाग की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इतना ही नहीं, इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है, जो प्रमाणित हो चुका है। हमारे किसान भाई बी.टी. कपास अधिक लाभ के लिए उगा रहे है जिसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अत: हमें इस प्रकार के खाद्य पदार्थों से अविलम्ब सावधान रहने की आवश्यकता है।

(तीन) केरल राज्य से बाहर विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे छात्रों को आसान ब्याज दरों पर शैक्षणिक ऋण दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : राष्ट्रीय बैंकर्स समिति ने छात्रों को शिक्षा ऋण शुल्क-ढांचे के अनुसार जारी करने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। लेकिन केरल के लिए यह बहुत ही अव्यावहारिक लगता है क्योंकि इसके अधिकांश छात्र राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सीटें अपर्याप्त होने के कारण राज्य से बाहर पढ़ रहे हैं। अधिकांश राज्यों में शुल्क-ढांचा अलग-अलग है। ऐसी स्थिति में केरल के छात्र, जो बाहर पढ़ रहे हैं, केरल की सीमा में मौजूद कार्यरत बैंको से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए, सरकार राष्ट्रीय स्तर की बैंकर्स समिति को उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवश्यक आदेश अवश्य जारी करे।

केन्द्र सरकार ने बैंको को उन जरूरतमंद छात्रों को जिन्होंने अपनी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए ऋण के लिए आवेदन किया था, को अधिकतम ऋण सहायता देने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। लेकिन केरल में कार्यरत राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित (शिड्यूल) बैकों ने छात्रों के आवेदनों की अनदेखी की है। अत्यधिक साक्षरता वाले राज्य के रूप में वहां अधिकांश छात्र चिकित्सा, इंजिनियरिंग और नर्सिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चुनाव करते हैं। जैसा कि सभी जानते है इन पाठयक्रमों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में शुल्क अधिक हैं। जिन छात्रों ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में नामांकन कराएं हैं वे विभिन्न बैकों में ऋण के लिए आवेदन कर रहे है। लेकिन ये सभी

बैंक ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने से असहमति जता रहे हैं इससे छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच काफी, समस्या पैदा होगी। इसलिए, सरकार को शिक्षा ऋण का अधिकतम वितरण सुनिश्चित करना चाहिए और छात्रों को समुचित ऋण वितरण में चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उपयुक्त और शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा ऋण की बढ़ी ब्याजदर है। इस समय, शिक्षा ऋण की ब्याज दर 13 प्रतिशत से अधिक है। इतनी अधिक ब्याज दर छात्र वहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें से अधिकांश गरीब परिवारों से आते हैं। इसलिए शिक्षा ऋण के ब्याज दर की समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्रालय को अवश्य ही कदम उठाने चाहिए और इसे घटाकर अधिकतम 5% करना चाहिए।

(चार) केरल में इदुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाईपासों का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थॉमस (इदुक्की) : राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 और 220 केरल राज्य में मेरे चुनाव क्षेत्र इदुक्की गुजरते हैं। पिछले कई वर्षों से राजमार्ग सं. 49 पर किसी भी कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। त्रिप्पुनितुरा, मुवत्तपुजा और कोठामंगलम-तीन प्रमुख प्रस्तावित बाईपास हैं। इनके सरेखण का अनुमोदन भी लम्वित है। भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू नहीं हुआ है। राजमार्ग सं. 220 पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इदुक्की जिले के वेंदिपेरियार में राजमार्ग सं. 220 पर बना पुराना पुल जीण शीर्ण अवस्था में है। एक बाईपास और एक नया पुल आज की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से दोनों राजमार्गों के कार्य में प्रगति लाने के लिए अनुरोध करता हूं।

(पांच) किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : देश की 65 प्रतिशत आबादी से सीधे जुड़ा हुआ कृषि क्षेत्र आज भी देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इसके बाद भी किसान कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है क्योंकि कृषि उत्पादों का उचित मूल्य किसानों को प्राप्त ही नहीं होता। संपूर्ण लागत पर 20 प्रतिशत लाभांश जोड़कर जो कीमत आती है वही लाभकारी मूल्य है और उत्पादों की लागत मूल्य की वास्तविक गणना ही अभी तक नही हो सकी है। देश में अभी जिस तरह से कृषि उत्पादों का मूल्य निकाला गया है वह अपर्याप्त और वास्तविक नहीं है। गत वर्ष सरकार ने विदेशों से 1650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जो किसानों को दिये जाने वाले समर्थन मूल्य से लगभग दोगुना है। देश की जनता को उचित मूल्य पर अनाज मिले यह जरूरी है लेकिन किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिले यह भी आवश्यक है। अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में किसानों को सीधे सब्सिडी देकर लागत मूल्य न्यूनतम कर दिया गया है जिससे वहां जनता को भी उचित मूल्य पर अनाज प्राप्त होता है।

मेरी सरकार से मांग है कि या तो सरकार वास्तविक लागत का निर्धारण कर उस पर लाभांश जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित करे अथवा रासायनिक खाद कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों को उनके बैंक खाते खोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से उनमें जमा की जाये ताकि कृषि लाभकारी हो और देश का अन्नदाता कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या न करे।

(छह) झारखंड के बोकारो में कोणार बांध पर एक जलविद्युत परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखंड में जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव 1990 से लम्बित है। बोकारो जिला के गोमियां प्रखंड में जल विद्युत परियोजना के लिए स्थल का चुनाव कोणार डैम किया गया है, परन्तु सरकार एवं दामोदर घाटी निगम के द्वारा इस संबंध में प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने के कारण झारखंड में विद्युत उत्पादन क्षमता बाधित है। झारखण्ड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जिसके कारण विद्युतीकरण के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

अत: सरकार से आग्रह है कि कोणार डैम पर जल विद्युत परियोजना को शीघ्र स्थापित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा का विद्युतीकरण योजना की गुणवत्ता में अनियमितताएं बरतने वाले अभिकरणों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाये।

(सात) बिहार के नवादा जिले में सूखे की स्थिति

डा. भोला सिंह (नवादा) : बिहार में नवादा जिला भयानक सूखे का गवाह बना हुआ है। यहां की धरती प्यासी है, नदियां सूखी हैं। गोविन्दपुर, कौठना कोल, पकरी बरॉवा प्रखंडों में धरती के नीचे पानी का स्तर नहीं है। केन्द्र सरकार ने इसे 20 वर्ष पहले सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था और राहत के लिए आर्थिक अनुदान भी प्रतिवर्ष

[डा. भोला सिंह]

स्वीकृत किया था, जिसे 1995-96 से बंद कर दिया गया था। अपर सकरी नहर परियोजना ठांठर, धनंजय नदी परियोजनाएं अधर में लटकी पड़ी हैं। सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप बंद पड़े हैं, कार्यान्वयन की योजनाएं मृत पड़ी हैं। जनता प्यासी, भुखमरी की दहलीज पर चीत्कार कर रही है। राज्य सरकार भी इसका सामना करने में साधनहीन महसूस करती है।

मैं नवादा की इस संत्रास सूखे से प्रताड़ित जनता की ओर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वह इस ओर ध्यान देकर इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित बी.आर.डी. मेडिकल कालेज को 'एम्स' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केन्द्र होने के साथ-साथ पूर्वी उ.प्र., पश्चिमोत्तर बिहार तथा नेपाल के तराई के एक बहुत बड़े भाग के शिक्षा तथा चिकित्सा का भी प्रमुख केन्द्र है। लगभग 5 करोड़ आबादी के बीच में चिकित्सा का एकमात्र साधन बी.आर.डी. मेडिकल कालेज है। प्रतिवर्ष जापानी इन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वर, डेंगू आदि विषाणुजनित बीमारियों के साथ साथ तमाम अन्य संक्रामक बीमारियों से हजारों मौतें चिकित्सा के अभाव में इस क्षेत्र में होती हैं। अपने सीमित संसाधनों से बी.आर.डी मेडिकल कालेज गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाता है, जिनके कारण प्रतिवर्ष हजारों मौतें स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में इस क्षेत्र में होती हैं।

इसलिए 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की स्वास्थ्य सुविधा के लिए आवश्यक है कि बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाये, जिससे सही, सस्ती और विश्वसनीय चिकित्सा सुविधा इस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके। कृपया उ.प्र. के लिए प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नई इकाई को गोरखपुर में स्थापित किया जाये।

(नौ) बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : देश की जीवनदायी पावन गंगा नदी मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर से होकर गुजरती है। इस गंगा नदी के पानी से ही भागलपुर की जनता की प्यास बुझती है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों से इस गंगा नदी में आर्सेनिक (संखिया, एक विषाक्त रसायन) बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है। मगध विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं जल संसाधन प्रबंधन विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण की अगर बात करें तो मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। भागलपुर में कुल मिलाकर लगभग 170 ग्राम की 3 लाख जनता की आबादी इस आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर है। इस पानी के कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों से जनता पीड़ित है। भागलपुर में पीने के पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत यह गंगा नदी है और जिन जिन प्रखंडों से यह नदी निकलती है उन सभी जगह आर्सेनिक की यात्रा काफी अधिक पाई गयी है। इस पावन गंगा नदी में आर्सेनिक पाई जाने की बात पहले भी कई बार समाचारपत्रों और अन्य स्रोतों के माध्यम से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के संज्ञान में लायी गयी है, लेकिन इस संबंध में केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किये हैं। मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से यह आग्रह है कि इस लोक महत्व के गंभीर विषय पर केन्द्र सरकार जल्द से जल्द कारगर कदम उठाये ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके और गंगा को भी संरक्षण मिल सके।

(दस) तमिलनाडु में फाइनेंशियल सर्विसेज 'कलस्टर' की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम) : तमिलनाडु में, बैंकिग, बीमा और स्टाकदलाली (ब्रॉकरिंग) कार्यों को एक जगह पर ही करने हेतु वित्तीय सेवाओं का एक बड़ा परिसर स्थापित करने के लिए प्रयास जारी हैं। तमिलनाडु सरकार की देख-रेख में चलने वाले इस प्रस्ताव में वे वित्तीय संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी जो केन्द्र सरकार के अधीन होती हैं। इस आर्थिक सुधार के समय में केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श से इस नए उद्यम में दिलचस्पी दिखाते हुए आयकर, उत्पाद और सीमा शुल्क विभागों से संबंधित कार्यालयों को यथा कल्पित योजना के अनुसार चलाने पर विचार कर सकती है। केन्द्रीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करते हुए मैं केन्द्र सरकार से कृषि ऋण पर मौजूदा 7 प्रतिशत की ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत करने हेतु विचार करने के लिए आग्रह करता हूं। केन्द्र द्वारा उन किसानों के लिए, जो समय पर ऋण वापस कर देते हैं। एक प्रतिशत की राहत की घोषणा की गई है जब कि तमिलनाडु सरकार समय पर

ऋण वापस करने वालों का ब्याज माफ कर देती है जब कि ब्याज दर 4 प्रतिशत होता है। इस दौरान यदि केन्द्र सरकार कृषि ऋण ब्याज दर को घटाने पर विचार करती है, जिसकी घोषणा वह पहले कर चुकी है, तो वह तमिलनाडु सरकार को भी वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आए ताकि किसानों की सहायता करने तथा कृषि के विकास में तेजी लाने के लिए सुविचारित कदम उठाए जा सकें।

(ग्यारह) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों के कोटे को बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गजानन ध. बाबर (मावल) : केन्द्रीय विद्यालय में छात्रों के प्रवेश से संबंधित विषय को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। महोदया, जब केन्द्रीय विद्यालय संगठन बना था तक प्रत्येक सांसद को हर साल अपने निर्वाचन क्षेत्र में विशेष छूट के अंतर्गत 2 छात्रों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने का प्रावधान किया गया था जो कि अभी तक लागू है। महोदया, अब इस नियम को बदलने की जरूरत है। वर्तमान में छात्रों की संख्या के साथ-साथ केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार संख्या बढ़ती जा रही है।

महोदया, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश हेतु छूट दी गई है, उसे तहसीलवार किया जाये और इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये एवं प्रत्येक सांसद को विशेष छूट के अंतर्गत तहसीलवार दो छात्रों का प्रवेश दिलाने हेतु नियम बनाएं। बहुत से माननीय सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है जिसके कारण माननीय सांसद उस विशेष छूट का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि इस नियम में बदलाव करके ऐसे माननीय सांसदों का जिसके निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, को विशेष छूट के अंतर्गत देश में या अपने राज्य में कहीं भी प्रवेश दिलाने की छूट प्राप्त हो।

अपराह्न 2.0½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं कार्यमंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.0¾ बजे

(इस समय श्री अशोक रावत और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 17 जुलाई, 2009 के पूर्वाहन 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 जुलाई, 2009/ 26 आषाढ़, 1931 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	181
2.	श्री हरिन पाठक	182
3.	श्री विलास मुत्तेमवार श्री अशोक कुमार रावत	183
4.	श्री प्रबोध पांडा	184
5.	श्री अधीर चौधरी	185
6.	डा. एम. जगन्नाथ	186
7.	श्री भर्तृहरि महताब	187
8.	श्री चंद्रकांत खैरे	188
9.	श्री एम.बी. राजेश श्री पी. करुणाकरन	189
10.	श्री राधा मोहन सिंह	190
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्री जगदीश शर्मा	191
12.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री प्रदीप माझी	192
13.	श्री जोस के. मणि	193
14.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	194
15.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी श्री लालचन्द कटारिया	195
16.	श्री कैलाश जोशी	196
17.	श्री जे.एम. आरुन रशीद डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	197
18.	श्रीमती सुप्रिया सुले	198
19.	श्री तथागत सत्पथी	199
20.	श्री टी.आर. बालू	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1685, 1707
2.	आदित्यनाथ, योगी	1690
3.	अडसुल, श्री आनंदराव	1651, 1732, 1784, 1799
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	1699
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1638, 1731, 1789

1	2	3
6.	अजमल, श्री बदरुद्दीन	1665, 1755
7.	अजनाला, डा. रतन सिंह	1669
8.	एंटोनी, श्री एंटो	1683
9.	अनुरागी, श्री धनश्याम	1672
10.	बालू, श्री टी.आर.	1744
11.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	1654
12.	चौहान, श्री संजय सिंह	1652
13.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	1662, 1748
14.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1736
15.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1694
16.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1704
17.	धोत्रे, श्री संजय	1671, 1703
18.	दुबे, श्री निशिकांत	1681, 1749
19.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	1687
20.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	1673
21.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1664, 1743
22.	गांधी, श्रीमती मेनका	1666
23.	गोहैन, श्रीराजेन	1636, 1665
24.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1668
25.	हक, शेख सैदुल	1700, 1758
26.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	1719
27.	जाधव, श्री बलीराम	1687

1	2	3
28.	जयाप्रदा, श्रीमती	1712
29.	जिन्दल, श्री नवीन	1644, 1725, 1781
30.	जोशी, श्री महेश	1682, 1750
31.	जोशी, डा. मुरली मनोहर	1695, 1756
32.	जोशी, श्री प्रहलाद	1643, 1724, 1794, 1765
33.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	1648
34.	कलमाडी, श्री सुरेश	1667, 1670, 1719
35.	करुणाकरन, श्री पी.	1685
36.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	1649, 1739
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1696, 1735
38.	कुमार, श्री विश्व मोहन	1680
39.	कुमार, श्री पी.	1688, 1752
40.	कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश	1653
41.	लागुरी, श्री यशवंत	1641, 1744
42.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1634, 1721, 1783, 1798, 1767
43.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1745
44.	महताब, श्री भर्तृहरि	1742
45.	माझी, श्री प्रदीप	1743
46.	मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार	1786,, 1770
47.	मंडल, श्री मंगनी लाल	1705
48.	मीणा, श्री रघुवीर सिंह	1674, 1746
49.	मीणा, डा. किरोड़ी लाल	1647

1	2	3
50.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	1655
51.	मुंडा, श्री अर्जुन	1702
52.	मुत्तेमवार, श्री विलास	1754
53.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	1701, 1759
54.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	1711
55.	निरूपम, श्री संजय	1708
56.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	1715
57.	ओला, श्री शीश राम	1716
58.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1645, 1728, 1787, 1771
59.	पाल, श्री जगदम्बिका	1697, 1757, 1791, 1778
60.	पांडा, श्री वैजयंत	1678
61.	पांडा, श्री प्रबोध	1741
62.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	1680, 1691
63.	पाण्डेय, कुमारी सरोज	1718, 1764
64.	पाण्डेय, डा. विनय कुमार	1646, 1730, 1773
65.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	1738, 1779
66.	पटेल, श्री देवजी एम.	1713
67.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1743
68.	पाठक, श्री हरिन	1740
69.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1671
70.	राजगोपाल, श्री एल.	1692, 1743, 1756
71.	राम, श्री पूर्णमासी	1776

1	2	3
72.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	1635, 1729, 1785, 1766
73.	राव, डा. के.एस.	1660, 1737, 1788, 1796, 1772
74.	राव, श्री नामा नागेश्वर	1696
75.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1782, 1795, 1763
76.	राठवा, श्री रामसिंह	1680
77.	रावत, श्री अशोक कुमार	1734, 1793, 1800, 1780
78.	राय, श्री रूद्रमाधव	1658, 1760
79.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1684
80.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1661, 1753, 1790, 1797, 1776
81.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	1642, 1723, 1786, 1770
82.	सेम्मलई, श्री एस.	1677
83.	साहू, श्री चंदूलाल	1710
84.	सम्पत, श्री ए.	1682, 1685, 1751, 1774
85.	सत्पथी, श्री तथागत	1747, 1791
86.	शर्मा, श्री जगदीश	1719, 1777
87.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	1651, 1732, 1784, 1792
88.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	1640, 1722
89.	सिंह, डा. भोला	1693
90.	सिंह, श्री दुष्यंत	1674, 1698
91.	सिंह, श्री गणेश	1689
92.	सिंह, श्री महाबली	1656
93.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	1691

1	2	3
94.	सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद	1676, 1706
95.	सिंह, श्री राकेश	1650
96.	सिंह, श्री सुखदेव	1675
97.	सिंह, श्री उदय	1657
98.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	1695, 1756, 1777
99.	सिंह, श्री उमाशंकर	1714
100.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	1659
101.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	1637, 1733
102.	शिवासामी, श्री सी.	1679
103.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1639, 1727, 1750
104.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	1720
105.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	1744
106.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	1694, 1726
107.	स्वराज, श्रीमती सुषमा	1717
108.	तिवारी, श्री मनीष	1686
109.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1649
110.	थॉमस, श्री पी.टी.	1663
111.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1744
112.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	1709
113.	यास्खी, श्री मधु गौड	1664

———————

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	193, 195
नागर विमानन	:	181, 183, 185, 186
कारपोरेट कार्य	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	184, 199
विधि और न्याय	:	196
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	191, 192, 194, 197, 198, 200
रेल	:	182, 187, 189, 190
इस्पात	:	
वस्त्र	:	188

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	1645, 1657, 1660, 1664, 1667, 1697, 1767, 1771, 1772, 1775, 1778, 1783, 1788, 1796, 1800
नागर विमानन	:	1635, 1644, 1671, 1673, 1675, 1689, 1702, 1723, 1724, 1725, 1733, 1742, 1743, 1745, 1755, 1760, 1763, 1765, 1779, 1782, 1787, 1790, 1791
कारपोरेट कार्य	:	1795
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1663, 1677, 1692, 1785
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1642, 1728, 1737, 1753, 1754, 1792
विधि और न्याय	:	1638, 1643, 1648, 1665, 1666, 1678, 1681, 1696, 1699, 1717, 1730, 1736, 1744, 1793
अल्पसंख्यक मामले	:	1769, 1781

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1641, 1646, 1651, 1652, 1658, 1659, 1661, 1674, 1680, 1686, 1693, 1694, 1703, 1707, 1714, 1720, 1732, 1734, 1735, 1738, 1751, 1756, 1757, 1761, 1768, 1773, 1776, 1784, 1794, 1798
रेल	:	1636, 1647, 1649, 1650, 1653, 1654, 1655, 1656, 1668, 1669, 1672, 1676, 1679, 1682, 1683, 1685, 1687, 1688, 1690, 1691, 1698, 1701, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1715, 1716, 1722, 1726, 1727, 1731, 1739, 1740, 1741, 1746, 1750, 1752, 1758, 1759, 1762, 1766, 1770, 1774, 1777, 1780, 1786, 1789, 1799
इस्पात	:	1670, 1700, 1704, 1718, 1729, 1764, 1797
वस्त्र	:	1634, 1637, 1639, 1640, 1662, 1684, 1695, 1719, 1721, 1747, 1748, 1749.